संख्याः 57/2023/1035(2)/476477/12-2-2023/60(3)/2016

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 15 जुलाई, 2023

विषय- वर्ष 2023-24, 2024-25 व 2025-26 के खरीफ व रबी मौसम में प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किया जाना।

महोदय,

शासनादेश संख्या-52/2023/898/476477/12-2-2023/60(3)/2016 दिनांक 07 जून, 2023 के क्रम में वर्ष 2023-24, 2024-25 व 2025-26 के खरीफ व रबी मौसम में प्रदेश के जनपदों में निम्नलिखित प्राविधानानुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किये जाने का मुझे निदेश हुआ हैः-

1. भारत सरकार के पत्र संख्या-11019/01/2022-क्रेडिट-II (FTS 111875) दिनांक 03.04.2023 के द्वारा योजना के संचालन हेतु जारी एडवाइजरी, प्रदेश सरकार के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 07 जून, 2023 में निर्गत निर्देशों तथा भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप योजना को प्रदेश में संचालित किया जायेगा।

2. योजना में अधिसूचित क्षेत्र (ग्राम पंचायत) में अधिसूचित फसलों को प्राकृतिक आपदाओं व रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिमों यथा रोगों, कृमियों से फसल नष्ट होने की निम्न स्थितियों में कृषकों, जिनके द्वारा अधिसूचित फसल का बीमा कराया गया है, को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगीः-

2.1 व्यापक आपदाओं से फसलों की क्षति की स्थितियाँः-

2.1.1 प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण फसल की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई की स्थिति,

2.1.2 खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं यथा-सूखा अथवा शुष्क स्थिति, बाढ़, ओला, भूस्खलन, तूफान, चक्रवात, जलभराव, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग एवं रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिमों-रोगों, कृमियों से क्षति की स्थिति,

2.1.3 फसल की बुवाई से एक माह बाद से फसल कटाई के 15 दिन पूर्व तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण फसल की संभावित उपज में 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति की स्थिति में तात्कालिक सहायता।

2.2 स्थानिक आपदाओं से फसलों की क्षति की स्थितियाँः-

2.2.1 खड़ी फसलों को ओलावृष्टि, जलभराव (फसल धान को छोड़कर), भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से क्षति की स्थिति,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

2.2.2 फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा एवं बेमौसम वर्षा से क्षति की स्थिति।

युद्ध, दुर्भावनापूर्ण क्षति व रोके जा सकने वाले अन्य जोखिमों से क्षति को योजना में कवर नहीं किया गया हैं।

3. अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फ़सल को उगाने वाले सभी कृषक (बटाईदार व किराये पर खेती करने वाले कृषकों सहित) खरीफ मौसम में दिनांक 31 जुलाई एवं रबी मौसम में दिनांक 31 दिसम्बर की अंतिम तिथि तक निम्नवत् योजना में सम्मिलित हो सकेगें-

3.1 ऋणी कृषक- वित्तीय संस्थाओं (व्यवसायिक/ग्रामीण/सहकारी बैंक/पैक्स) द्वारा अधिसूचित फसल के सापेक्ष मौसमीय कृषि प्रचालन ऋण/के0सी0सी0 ऋण की स्वीकृति में घोषित क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित प्रति हेक्टेयर बीमित राशि के अनुसार सम्बन्धित संस्था द्वारा कवर किया जायेगा। बैंकों में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप अधोमानक के0सी0सी0/फसली ऋण को योजना में कवर नहीं किया जायेगा, यद्यपि ऐसे कृषकों को गैर ऋणी कृषकों की भाँति अपनी अधिसूचित फसल का बीमा कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सभी ऋणी कृषकों हेतु आधार नम्बर आवश्यक होगा।
यदि ऋणी कृषक योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में अपने बैंक शाखा स्तर पर बीमा कराने की अंतिम तिथि के 07 दिन पहले तक योजनान्तर्गत प्रतिभागिता नहीं करने के सम्बन्ध में लिखित रूप से अवगत कराना होगा।

3.2 गैर ऋणी कृषक- स्वैच्छिक आधार पर निकटतम बैंक शाखा/बीमा कम्पनी के बीमा मध्यस्थ/कामन सर्विस सेन्टर (csc)/सीधे फसल बीमा पोर्टल पर आनलाइन बीमा करा सकेंगे।

योजना में सम्मिलित होने वाले सभी गैर ऋणी कृषकों हेतु 'आधार' नम्बर आवश्यक है। बैंक शाखाओं/पैक्स/बीमा कम्पनी के बीमा मध्यस्थ/जन सेवा केन्द्र/सीधे फसल बीमा पोर्टल पर अपनी अधिसूचित फसल का आनलाइन बीमा करा सकते हैं। बीमा कराते समय कृषकों के आधार नम्बर के साथ ही मोबाइल नम्बर व बैंक खाते का विवरण अंकित किया जाना आवश्यक होगा। कृषक द्वारा स्वप्रमाणित फसल बुवाई से सम्बन्धित प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।

बीमा कराने हेतु आवश्यक प्रपत्र:-

- आधार कार्ड (अद्यतन),
- भूमि स्वामित्व दस्तावेज-अधिकार का रिकार्ड (आरओआर) और भूमि कब्जा प्रमाण पत्र (एलपीसी),
- बैंक पासबुक (प्रथम पृष्ठ-बैंक खातों के विवरण के साथ),
- फसल बुवाई प्रमाण पत्र,
- बटाईदार किसान या किराये पर ली गयी भूमि की स्थिति में, भूमि के मालिक के साथ अनुबन्ध समझौता, किराया/पट्टा विलेख, भूमि के मालिक का सुस्पष्ट आधार कार्ड तथा मोबाइल नम्बर इत्यादि।
- कृषक का मोबाइल नम्बर (बीमा कम्पनी से किसी भी सूचना के लिए)।

3.3 ऋणी व गैर ऋणी कृषक अपनी अग्रिम फसल बुआई योजना के आधार पर फसलों की वास्तविक बुआई से पूर्व भी योजना में सम्मिलित हो सकता है। किसी कारण से कृषक द्वारा नियोजित/बीमित फसल के स्थान पर अन्य कोई फसल बोए जाने की स्थिति में बीमा कराने की निर्धारित अंतिम तिथि के दो कार्य दिवस के पूर्व तक सम्बन्धित संस्था यथा बैंक शाखा/बीमा कम्पनी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

के बीमा मध्यस्थ/जन सेवा केन्द्र/सीधे फसल बीमा पोर्टल, जिसके माध्यम से कृषक द्वारा बीमा कराया गया है, से संशोधित फसल के अनुरूप प्रीमियम के अन्तर की धनराशि (कम प्रीमियम की देयता की स्थिति में बीमा कम्पनी द्वारा अधिक लिये गये प्रीमियम को वापस कर दिया जायेगा) एवं बोए गये क्षेत्र के प्रमाण पत्र के साथ फसल में परिवर्तन की सूचना बीमा कम्पनी को दी जानी आवश्यक है।

4. खरीफ व रबी मौसम में योजनान्तर्गत निम्न फसलों को, ग्राम पंचायत स्तर पर 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल उपलब्ध होने पर अधिसूचित किया गया है:-

4.1 खरीफ- धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उर्द, मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन व अरहर।

4.2 रबी- गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों, आलू व अलसी।

4.3 जनपदवार खरीफ व रबी मौसम में अधिसूचित फसल का विवरण **परिशिष्ट-1** में उल्लिखित है। अधिसूचित क्षेत्रवार (ग्रामपंचायतवार) अधिसूचित फसलों, जिनका बीमा कृषकों द्वारा कराया जा सकेगा, का विवरण **परिशिष्ट-क** पर उल्लिखित है। फसलों के अद्यतन आच्छादन के आधार पर **परिशिष्ट-क** में उल्लिखित अधिसूचित क्षेत्र/फसल की सूची में आंशिक संशोधन करने हेतु निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश अधिकृत होंगे।

4.4 प्रत्येक जनपद में अधिकृत बीमा कम्पनी का विवरण **परिशिष्ट-2** पर उल्लिखित है।

5. खरीफ व रबी मौसम में अधिसूचित फसल हेतु इन्डेम्निटी स्तर, बीमित राशि, कुल प्रीमियम दर, कृषकों द्वारा वहन किये जाने वाला प्रीमियम दर, प्रीमियम पर अनुदान के रूप में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाले अंश का जनपदवार विवरण **परिशिष्ट-3 व 4** में उल्लिखित है। कृषक अंश के अतिरिक्त प्रीमियम की धनराशि को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जायेगा। परन्तु प्रीमियम दर सिंचित क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत तथा असिंचित क्षेत्र के लिए 30 प्रतिशत से अधिक निर्धारित होने की दशा में अन्तर की बढ़ी हुई सम्पूर्ण धनराशि को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

6. योजना में फसलों की क्षति का आंकलन बीमा इकाई स्तर पर किया जायेगा। व्यापक आपदाओं में ग्राम पंचायत एवं स्थानिक आपदाओं में व्यक्तिगत कृषक के खेत को बीमा की इकाई के रूप में मानते हुए फसलों की क्षति का आंकलन किया जायेगा। व्यापक आपदाओं एवं स्थानिक आपदाओं से फसलों की क्षति की स्थिति में क्षति के आंकलन की प्रक्रिया व देय क्षतिपूर्ति का विस्तृत विवरण प्रस्तर-8 में उल्लिखित है।

7. **कृषकों से प्रीमियम का एकत्रीकरण व बीमा कम्पनी को प्रेषण तथा फसल बीमा पोर्टल पर बीमा कवरेज के विवरण को अपलोड किया जाना-**

7.1 फसल बीमा योजना के अन्तर्गत योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल बैंक प्रणाली, जो प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पैक्स)/सहकारी बैंक शाखाओं की स्थिति में जिला सहकारी बैंक की शाखा एवं व्यवसायिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थिति में सम्बन्धित ऋण वितरण शाखा के रूप में क्रियान्वयन कर रही हैं, यथावत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी।

7.2 प्रशासनिक बैंक/नियंत्रक बैंक द्वारा अपने अधीनस्थ बैंक शाखाओं को योजना से सम्बन्धित आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे तथा बैंक शाखाओं से समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित समय सीमा में प्रत्येक बीमित कृषक के विवरण यथा बीमित क्षेत्र, बीमित राशि, प्रीमियम, कृषक की श्रेणी (अनु0जा0/अनु0ज0जा0/अन्य/महिला), बैंक खाता विवरण, आधार व मोबाइल नम्बर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

का विवरण को अनिवार्य रूप से फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

7.3 बैंक/पैक्स तथा बीमा मध्यस्थ, जन सेवा केन्द्र द्वारा फसल बीमा पोर्टल पर कृषकवार बीमा कवरेज के विवरण को अपलोड करने पर ही कृषक नियमानुसार बीमा कवरेज का पात्र होगा एवं तत्क्रम में ही केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम पर अनुदान की धनराशि जारी की जायेगी।

7.4 बैंक/शाखा/पैक्स तथा बीमा मध्यस्थ की गलतियों/विलोपनों/कमीशन के कारण किसान के फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित होने की स्थिति में सम्बन्धित संस्था द्वारा ही कृषकों की हानियों की भरपाई करेगी।

7.5 बैंक/पैक्स तथा बीमा मध्यस्थ, जन सेवा केन्द्र द्वारा योजना में सम्मिलित होने वाले ऋणी व गैर ऋणी कृषकों को यथा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा। बीमा मध्यस्थ, जन सेवा केन्द्र द्वारा कृषकों के "आधार" विवरण के आधार पर कृषक की पहचान सुनिश्चित करते हुए पोर्टल पर आनलाईन बीमा किया जायेगा। आनलाईन बीमा के समय ही आवश्यक सही अभिलेखों/ प्रमाण पत्र को भी अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। अभिलेख पठनीय होना आवश्यक है। फसल बीमा पोर्टल पर कृषकों के बीमा कवरेज के विवरण को अपलोड किये जाने में बीमा कम्पनी द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।

7.6 वित्तीय संस्थाओं/पैक्स/सहकारी बैंक/ग्रामीण/व्यवसायिक बैंक द्वारा ऋणी कृषक की अधिसूचित क्षेत्र हेतु स्वीकृत/नवीनीकृत फसली ऋण में घोषित क्षेत्रफल को फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड की गयी राज्य सरकार की अधिसूचिना के **परिशिष्ट-3 व 4** में जनपद/फसल के सम्मुख अंकित प्रति हेक्टेयर बीमित राशि से गुणा कर खरीफ मौसम में दिनांक 31 जुलाई तथा रबी मौसम में दिनांक 31 दिसम्बर तक योजना में कवर किया जायेगा। वित्तीय संस्थाओं द्वारा योजनान्तर्गत कवरेज सुनिश्चित करने हेतु प्रीमियम की धनराशि के बराबर अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया जायेगा।

7.7 ऋणी किसानों की अपनी बैंक शाखा स्तर पर बीमा कराने की अन्तिम तिथि के 07 दिन पहले तक योजनान्तर्गत प्रतिभागिता नहीं करने के सम्बन्ध में लिखित रूप से बैंक शाखा को अवगत कराना होगा। यदि ऋणी कृषक का बीमा कराने की अन्तिम तिथि के 07 दिन पहले योजना में प्रतिभागिता नहीं करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जाता है तो कृषक को बैंक द्वारा अनिवार्य बीमा कवर से हटा (Remove) दिया जायेगा।

7.8 बैंक शाखा द्वारा ऐसे ऋणी कृषक जिन्होंने योजना में प्रतिभाग नहीं करने (Opting out) के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया है, उन्हें योजना में कवर नहीं किया जायेगा। बैंक द्वारा गलती से ऐसे ऋणी कृषक के खाते से प्रीमियम की कटौती करके योजना में कवर किया जाता है तो बैंक शाखा द्वारा प्रीमियम की धनराशि कृषक के खाते में वापस की जायेगी तथा यदि क्षतिपूर्ति बनती है तो 30 दिन के अन्दर क्षतिपूर्ति की धनराशि बैंक शाखा द्वारा बीमा कम्पनी को उपलब्ध करायी जायेगी।

7.10 कृषक द्वारा योजना में प्रतिभागिता नहीं करने (Opting out) एवं प्रतिभागिता करने (Opting in) के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र उसी बैंक शाखा में दिया जायेगा, जहाँ से कृषक का के0सी0सी0 खाता बना है।

7.11 ऋणी कृषक द्वारा योजना में प्रतिभागिता नहीं करने (Opting out) के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र बैंक शाखा को लिखित रूप से नहीं देने की दशा में बैंक शाखा द्वारा ऐसे ऋणी कृषक का बीमा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

अनिवार्य आधार पर किया जायेगा। बैंक द्वारा ऐसा नहीं करने पर यदि क्षतिपूर्ति बनती है तो बैंक शाखा द्वारा देय क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।

7.12 ऋणी कृषक द्वारा योजना में प्रतिभागिता नहीं करने (Opting out) के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिये जाने के बाद बैंक शाखा द्वारा वर्तमान मौसम एवं आगामी वर्षों/मौसमों में योजना में कवर नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऋणी कृषक द्वारा योजना में प्रतिभागिता करने (Opt-in) के सम्बन्ध में बैंक शाखा में प्रार्थना पत्र पुनः नहीं दिया जाता है।

ऐसे ऋणी कृषक जिन्होंने पहले योजना में प्रतिभागिता नहीं करने (Opting out) का प्रार्थना पत्र दिया था, परन्तु अब कृषक द्वारा योजना में प्रतिभागिता करने (Opt-in) हेतु प्रार्थना पत्र दिया है एवं बैंक शाखा द्वारा योजना में कवर नहीं किया जाता है तो क्षतिपूर्ति देय होने पर सम्बन्धित कृषक को सम्बन्धित बैंक शाखा द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।

7.13 नये के0सी0सी0 बनाने के समय एवं पुराने के0सी0सी0 को नवीनीकृत (Renew) करने के समय बैंक सम्बन्धित किसान को फसल बीमा में प्रतिभागिता के सम्बन्ध में जानकारी देगी। बैंक प्रचार-प्रसार करके ऋणी कृषकों को बीमा में प्रतिभागिता के सम्बन्ध में अवगत करायेगी।

7.14 वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तर-9 में कार्यों के सम्पादन हेतु निर्धारित समय सारणी/उल्लिखित अंतिम तिथियों तक कृषकों के प्रीमियम की धनराशि व घोषणा पत्र को इलेक्ट्रानिक माध्यम से बीमा कम्पनियों को प्रेषण, फसल बीमा पोर्टल पर बीमित कृषक के कवरेज के विवरण को अपलोड करने व पोर्टल के माध्यम से बीमित कृषकों के मोबाइल नं0 पर एस0एम0एस0 द्वारा अवगत कराने आदि की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी।

7.15 बीमा कराने के निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात स्वीकृत/नवीनीकृत फसली ऋण को योजना के अनुरूप पात्र होने पर अगले मौसम में ही वित्तीय संस्थाओं द्वारा योजना में कवर किया जायेगा।

7.16 वित्तीय संस्थाओं के स्तर पर वास्तविक क्षेत्रफल से अधिक बीमा होने व तत्क्रम में Area Correction Factor का प्राविधान प्रभावी होने की स्थिति से बचने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा कृषक के ऋण आवेदन फार्म में फसलवार उल्लिखित क्षेत्रफल के अनुरूप सही-सही बीमा कवरेज की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

7.17 अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के उत्पादक गैर ऋणी कृषक, जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं, द्वारा खरीफ मौसम में दिनांक 1 अप्रैल से 31 जुलाई एवं रबी मौसम में दिनांक 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर की अवधि में अपने निकटतम् बैंक शाखा/जनसेवा केन्द्र/क्रियान्वयन अभिकरण के अधिकृत बीमा मध्यस्थ के माध्यम से अथवा सीधे फसल बीमा पोर्टल पर आनलाइन बीमा कराया जा सकेगा। योजना में सम्मिलित होने के समय गैर ऋणी कृषकों द्वारा प्रस्ताव फार्म में बीमा कवरेज का विवरण यथा अपना आधार नम्बर, बीमित फसल, बीमा इकाई क्षेत्र, बीमित क्षेत्र, बीमित राशि, प्रीमियम, कृषक श्रेणी (अनु0जा0/ अनु0ज0जा0/अन्य/महिला), बैंक खाता विवरण, आधार व मोबाइल नम्बर का विवरण अंकित करते हुए प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा।

7.18 प्रत्येक गैर ऋणी कृषक हेतु प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, कृषक द्वारा प्रस्ताव फार्म में बीमित फसल हेतु घोषित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) तथा फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड की गयी राज्य सरकार की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bharatiyashasanadesh.org

अधिसूचना के परिशिष्ट-3 व 4 में जनपद/फसल के सम्मुख अंकित प्रति हेक्टेयर बीमित राशि के गुणनफल के बराबर होगी।

7.19 कृषक द्वारा एक जमीन का बीमा एक ही माध्यम से (बैंक/सी0एस0सी0/बीमा मध्यस्थ आदि) से कराया जा सकता है। कृषक द्वारा एक ही खेत (खसरा नम्बर) पर एक से अधिक फसल उगाई जाने की स्थिति में उन सभी फसलों का बीमा किसी एक ही माध्यम से कराया जायेगा।

7.20 बीमा कम्पनी द्वारा बीमा कवरेज के विवरण को स्वीकार किये जाने के 07 कार्य दिवस के अन्दर बैंक शाखाओं/पैक्स/जन सेवा केन्द्र/ बीमा मध्यस्थ द्वारा बीमित कृषकों को प्राप्ति रसीद व बीमा कवरेज से सम्बन्धित फोलियो नम्बर उपलब्ध कराया जायेगा।

7.21 ऋणी कृषक द्वारा एक ही भूमि पर एक से अधिक बैंकों से के0सी0सी0/कृषि ऋण नहीं लिया जाये तथा एक ही भूमि का बीमा एक से अधिक बैंकों के माध्यम से न कराया जाय।

7.22 ऐसे ऋणी कृषक जिनकी एक ही जमीन पर ऋणी कृषक तथा गैर ऋणी कृषक दोनों के रूप में बीमित करायी गयी है, की उस जमीन के सापेक्ष सभी बीमा पालिसियों को निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्रीमियम जब्त कर लिया जायेगा।

8. फसलों की क्षति का आंकलन व क्षतिपूर्तिः-

8.1 व्यापक आपदाओं से फसलों की क्षति की स्थिति में -

8.1.1 योजना में खड़ी फसलों को व्यापक प्राकृतिक आपदाओं- सूखा अथवा शुष्क स्थिति, बाढ़, ओला, भूस्खलन, तूफान, चक्रवात, जलभराव, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग एवं रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिमों यथा रोगों, कृमियों से हुई क्षति का आंकलन मौसम के अन्त में ग्राम पंचायत में अधिसूचित खड़ी फसल पर निर्धारित संख्या में सम्पादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आँकड़ों के आधार पर निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार किया जायेगाः-

$$\text{क्षतिपूर्ति} = \frac{\text{गारण्टीड उपज - वास्तविक उपज}}{\text{गारण्टीड उपज}} \times \text{बीमित राशि}$$

- **गारण्टीड उपज**-ग्रामपंचायत में फसल की गारण्टीड उपज भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार फसल की विगत 07 वर्षों में से 05 सर्वाधिक उपज वाले वर्षों की औसत उपज को फसल की इण्डेम्निटी स्तर से गुणा करके आंकलित किया जायेगा। वर्ष 2023-24 की गारण्टीड उपज के आंकलन हेतु वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 व 2022-23 के आँकड़ों का उपयोग किया जायेगा। इस प्रकार बीमित फसल की आंकलित गारण्टीड उपज तीनों वर्षों 2023-24, 2024-25 व 2025-26 के लिए समान होगी।
- **इण्डेम्निटी स्तर** = अधिक अथवा कम जोखिम के अनुरूप जनपद स्तर पर इण्डेम्निटी स्तर फसलवार क्रमशः 80 प्रतिशत अथवा 90 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

प्रक्रिया-योजना में ग्राम पंचायत में अधिसूचित फसल के उत्पादक सभी बीमित कृषकों को आपदा से समान रूप से प्रभावित मानते हुए फसलों की क्षति का आंकलन किया जायेगा। ग्राम पंचायत क्षेत्र में अधिसूचित फसलों पर मौसम के अन्त में राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोगों का सम्पादन सांख्यिकी विधि से चयनित खेतों में कराया जायेगा एवं प्रयोगों से प्राप्त उपज

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

के आँकड़ों को कृषि विभाग में निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0, को प्राथमिकता पर प्रेषित किया जायेगा। कृषि विभाग के स्तर पर ग्राम पंचायत में अधिसूचित फसल की उपज का आंकलन करते हुए निर्धारित समय सीमा में सम्बन्धित बीमा कम्पनी को क्षतिपूर्ति के आंकलन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

फसल कटाई प्रयोगों की गुणवत्ता व विश्वसनीयता सुनिश्चित कराये जाने हेतु फसलों की कटाई स्तर पर अधिकाधिक प्रयोगों की जाँच जनपद स्तर पर सुनिश्चित करायी जायेगी। फसल कटाई प्रयागों के सम्पादन की प्रक्रिया का जनपद के बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा अवलोकन किया जा सकेगा। जनपद स्तर पर राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागीय कार्मिकों द्वारा बीमा कम्पनी को इस सम्बन्ध में यथा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

प्रदेश के राजस्व विभाग के क्षेत्रीय कार्मिकों-लेखपाल/राजस्व निरीक्षक द्वारा अधिसूचित फसलों पर आयोजित किये जा रहे फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन के समय स्मार्टफोन का प्रयोग करते हुए प्रयोगों के सम्पादन की प्रक्रिया, फसल की दशा सम्बन्धित चित्र, चयनित खेत की भू-स्थिति की सूचनाओं के साथ उपज के आकड़े फसल बीमा ऐप के माध्यम से फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

क्षतिपूर्ति-क्राप-कटिंग प्रयोगों के सम्पादन के उपरान्त राजस्व विभाग द्वारा उपज के आँकड़े निदेशक, कृषि सॉख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश कार्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे। निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा विभाग स्तर पर प्राप्त उपज के आँकड़ों को संकलित/विश्लेषित करने के उपरान्त अधिसूचित फसलों की गारण्टीड उपज (TY) एवं वास्तविक उपज (AY) के आँकड़े फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगे तथा बीमा कम्पनी द्वारा विभाग द्वारा अपलोड किये गये आँकड़ों को स्वीकार/अस्वीकार किया जायेगा। उसके पश्चात भारत सरकार स्तर से फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से कृषकों को देय क्षतिपूर्ति का भुगतान योजना के प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

8.1.2 **तात्कालिक सहायता-** फसल की बुवाई से एक माह के बाद से फसल कटाई के 15 दिन पूर्व तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण फसल की संभावित उपज सामान्य उपज की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति की स्थिति में तात्कालिक सहायता निम्नलिखित फार्मूला के आधार पर बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रदान की जायेगी-

$$\text{तात्कालिक सहायता} = \frac{\text{गारण्टीड उपज - अनुमानित उपज}}{\text{गारण्टीड उपज}} \times \text{बीमित राशि} \times 25\%$$

8.1.2 सामान्य उपज वर्तमान मौसम से पूर्व के 7 वर्षों की औसत उपज होगी।

प्रक्रिया- जनपद के राजस्व व कृषि विभाग के क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत कार्मिकों/कृषकों द्वारा प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण प्रभावित ग्रामपंचायत व फसल में क्षति की सूचना प्राथमिकता पर 03 कार्य दिवस के अंदर जिलाधिकारी/उप कृषि निदेशक कार्यालय को लिखित रूप से दिया जायेगा। इन सूचनाओं के आधार पर जनपद के जिलाधिकारी/उप कृषि निदेशक कार्यालय द्वारा प्रभावित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

ग्रामपंचायतों व फसलों की सूची आपदा के 07 कार्य दिवस के अन्दर लिखित रूप में जारी करते हुए संयुक्त सर्वे हेतु बीमा कम्पनी को उपलब्ध करा दी जायेगी।

जिलाधिकारी/उप कृषि निदेशक द्वारा जनपद के राजस्व, कृषि विभाग एवं बीमा कम्पनी के अधिकारियों की संयुक्त समिति का गठन प्राथमिकता पर किया जायेगा। समिति द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में संयुक्त सर्वेक्षण का कार्य आपदा के 15 दिन की निर्धारित समय सीमा में अवश्य पूर्ण करते हुए संयुक्त सर्वेक्षण की रिपोर्ट बीमा कम्पनी को क्षतिपूर्ति के आंकलन व भुगतान हेतु प्राथमिकता पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण शर्तेंः-

1. इस जोखिम के अंतर्गत फसल की बुवाई के एक माह के बाद से लेकर फसल की कटाई के 15 दिन पूर्व तक फसल की क्षति को संज्ञान में लिया जायेगा।
2. बीमा कम्पनी द्वारा फसल की क्षति की सूचना प्राप्त होने के 30 कार्य दिवस के अन्दर ग्राम पंचायत में प्रभावित फसल के बीमित कृषकों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित किया (बशर्ते राज्य तथा केन्द्र सरकार से सब्सिडी की प्रथम किस्त बीमा कम्पनी को प्राप्त हो चुकी हो)।

8.2 बुवाई विफलता/असफल बुवाईः-

8.2.1 ग्राम पंचायत में अधिकांश क्षेत्र (ग्रामपंचायत में फसलवार सामान्य बुवाई क्षेत्रफल में से 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र) में प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से फसलों की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई की स्थिति होती है, तो उन स्थितियों में फसलों की क्षति के आंकलन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाते हुए कृषकों को देय क्षतिपूर्ति का प्राथमिकता पर भुगतान ग्रामपंचायत में सभी बीमित कृषकों को अंतिम रूप से बीमा कम्पनी द्वारा कर दिया जायेगा एवं प्रभावित ग्राम पंचायत/फसल के बीमित कृषको का आगे बीमा कवरेज समाप्त माना जायेगा। फसलवार सामान्य बुवाई क्षेत्रफल विगत तीन वर्षों के बुवाई क्षेत्रफल का औसत होगा।

प्रक्रिया-

जनपद के राजस्व व कृषि विभाग के क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत कार्मिकों/कृषकों द्वारा प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से फसलों की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई से प्रभावित ग्राम पंचायत, फसल व प्रभावित क्षेत्र की सूचना प्राथमिकता पर 03 कार्य दिवस के अंदर जिलाधिकारी/उप कृषि निदेशक कार्यालय को लिखित रूप से दिया जायेगा। इन सूचनाओं के आधार पर जनपद के जिलाधिकारी/उप कृषि निदेशक कार्यालय द्वारा प्रभावित ग्रामपंचायत/फसल की सूची संयुक्त सर्वे हेतु जारी की जायेगी। संयुक्त सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ग्रामपंचायतवार फसलों की सूची जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति द्वारा 07 कार्य दिवस के अन्दर लिखित रूप से निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी।

महत्वपूर्ण शर्तेंः-

1. प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से फसलों की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई से प्रभावित ग्राम पंचायत व फसल की लिखित सूचना जिलाधिकारी/उप कृषि निदेशक कार्यालय से जारी होने के पश्चात बीमा कम्पनी द्वारा जनपद की बैंक शाखाओं/पैक्स/जनसेवा केन्द्र/बीमा एजेन्ट को प्रभावित ग्रामपंचायत/ फसल को आगे बीमा कवरेज प्रदान नहीं किये जाने का निर्देश देते हुए लिखित सूचना की तिथि के उपरान्त प्रीमियम को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashashanadesh.org

2. जिलाधिकारी/उप कृषि निदेशक कार्यालय की सूचना के आधार पर कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा फसल की बुवाई प्रारम्भ होने से 30 दिन और विलम्बतम खरीफ मौसम में दिनांक 15 अगस्त व रबी मौसम में 15 जनवरी तक ही प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से फसलों की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई से प्रभावित ग्राम पंचायत व फसल की की सूची के साथ लिखित सूचना जारी की जा सकेगी एवं तदनुसार निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु बीमा कम्पनी को निर्देशित किया जायेगा।

क्षतिपूर्तिः-

बीमा कम्पनी द्वारा आपदा प्रभावित ग्रामपंचायत/फसल के बीमित कृषकों को बीमित राशि के 25 प्रतिशत की क्षतिपूर्ति का भुगतान फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से कृषि निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा पत्र निर्गत होने के 30 कार्यदिवस के अन्दर सुनिश्चित किया जायेगा।

8.3 स्थानिक आपदाओं से फसलों की क्षति की स्थिति में (व्यक्तिगत आधार पर)-

खड़ी फसलों में स्थानिक आपदाओं यथा- ओलावृष्टि, जलभराव (फसल धान को छोड़कर), भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से क्षति तथा फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में फैलाकर अथवा छोटे बण्डल में बाँधकर सुखाई हेतु रखी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा व बेमौसम वर्षा से फसलों की क्षति स्थानीकृत रूप से होती है, जिसमें सीमित क्षेत्र में ही फसलों को क्षति होती हैं, इन जोखिमों से क्षति की स्थिति में बीमित कृषकों को व्यक्तिगत स्तर पर आपदा की स्थिति तक उत्पादन लागत मे व्यय के अनुरूप प्राथमिकता पर आंशिक क्षतिपूर्ति का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण शर्तें-

1. कृषकों को आपदा के 72 घण्टें के अन्दर व्यक्तिगत दावा बीमा कम्पनी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। कृषक द्वारा स्वयं अथवा बीमा कम्पनी के जनपद/तहसील स्तर के कार्यालय/टोल फ्री नं0/सम्बन्धित बैंक शाखा/जनपद के कृषि अथवा राजस्व विभाग के किसी भी स्तर के अधिकारी अथवा ग्राम प्रधान/क्षेत्र पंचायत सदस्य के माध्यम से व्यक्तिगत दावा बीमा कम्पनी को प्रस्तुत किया जा सकता है। कृषक द्वारा स्वयं के स्थान पर जनपद के बैंक शाखा/कृषि/राजस्व विभाग के किसी भी स्तर के अधिकारी/ग्राम प्रधान/क्षेत्र पंचायत सदस्य के माध्यम से आपदा के 72 घण्टें के अन्दर व्यक्तिगत दावा बीमा कम्पनी को प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में बैंक शाखा/सम्बन्धित अधिकारी को सूचना प्राप्त होने के अगले 48 घण्टे के अन्दर कृषक के व्यक्तिगत दावे को जनपद की बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
2. बीमित कृषकों द्वारा व्यक्तिगत दावे में अपनी ग्राम पंचायत, प्रभावित खेत का खसरा नम्बर, फसल व प्रभावित क्षेत्र का विवरण दिया जाना अपेक्षित है।

प्रक्रियाः-

1. बीमा कम्पनी द्वारा सूचना प्राप्त होने के 48 घण्टें के अन्दर व्यक्तिगत आधार पर क्षति के आंकलन हेतु पर्याप्त संख्या में निर्धारित योग्यता के बीमा सर्वेयर की नियुक्ति सुनिश्चित की जायेगी।
2. बीमा कम्पनी के सर्वेयर द्वारा अगले 10 कार्य दिवस में जनपद के क्षेत्रीय स्तर के नामित अधिकारी (जिलाधिकारी/ उप कृषि निदेशक द्वारा नामित किया जायेगा) व कृषक की उपस्थिति में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

फसल की क्षति का आंकलन बीमित कृषक के खेत स्तर पर फसल के उस समय तक उत्पादन लागत में हुए व्यय के अनुरूप किया जायेगा।

3. ग्राम पंचायत में 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में फसलों की क्षति की सूचना प्राप्त होने की स्थिति को बीमा कम्पनी द्वारा तत्काल जनपद के जिलाधिकारी/उप कृषि निदेशक कार्यालय के संज्ञान में लाया जायेगा। उप कृषि निदेशक/जिलाधिकारी द्वारा जनपद के राजस्व, कृषि विभाग एवं बीमा कम्पनी के अधिकारियों की संयुक्त समिति का गठन प्राथमिकता पर किया जायेगा। समिति द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में रैण्डम आधार पर संयुक्त सर्वेक्षण निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करते हुए सर्वेक्षण की रिपोर्ट बीमा कम्पनी को क्षतिपूर्ति के आंकलन व भुगतान हेतु प्राथमिकता पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में अधिसूचित फसल के बीमित कृषक, जिनके द्वारा आपदा के 72 घंटे के अंदर बीमा कम्पनी को सूचित किया है, नियमानुसार देय क्षतिपूर्ति के पात्र होंगे।

4. उप कृषि निदेशक/जिलाधिकारी द्वारा जनपद के राजस्व, कृषि विभाग एवं बीमा कम्पनी के अधिकारियों की संयुक्त समिति का गठन मौसम प्रारम्भ होने से पूर्व कर लिया जाय ताकि आपदा की स्थिति में निर्धारित समयावधि में प्रभावित क्षेत्रों में संयुक्त सर्वेक्षण करते हुए सर्वेक्षण रिपोर्ट बीमा कम्पनी को क्षतिपूर्ति के आंकलन एवं भुगतान हेतु प्राप्त हो सके।

5. राज्य सरकार द्वारा जनपदवार/फसलवार सामान्यतया बुवाई व कटाई की स्थिति सम्बन्धी क्राप-कैलेण्डर जारी किया जायेगा।

6. बीमा कम्पनी द्वारा सर्वेक्षण के 15 दिन के अन्दर आपदा की स्थिति तक फसल के उत्पादन लागत में हुए व्यय के अनुरूप बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

8.4 स्थानिक आपदा/मध्यावस्था में मौसम प्रतिकूलता या फसल कटाई के बाद के नुकसान के कारण दावा भुगतान की धनराशि, बीमित फसल की कुल बीमित राशि से कम कर दी जायेगी। इसलिए अंतिम उपज आधारित दावे की गणना बीमित राशि की उपलब्ध शेष राशि को उपज की कमी से गुणा कर आंकलित की जायेगी।

9. योजनान्तर्गत कार्यों के निष्पादन की निर्धारित समय सारिणी-

क्र. सं.	कार्यक्रम	कार्यों के निष्पादन की निधारित समय सारिणी	
		खरीफ	रबी
1	बीमा कम्पनी द्वारा योजना का प्रचार-प्रसार	15 मार्च से प्रारम्भ	15 सितम्बर से प्रारम्भ
2	कृषकों को बीमा कवरेज प्रदान करने की समयावधि	01 अप्रैल से 31 जुलाई	01 अक्टूबर से 31 दिसम्बर
3	बैंक शाखाओं (व्यवसायिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/जिला सहकारी बैंक/पैक्स)/जन सेवा केन्द्र/बीमा एजेन्ट द्वारा ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों को बीमा कवरेज प्रदान करने की अंतिम तिथि	31 जुलाई	31 दिसम्बर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bharatshasanadesh.org

4	बैंक शाखाओं (व्यवसायिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/जिला सहकारी बैंक/पैक्स) द्वारा इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रीमियम व घोषणा पत्र को बीमा कम्पनी को प्रेषण तथा फसल बीमा पोर्टल पर प्रत्येक बीमित कृषक के बीमा कवरेज के विवरण को अपलोड करने की अंतिम तिथि	खरीफ में 31 जुलाई व रबी में 31 दिसम्बर के उपरांत 15 दिन के अंदर
5	जन सेवा केन्द्र/बीमा कम्पनी के एजेन्ट द्वारा कृषकों से प्राप्त प्रीमियम व घोषणा पत्र को इलेक्ट्रानिक माध्यम से बीमा कम्पनी को प्रेषण करने की अंतिम तिथि	खरीफ में 31 जुलाई व रबी में 31 दिसम्बर के उपरांत 48 घंटे के अंदर
6	बीमा कम्पनी द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध बीमित कृषकों के विवरण को स्वीकार/अस्वीकार करने की अन्तिम तिथि	पोर्टल पर बैंक शाखाओं (व्यवसायिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/जिला सहकारी बैंक/पैक्स) एवं जन सेवा केन्द्र/बीमा कम्पनी के एजेन्ट द्वारा डाटा/ सूचना अपलोड किये जाने के पश्चात 15 दिन के अन्दर।
7	बैंक शाखाओं/पैक्स/जन सेवा केन्द्र/बीमा एजेन्ट द्वारा पोर्टल पर विसंगति/अपूर्ण विवरण, जैसा कि बीमा कम्पनी द्वारा सूचित किया गया है, के निराकरण की अन्तिम तिथि	बीमा कम्पनी द्वारा सूचित किये जाने के 07 कार्य दिवस के अन्दर।
8	बैंक शाखाओं/पैक्स/जन सेवा केन्द्र/बीमा एजेन्ट द्वारा विसंगति का निराकरण कर पोर्टल पर अपलोड किये गये विवरण को बीमा कम्पनी द्वारा स्वीकार/अस्वीकार करने की अन्तिम तिथि	बैंक शाखाओं/पैक्स/जन सेवा केन्द्र/बीमा एजेन्ट द्वारा Corrected विवरण प्रस्तुत किये जाने के 07 कार्य दिवस के अन्दर
9	बैंक शाखाओं/पैक्स/जन सेवा केन्द्र/बीमा एजेन्ट द्वारा बीमित कृषकों को प्राप्ति रसीद व बीमा कवरेज से सम्बन्धित फोलियो नम्बर बीमित कृषकों को उपलब्ध कराने की अन्तिम तिथि	बीमा कम्पनी द्वारा बीमा कवरेज के विवरण को स्वीकार किये जाने के 07 कार्य दिवस के अन्दर।
10	बीमा कम्पनी द्वारा बीमित कृषकों के बीमा कवरेज के विवरण को अंतिम रूप देने एवं बीमित कृषकों के बीमा कवरेज के विवरण का पोर्टल पर स्वतः स्वीकृति (Auto approval) की अन्तिम तिथि	खरीफ में 31 जुलाई व रबी में 31 दिसम्बर के उपरांत 60 कार्यदिवस के अंदर
क्र.	**कार्यक्रम**	**कार्यों के निष्पादन की निर्धारित समय**

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सं.		सारिणी	
		खरीफ	रबी
11	बीमा कम्पनी द्वारा राज्यांश की मांग एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लि0 के माध्यम से निदेशक कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 कार्यालय को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि		
	राज्यांश की प्रथम माँग (गत मौसम की प्रगति के अनुरूप अनुमानित)	31 जुलाई तक	31 दिसम्बर तक
	राज्यांश की द्वितीय माँग (पोर्टल पर उपलब्ध प्रगति विवरण के अनुरूप)	प्रत्येक मौसम में फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड प्रगति विवरण के Auto approval के 15 दिन के अन्दर	
	राज्यांश की अंतिम माँग (योजनान्तर्गत अवशेष समस्त माँग)	प्रत्येक मौसम में पोर्टल पर अन्तिम प्रगति विवरण को अपलोड करने/विसंगतियों के निराकरण के पश्चात	
12	फसल कटाइ प्रयोगों के सम्पादन के पश्चात स्मार्टफोन/फसल कटाइ एप्प का उपयोग करते हुए पोर्टल पर सूचनाओं के प्रेषण हेतु राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्मिकों का पंजीकरण	31 अगस्त के पूर्व	31 जनवरी के पूर्व
13	बीमा कम्पनी द्वारा फसल कटाइ प्रयोगों के सम्पादन की प्रक्रिया का अवलोकन करने हेतु अपने कार्मिकों के मोबाइल नम्बर का पंजीकरण	31 अगस्त तक	31 जनवरी तक
14	राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा फसल कटाई प्रयोगों के नियोजन व प्रयोगों हेतु निर्धारित तिथि के विवरण को पोर्टल पर अपलोड व पुष्टि किये जाने की अन्तिम तिथि	फसल कटाई प्रयोगों हेतु निर्धारित तिथियों के 07 दिन पूर्व Tentative कार्यक्रम व तिथि को पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा तथा कार्यक्रम व तिथि में संशोधन की स्थिति में फसल कटाई प्रयोगों हेतु निर्धारित तिथि के 01 दिन पूर्व पुष्टि की जायेगी।	
15	बीमा कम्पनी द्वारा फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन में विसंगति की Online सूचना प्रयोगों के सम्पादन के पश्चात फसल कटाई	फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन के पश्चात 02 घण्टे के अन्दर	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

	एप्प के माध्यम से सूचित करने की निर्धारित समय सीमा	
16	राज्य के नोडल विभाग द्वारा फसलों की उपज के आकड़ों को पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि	फसल कटाई सम्पन्न होने के एक माह के अन्दर
17	बीमा कम्पनी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किये गये उपज के आँकड़ों में किसी भी विसंगति को सूचित करने की अन्तिम तिथि	राज्य के नोडल विभाग द्वारा उपज के आँकड़े पोर्टल पर अपलोड करने के 07 कार्य दिवस के अन्दर।
18	राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग (जनपद/राज्य स्तर) द्वारा उपज के आँकड़ों में बीमा कम्पनी की शिकायत का निस्तारण	बीमा कम्पनी द्वारा पोर्टल पर अपलोड की गई शिकायत के 07 कार्य दिवस के अन्दर।
19	पोर्टल पर अपलोड किये गये उपज के आँकड़ों की स्वतः स्वीकृति (Auto approval)	बीमा कम्पनी द्वारा उपज के आकड़ों की शिकायत का राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग (जनपद/राज्य स्तर) से निस्तारण के 07 कार्य दिवस के अन्दर
20	पोर्टल पर अपलोड किये गये उपज के आँकड़ों के आधार पर क्षतिपूर्ति का स्वतः निर्धारण (Auto processing) तथा पोर्टल पर क्षतिपूर्ति का ग्राम पंचायतवार व फसलवार विवरण अपलोड करने की अन्तिम तिथि	राज्य सरकार द्वारा पोर्टल पर उपज के आँकड़े अपलोड करने के 07 कार्य दिवस के अन्दर
21	बीमा कम्पनी द्वारा कृषकों को क्षतिपूर्ति के भुगतान की अन्तिम तिथि	पोर्टल पर क्षतिपूर्ति का स्वतः निर्धारण (Auto processing) के 14 कार्य दिवस के अन्दर
22	बीमा कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि इलेक्ट्रानिक माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में जमा कराने की अंतिम तिथि	पोर्टल पर क्षतिपूर्ति का स्वतः निर्धारण (Auto processing) के 15 कार्य दिवस के अन्दर

क्र. सं.	**कार्यक्रम**	**कार्यों के निष्पादन की निधारित समय सारिणी**	
		खरीफ	**रबी**

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

23	निम्न स्थितियों में क्षति के आंकलन व क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु अंतिम तिथि 1. प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण फसल की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई की स्थिति, 2. फसल की बुवाई के एक माह बाद से फसल कटाई के 15 दिन पूर्व तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण फसल की संभावित उपज में 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति की स्थिति, 3. स्थानिक आपदाओं से खड़ी फसलों को ओलावृष्टि, जलभराव, भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से क्षति की स्थिति 4. फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, बेमौसम वर्षा से क्षति की स्थिति में	प्रस्तर-8 के अनुरूप

नोटः-योजनान्तर्गत कार्यो के सम्पादन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि पर सार्वजनिक अवकाश होने अथवा सामान्य तकनीकी सेवाएं बाधित रहने की स्थिति में अगले कार्यदिवस को अंतिम तिथि माना जायेगा।

10. क्षतिपूर्ति का भुगतानः-

10.1. प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण फसल की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई की स्थिति, फसल की बुवाई के एक माह बाद से फसल कटाई के 15 दिन पूर्व तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण फसल की संभावित उपज में 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति की स्थिति व स्थानिक आपदाओं में क्षति की स्थिति में क्षतिपूर्ति का भुगतान बीमा कम्पनियों द्वारा राज्यांश/केन्द्रांश की प्रथम किस्त के भुगतान होने पर किया जायेगा तथा फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल की क्षति की स्थिति में क्षतिपूर्ति व फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर बीमित कृषकों को देय क्षतिपूर्ति का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा राज्यांश/केन्द्रांश की द्वितीय माँग के आधार पर राज्य/केन्द्र स्तर पर प्राप्त अनुदान की धनराशि के उपरान्त बीमा कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति के भुगतान को निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित किया जायेगा।

10.2 राज्य सरकार द्वारा बीमा कम्पनी के समन्वय से वास्तविक उपज एवं गारण्टीड उपज के आँकड़े निर्धारित समय सीमा में पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा, तत्पश्चात पोर्टल के माध्यम से क्षति के आंकलन व क्षतिपूर्ति के भुगतान की कार्यवाही बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित कराया जायेगा।

10.3 बीमा कम्पनी द्वारा कृषकों को देय क्षतिपूर्ति का भुगतान सीधे सम्बन्धित कृषकों के बैंक खाते में फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से कराया जायेगा तथा एस0एम0एस0 के माध्यम से कृषकों को सूचित भी किया जायेगा। बैंक शाखा द्वारा भी लाभार्थी कृषकों की सूची को शाखा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.beatiyashasanadesh.org

के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा। बीमा कम्पनी द्वारा जनपद के उप कृषि निदेशक को लाभार्थी कृषकों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी।

10.4 आपदा की विभिन्न स्थितियों में बीमा कम्पनी द्वारा पर्याप्त संख्या में निर्धारित योग्यता के सर्वेयर (Loss Assessors) की नियुक्ति क्षति की सूचना के 48 घंटे के अन्दर सुनिश्चित की जायेगी, ताकि योजना के प्राविधानों के अनुरूप समयबद्ध रूप से फसलों की क्षति का आंकलन करते हुए कृषकों को देय क्षतिपूर्ति सुलभ करायी जा सके।

10.5 बीमा कम्पनी द्वारा जनपद के उप कृषि निदेशक /जिला कृषि अधिकारी को लाभार्थी कृषकों की सूची जिसमें कृषक का नाम, ग्रामपंचायत व फसल का नाम, देय क्षतिपूर्ति की धनराशि आदि पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

11. बैंक व जनसेवा केन्द्र/बीमा एजेण्ट को देय सर्विस चार्जः-

11.1 बीमा कम्पनी द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के अनुरूप बैंको द्वारा कृषकों से एकत्रित प्रीमियम अंश पर 04 प्रतिशत की दर से सर्विस चार्ज देय होगा जिसका भुगतान पोर्टल पर बीमा की अंतिम प्रगति विवरण के 15 दिन के अंदर सम्बन्धित बैंक को करना होगा। बीमा की अंतिम प्रगति विवरण के 15 दिन के पश्चात् बैंक को सर्विस चार्ज का भुगतान करने पर बीमा कम्पनी को 12 प्रतिशत ब्याज की दर से दण्ड ब्याज वहन करते हुए सम्बन्धित बैंक शाखा को देय सर्विस चार्ज का भुगतान करना होगा।

11.2 बीमा कम्पनी को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर जनसेवा केन्द्र को सर्विस चार्ज का भुगतान करना होगा जो प्रति बीमित कृषक के आधार पर अनुमन्य की जायेगी। सर्विस चार्ज के भुगतान के अंतर्गत कृषकों के बीमा कवरेज के सही विवरण को आनलाइन अपलोड करने, भू-स्वामित्य प्रमाण पत्र/खतौनी, बैंक पासबुक अपलोड करने व प्राप्ति रसीद जारी करने की सेवाएं सम्मिलित रहेंगी। बीमा कम्पनियों द्वारा निरस्त की गयी पालिसियों पर जन सेवा केन्द्र को कोई सर्विस चार्ज देय नहीं होगा।

11.3 भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक व इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग के अधीन जनसेवा केन्द्रों की सेवाओं को फसल बीमा योजनाओं में गैर ऋणी कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित कराये जाने हेतु बीमा कम्पनियों द्वारा जन सेवा केन्द्र से अलग से अनुबन्ध आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। बीमा कम्पनी द्वारा जनसेवा केन्द्र से बीमित प्रत्येक कृषक हेतु प्रति मौसम सर्विस चार्ज का भुगतान भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप देय होगा, जिसका भुगतान मौसम विशेष में बीमा की प्रगति विवरण को अन्तिम रूप देने के 15 दिन के अन्दर सुनिश्चित किया जायेगा।

11.4 जन सेवा केन्द्र द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कृषकों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र के आधार पर सही विवरण बीमा हेतु पोर्टल पर भरा जाय।

11.5 बीमा कम्पनियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जन सेवा केन्द्रों से बीमा कराने वाले कृषकों से कृषक द्वारा देय प्रीमियम की धनराशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य कोई धनराशि/फीस न ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

12. बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात प्रीमियम व घोषणा पत्र को स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं इसका समस्त दायित्व सम्बन्धित संस्था, जिसके द्वारा बीमा किया गया है, का होगा।

13. इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रीमियम व क्षतिपूर्ति की धनराशि का प्रेषणः-

1. बैंक, जनसेवा केन्द्र व बीमा एजेण्ट द्वारा फसल बीमा पोर्टल पर Payment gateway (Pay-gov) के माध्यम से प्रीमियम की धनराशि को अनिवार्य रूप से बीमा कम्पनी को निर्धारित समय-सीमा में प्रेषित किया जायेगा। बीमा कम्पनियों का बैंक खाते का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। बीमा कम्पनी, बैंक शाखा, जनसेवा केन्द्र व बीमा एजेण्ट द्वारा फसल बीमा हेतु अलग से बैंक खाता खोलते हुए लेन-देन किया जायेगा। किसी भी स्थिति में बैंकर्स चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से धनराशि का प्रेषण अनुमन्य नहीं होगा।
2. बीमा कम्पनियों को पोर्टल पर अधिसूचना सम्बन्धी विवरण व कृषक स्तर पर बीमा कवरेज व बीमित कृषक के बैंक खाते के विवरण हेतु लॉगिन सुविधा प्रदान की जायेगी। बीमा कम्पनी द्वारा पोर्टल पर आंकड़ों का सत्यापन, विसंगतियों का निराकरण, क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए सीधे कृषक के बैंक खाते में क्षतिपूर्ति की धनराशि को प्रेषित किया जायेगा।

14. फसल बीमा पोर्टल पर सूचनाओं का अपलोड किया जाना:-

1. बीमा कम्पनी द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना के पूर्ण विवरण को बीमा इकाई क्षेत्र की सेन्सस कोड मैपिंग के साथ राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग के समन्वय से फसल बीमा पोर्टल-www.pmfby.gov.in पर अधिसूचना जारी होने के पश्चात प्राथमिकता पर अपलोड किया जायेगा ताकि बैंक शाखाओं/पैक्स/बीमा एजेन्ट/जन सेवा केन्द्र/कृषक के स्वयं के द्वारा पोर्टल पर कृषकों को बीमा कवरेज प्रदान करने की कार्यवाही तदनुसार निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित करायी जा सके।
2. भारत सरकार स्तर पर विकसित फसल बीमा पोर्टल के अतिरिक्त बीमा कम्पनी द्वारा बीमित कृषकों के विवरण को एकत्रित करने हेतु अन्य कोई प्रोफार्मा/पोर्टल को वितरित/अनुमन्य नहीं किया जायेगा।
3. फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर ग्रामपंचायतवार फसलों की उपज का आंकलन कर निर्धारित समय-सीमा में फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा/बीमा कम्पनी को प्रेषित किया जायेगा।

15. बीमा कम्पनी का कार्यालयः-

15.1. बीमा कम्पनी द्वारा प्रदेश स्तर पर कार्यालय स्थापित करते हुए सक्षम स्तर के पूर्णकालिक अधिकारी व कार्मिकों की नियुक्ति कार्यालय स्तर पर टेलीफोन की लैण्डलाइन की सुविधा सहित राज्य सरकार की अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि के 30 कार्यदिवस के अन्दर सुनिश्चित की जायेगी। बीमा कम्पनी के प्रदेश कार्यालय स्तर पर फसल बीमा से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं का पूर्ण डाटा अपडेट रखा जायेगा तथा प्रदेश शासन व निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 कार्यालय एवं उद्यान विभाग को नियमित रूप से एवं आवश्यकतानुसार समय-समय पर माँगे जाने पर उपलब्ध कराया जायेगा। बीमा कम्पनी के प्रदेशीय प्रमुख द्वारा प्रदेश शासन, राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों व बैंकों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.pradhyashasanadesh.org

अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए योजना का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा समय-समय पर फसल बीमा योजनाओं के सम्बन्ध में विभिन्न स्तर पर आहूत बैठकों में प्रतिभाग किया जायेगा।

15.2 बीमा कम्पनी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से 30 कार्यदिवस के अन्दर अपने कार्यक्षेत्र के प्रत्येक जनपद व जनपद के प्रत्येक तहसील में कम्पनी का क्रियाशील कार्यालय स्थापित करते हुए पर्याप्त संख्या में कार्मिकों तथा अधिसूचित ब्लाक स्तर पर कम से कम 01 बीमा मध्यस्थ को नियुक्त किया जायेगा।

15.3 बीमा कम्पनी द्वारा प्रदेश व जनपद स्तर पर स्थापित कार्यालय/नियुक्त अधिकारी व बीमा मध्यस्थ का पूर्ण विवरण निम्न प्रारूप पर निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 कार्यालय में नियुक्ति के पश्चात अधिकतम 07 कार्य दिवस के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगा:-

क्र. सं.	मद	जनपद का नाम	कार्यालय का पता, ई-मेल व टेलीफोन नं0	नियुक्त अधिकारी/कार्मिक का पूर्ण विवरण		
				कुल संख्या	नाम	मोबाइल/ई-मेल नं0
1	प्रदेश स्तर					
2	जनपद स्तर					

बीमा कम्पनी द्वारा तहसील स्तरीय कार्यालय एवं नियुक्त अधिकारी/कार्मिक व बीमा मध्यस्थ का पूर्ण विवरण निम्न प्रारूप पर निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 एवं जनपदीय उप कृषि निदेशक को नियुक्ति के पश्चात अधिकतम 15 कार्यदिवस के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगा।

क्र.सं.	मद	जनपद का नाम	तहसील का नाम	कार्यालय का पता	नियुक्त अधिकारी/कार्मिक का पूर्ण विवरण		
					कुल संख्या	नाम	मोबाइल/ ई-मेल नं0
1	तहसील स्तर						
2	ब्लाक स्तर पर नियुक्त बीमा एजेन्ट						

15.4 फसल बीमा हेल्प डेस्क

जनपद के उप कृषि निदेशक फसल बीमा योजनाओं के नोडल अधिकारी हैं। प्रत्येक जनपद में जनपदीय उप कृषि निदेशक के कार्यालय में बीमा कम्पनी द्वारा फसल बीमा हेल्प डेस्क की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

स्थापना की जायेगी, जिस हेतु कार्यालय में उप कृषि निदेशक द्वारा स्थान उपलब्ध कराया जायेगा, जिस पर बीमा कम्पनी का एक भिज्ञ कर्मचारी प्रत्येक कार्यदिवस में उपस्थित रहेगा।

15.5 बीमा कम्पनी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के प्रत्येक जनपद में अपने नेटवर्क/कार्मिकों के माध्यम से प्रत्येक ग्राम स्तर तक कृषकों तक अपनी पहुँच बढ़ाई जायेगी।

15.6 जनपद के उप कृषि निदेशक द्वारा फसल बीमा योजना के मानीटरिंग हेतु जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति की प्रत्येक माह बैठक (आपदा की स्थिति में माह के मध्य में भी) करायी जायेगी। जनपद में बीमा कम्पनी के अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में उप कृषि निदेशक से आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए यथावश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

16. बीमा कम्पनी द्वारा फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन की प्रक्रिया का कटाई स्तर पर अनिवार्य रूप से अवलोकन सुनिश्चित कराने हेतु पर्याप्त संख्या में कार्मिकों की नियुक्ति/उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी।
17. प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा बीमित फसलों पर निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोगों का आयोजन व सम्पादन अधिसूचित ग्रामपंचायत स्तर पर प्रत्येक मौसम में सुनिश्चित किया जायेगा।
18. राज्य स्तर पर फसल कटाई प्रयोगों का सम्पादन की प्रक्रिया में स्मार्टफोन का उपयोग सुनिश्चित कराते हुए सम्पादन की प्रक्रिया, फसल की दशा सम्बन्धी चित्र व उपज के आँकड़ों को फसल बीमा एप्प के माध्यम से भारत सरकार के पोर्टल पर प्रेषित किया जायेगा।
19. प्रदेश सरकार द्वारा फसल कटाई प्रयोगों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु प्रयोगों की कटाई स्तर पर अधिकाधिक संख्या में जांच कराई जायेगी एवं भारत सरकार के अपेक्षा के अनुरूप मोबाइल एपलिकेशन का प्रयोग सुनिश्चित किया जायेगा। इसी क्रम में बीमा कम्पनियों द्वारा भी पर्याप्त संख्या में अपने कार्मिकों को फसल कटाई प्रयोगों के कटाई स्तर पर अवलोकन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
20. एक से अधिक वर्ष की अधिसूचना जारी किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा आगामी मौसमों में प्रत्येक जनपद में फसल विशेष के अन्तर्गत अधिसूचित प्रीमियम दर पर 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त ग्रामपंचायतों की संख्या को अधिसूचित या हटाया जा सकेगा।
21. बीमा कम्पनियों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के जनपदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला कृषकों को फसल बीमा योजनाओं में कवर किये जाने हेतु विशेष प्रयास सुनिश्चित किये जायेंगे।
22. केन्द्र व राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा बीमा कम्पनियों के स्तर पर उपलब्ध विवरण/खातों का सत्यापन/ऑडिट किया जायेगा, जिसमें बीमा कम्पनियां द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।
23. **टेक्नोलॉजी फण्ड (Technology Fund)**-भारत सरकार स्तर पर टेक्नोलॉजी फण्ड को स्थापित किया जायेगा। इस फण्ड में ऐसे कृषकों से प्राप्त प्रीमियम की धनराशि को बीमा कम्पनी द्वारा जमा कराया जायेगा, जहां Area correction factor के कारण कृषक के प्रीमियम की देयता कम निर्धारित होती है। इसी प्रकार बीमा कम्पनी पर लगाये गये आर्थिक दण्ड को भी टेक्नोलॉजी फण्ड में बीमा कम्पनी द्वारा जमा कराया जायेगा। भारत सरकार द्वारा फण्ड में उपलब्ध धनराशि का उपयोग राज्य द्वारा प्रौद्योगिकी के प्रयोग में होने वाले व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति में किया जायेगा।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

24. **योजना का प्रचार-प्रसार** -बीमा कम्पनी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के जनपदों में योजनानुसार प्रचार-प्रसार मद में व्यय करते हुए ग्राम स्तर तक योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा एवं योजना में अधिकाधिक कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु निम्न कार्यवाही की जायेगी:-

- मौसम के प्रारम्भ में बीमा कम्पनी द्वारा बैंक कार्मिकों व जनसुविधा केन्द्रों के कार्मिकों को योजना के प्राविधानों एवं पोर्टल पर डाटा अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण सुनिश्चित कराया जायेगा।
- मौसम के प्रारम्भ में ही बीमा कम्पनी द्वारा राज्य व जनपद स्तर पर फसल बीमा की कार्यशाला का आयोजन कराया जायेगा। कार्यशाला में सम्बन्धित विभागों के अधिकारी, बैंकों तथा जनसुविधा केन्द्रों के संचालक, जनप्रतिनिधि, कृषक, कृषि उत्पादक संघ आदि की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जायेगी, ताकि योजना के प्राविधानों व समय-सीमा की जानकारी सम्बन्धित को सुलभ हो सके।
- बीमा कम्पनी द्वारा योजना का प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से करने हेतु प्रचार-प्रसार के विविध संसाधनों का उपयोग करते हुए ग्राम स्तर तक कराया जायेगा। बैंक शाखाओं के स्तर पर बीमा कम्पनी का पूर्ण पता व अधिकारी का मोबाइल नम्बर, बीमा एजेण्ट का सम्पर्क विवरण, टोल फ्री नम्बर आदि प्रदर्शित की जायेगी।
- स्थानीय प्रिण्ट व इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा अन्य लोकप्रिय माध्यमों से ग्रामपंचायत स्तर तक योजना का प्रचार-प्रसार कराया जायेगा।
- जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों, मा0 मंत्रीगण को योजना की जानकारी तथा अद्यावधिक प्रगति रिपोर्ट बीमा कम्पनी द्वारा समय-समय पर सम्पर्क कर तथा अन्य संसाधनों का उपयोग कर उपलब्ध करायी जायेगी।
- ब्लाक स्तर पर नियुक्त किये गये प्रत्येक बीमा मध्यस्थ का कृषकों द्वारा सम्पर्क करने के समय, दिन व स्थान आदि का बैंक शाखाओं/बीमा इकाई स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जायेगा, जिससे कृषक सुगमता से उनसे सम्पर्क कर सकें।
- बीमा कम्पनी द्वारा संयुक्त टोलफ्री नं0 जारी किये जायेंगे, जिस पर कृषकों द्वारा स्थानिक आपदाओं व फसल कटाई के उपरान्त 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल की क्षति की स्थिति में योजना के प्राविधानों के अनुरूप आपदा के 72 घंटे के अन्दर व्यक्तिगत क्षति की सूचना दी जा सके।
- बीमा कम्पनी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के जनपदों में योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाने की विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रत्येक मौसम में अग्रिम रूप से केन्द्र व राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा।

25. अधिसूचित फसल के उत्पादक सभी किसानों के लिए योजना स्वैच्छिक होगी। यदि ऋणी कृषक द्वारा योजना में सहभागिता न करनी हो तो ऐसे ऋणी कृषकों को अपने बैंक शाखा स्तर पर बीमा कराने की अंतिम तिथि के सात दिन पहले तक योजनान्तर्गत प्रतिभागिता नहीं करने के सम्बन्ध में लिखित रूप से अवगत कराना होगा। सभी बैंकों को इस सम्बन्ध में प्रचार अभियान चलाते हुए अपने ऋणी कृषकों को अवगत कराना होगा।

26. बैंक/बीमा मध्यस्थ/जनसुविधा केन्द्रों द्वारा प्रीमियम की धनराशि का बीमा कम्पनी को प्रेषण RTGS/NEFT अथवा फसल बीमा पोर्टल के Payment gateway (Pay-Gov) के माध्यम से तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

बीमा कम्पनी द्वारा इसी प्रकार कृषकों को देय क्षतिपूर्ति का भुगतान सम्बन्धित कृषकों के बैंक खाते में आवश्यक रूप से RTGS/NEFT अथवा फसल बीमा पोर्टल के Payment gateway (Pay-Gov) के माध्यम से सुनिश्चित कराया जायेगा।

27. सभी बैंक शाखाओं द्वारा योजना में बीमा कवरेज प्रदान करने हेतु कृषकों के आधार नम्बर को अनिवार्य रूप से कृषकों से प्राप्त किया जायेगा।

28. भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप योजना के संचालन में समय-समय पर आये विवादों का निराकरण सुनिश्चित कराया जायेगा।

29. प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन तथा जनपद स्तर पर प्रभावी व समयबद्ध संचालन हेतु विभिन्न समितियों का गठन व कार्य-

राज्य स्तर-

राज्य स्तरीय समन्वय समिति (State Level Co-ordination Committee on Crop Insurance/SLCCCI)-

प्रदेश में फसल बीमा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा प्रत्येक मौसम में फसल बीमा योजनाओं के अन्तर्गत क्षेत्र व फसलों का चयन, बीमित राशि, इन्डेम्निटी स्तर, बीमा की इकाई व बीमा कम्पनियों से आमंत्रित की जाने वाली निविदा शर्तों के निर्धारण के साथ ही प्रदेश में योजना के संचालन की प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति (State Level Technical Advisory Committee/SLTAC)-

प्रमुख सचिव, कृषि, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति गठित की गयी है जिसके द्वारा जनपद में फसल के उपज के आंकड़ों में विसंगति व अन्य सन्दर्भित किये गये प्रकरणों पर नियमानुसार निर्णय लेते हुए प्रकरण का निराकरण किया जायेगा।

जनपद स्तर-

जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति (District Level Monitoring Committee/DLMC)

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित इस समिति द्वारा प्रत्येक माह (आपदा की स्थिति में यथा आवश्यकतानुसार माह के मध्य में भी) समिति की बैठक आहूत करते हुए योजना के प्रचार-प्रसार, कृषकों की सहभागिता, फसलों के क्षेत्रफल में विसंगति, फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन तथा फसल कटाई प्रयोगों से सम्बन्धित आँकड़ों में विसंगति का निराकरण, क्षतिपूर्ति की धनराशि का बैंकों द्वारा कृषकों के खातों में समायोजन आदि की समीक्षा के साथ ही योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में समय-समय पर आ रही सभी कठिनाइयों का निराकरण व समाधान जनपद स्तर पर सुनिश्चित कराया जायेगा। जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति द्वारा जनपद में कृषक, बैंक शाखाओं व बीमा कम्पनी द्वारा सन्दर्भित किये गये प्रकरण/शिकायत के निराकरण हेतु जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय संयुक्त समिति, जनपद स्तरीय शिकायत निराकरण समिति तथा जनपद स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति के स्तर पर कृत कार्यवाही/निर्णय की समीक्षा तथा जनपद में फसल बीमा योजनाओं के क्रियान्वयन में समय-समय पर आ रही सभी कठिनाइयों का समय से निराकरण की कार्यवाही की जायेगी।

जिला स्तरीय संयुक्त समिति (District Level Joint Committee)-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण ग्रामपंचायत स्तर पर व्यापक रूप से फसल की बुआई न कर पाने, असफल बुवाई की स्थिति तथा खड़ी फसलों की कटाई से 15 दिन पूर्व तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण ग्राम पंचायत में फसल की उपज में 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति की स्थिति में जनपद के राजस्व व कृषि विभाग के क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत कार्मिक द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में उल्लिखित आपदाओं से प्रभावित ग्रामपंचायत व प्रभावित फसल की सूचना प्राथमिकता पर आपदा के 03 कार्यदिवस के अन्दर जिलाधिकारी/उप कृषि निदेशक कार्यालय में दी जायेगी। जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर स्वयं अथवा उप कृषि निदेशक कार्यालय के प्रस्ताव के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों व प्रभावित फसलों की लिखित सूची जनपद के उप कृषि निदेशक की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय संयुक्त समिति के सदस्यों, जिसमें प्रभावित क्षेत्र का राजस्व निरीक्षक, उप कृषि निदेशक द्वारा नामित कृषक प्रतिनिधि व बीमा कम्पनी का प्रतिनिधि सदस्य है, को जारी की जायेगी। इसी प्रकार स्थानिक आपदाओं व फसल कटाई के उपरान्त ग्राम पंचायत में 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में क्षति की बीमित कृषकों से व्यक्तिगत दावा की स्थिति में भी उप कृषि निदेशक द्वारा प्रभावित क्षेत्रों व प्रभावित फसलों की सूचना प्रभावित क्षेत्र का राजस्व निरीक्षक, उप कृषि निदेशक द्वारा नामित कृषक प्रतिनिधि व बीमा कम्पनी का प्रतिनिधि सदस्य है, को जारी की जायेगी।

जनपद में उप कृषि निदेशक द्वारा योजनान्तर्गत खड़ी फसलों को स्थानिक आपदाओं व फसल कटाई के उपरान्त ग्राम पंचायत में 25 प्रतिशत से कम क्षेत्र में क्षति की बीमित कृषकों से व्यक्तिगत दावा की स्थिति में कृषि विभाग का प्रतिनिधि को नामित किया जायेगा जिसकी उपस्थिति में बीमा कम्पनी के सर्वेयर द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर क्षति के आंकलन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

जिला स्तरीय संयुक्त समिति द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में निर्धारित समय सीमा में संयुक्त सर्वेक्षण करते हुए फसलों की क्षति का आंकलन किया जायेगा एवं सर्वेक्षण रिपोर्ट तत्काल बीमा कम्पनी को कृषकों को देय क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी। बीमा कम्पनी की संयुक्त समिति के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में योजना के प्राविधानों के अनुरूप निर्धारित समय सीमा में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में संयुक्त रूप से क्षति का आंकलन कर रिपोर्ट बीमा कम्पनी को उपलब्ध करायी जायेगी एवं बीमा कम्पनी द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर कृषकों को समयबद्ध रूप से आंशिक क्षतिपूर्ति/तात्कालिक सहायता का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

जिला स्तरीय संयुक्त समिति द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति उप कृषि निदेशक को भी उपलब्ध करायी जायेगी। उप कृषि निदेशक द्वारा जिला स्तरीय संयुक्त समिति की सर्वेक्षण/कार्यवाही रिपोर्ट को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति की बैठक में प्रस्तुत की जायेगी। उसकी प्रति कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को भी दी जायेगी।

जिला स्तरीय शिकायत निराकरण समिति (District level Grivances Redressal Committee/DGRC)-

जनपद के उप कृषि निदेशक द्वारा कृषकों/बैंकों/सम्बन्धित विभागों/बीमा कम्पनी से प्राप्त लिखित शिकायतों/ सम्बन्धित किये गये प्रकरणों का अधिकतम 15 दिनों में निस्तारण समिति की बैठक में विचारोपरान्त सुनिश्चित कराते हुए सम्बन्धित शिकायतकर्ता को सूचित किया जायेगा। जनपद स्तर पर शिकायतों के समयबद्ध निराकरण हेतु बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा जिला कृषि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bharatiyashasanadesh.org

अधिकारी/उप कृषि निदेशक कार्यालय से आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए समिति की बैठक में अपेक्षित सूचनाओं को प्रस्तुत करेंगे। उप कृषि निदेशक द्वारा जनपद स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट एवं समाधान न हो सकने पर शिकायतों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति के संज्ञान में लाते हुए निस्तारित कराया जायेगा।

जिला स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति (District Level Technical Advisory Committee/DLTAC)-

फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त फसलों की उपज के आँकड़ों में विसंगति के जनपद स्तर पर सन्दर्भित किये गये प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जायेगी। जनपद में फसल कटाई प्रयोगों के नियोजन में विसंगति से सम्बन्धित सन्दर्भित प्रकरणों के निराकरण, फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन की प्रक्रिया का बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा कटाई स्तर पर अवलोकन, फसल कटाई प्रयोगों से सम्बन्धित विवरण को फसल बीमा पोर्टल पर प्रेषण हेतु क्षेत्रीय कार्मिकों के मोबाइल नम्बर को पोर्टल पर पंजीकरण आदि का अनुश्रवण भी समिति द्वारा किया जायेगा। समिति द्वारा उप कृषि निदेशक के माध्यम से अपनी बैठकों की कार्यवाही रिपोर्ट जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

30. राज्यांश की मांग-

30.1 बीमा कम्पनियों की राज्यांश की समस्त मांग के भुगतान हेतु कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश अधिकृत होगें।

30.2 बीमा कम्पनियों द्वारा प्रीमियम पर अनुदान मद में राज्यांश की मांग एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लि0 के माध्यम से राज्य के नोडल विभाग (निदेशक कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0) को प्रस्तुत की जायेगी। सम्बन्धित मॉग को बीमा कम्पनी द्वारा अनिवार्य रूप से भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

30.3 बीमा कम्पनियों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के जनपदों में गत मौसम में योजना की प्रगति विवरण के आधार पर राज्यांश की मॉग अग्रिम के रूप में योजनावार खरीफ मौसम में दिनांक 31 जुलाई एवं रबी मौसम में दिनांक 31 दिसम्बर तक निदेशक, कृषि सांख्यकी एवं फसल बीमा उ0प्र0 कार्यालय को एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लि0 तथा भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से समस्त सूचनाओं/विवरण/ प्रमाणपत्रों के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

30.4 बीमा कम्पनी द्वारा खरीफ मौसम में दिनांक 31 जुलाई एवं रबी मौसम में दिनांक 31 दिसम्बर के 60 कार्यदिवस के अन्दर अपने कार्यक्षेत्र के जनपदों में योजनावार अधिसूचित बीमा ईकाई क्षेत्रवार व बीमित कृषकवार बीमा की प्रगति विवरण (पोर्टल पर उपलब्ध प्रगति विवरण के अनुरूप) के आधार पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु राज्यांश की द्वितीय मांग व पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु राज्यांश की अंतिम मांग को समस्त सूचनाओं/विवरण/प्रमाणपत्रों के साथ भुगतान हेतु कृषि विभाग को एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लि0 तथा भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.prativyashasanadesh.org

30.5. वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत बजटीय स्वीकृति में से वर्तमान वर्ष में राज्यांश की देयता के साथ-साथ विगत वर्षों के राज्यांश की अवशेष देयताओं का भुगतान/समायोजन कृषि निदेशक के संज्ञान में लाते हुए निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा।

30.6 बीमा कम्पनी द्वारा राज्यांश की मांग के साथ निम्न आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जायेगा-

- बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की जा रही राज्यांश की मांग सम्बन्धित मौसम में अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल मात्र के लिए ही प्रस्तुत की जा रही है।
- कृषकों द्वारा क्षेत्र विशेष में अधिसूचित फसल हेतु मात्र एक बार ही बीमा कवरेज प्रदान किया गया है।
- बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गयी मांग में किसी भी विसंगति हेतु सम्बन्धित बीमा कम्पनी स्वयं उत्तरदायी होगी।
- बीमा कम्पनी द्वारा राज्यांश के रूप में जितनी धनराशि की माँग राज्य सरकार से की जा रही है, उतनी ही धनराशि की मांग केन्द्र सरकार से भी की गयी है।
- बीमा कम्पनी के स्तर पर राज्यांश की पूर्व में भुगतान की गयी समस्त धनराशि का उपभोग कम्पनी द्वारा सुनिश्चित कर लिया गया है एवं उपभोग प्रमाण पत्र निदेशक कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

31. भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी में फसल बीमा योजनाओं के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा सुझाये गये Risk Sharing माडलों में से Cup&Cap (80-110) Model को प्रदेश में लागू किया जायेगा। माडल के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं:-

Parameters	**Specifications**
Risk Sharing	0 प्रतिशत तक की क्षति बीमा कम्पनी द्वारा वहन की जायेगी। 0 प्रतिशत से अधिक की क्षति राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।
Surplus sharing	• 80 प्रतिशत से कम क्लेम होने की दशा में बीमा कम्पनी द्वारा (80-वास्तविक क्षति प्रतिशत) राज्य सरकार को वापस की जायेगी। • केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक समूह पर आंकलित Burn Cost+15% या बीमा कम्पनी द्वारा उद्धृत L1 प्रीमियम दर में से जो कम हो तक तक की प्रीमियम राशि पर अनुदान को सीमित रखा गया है। • इस माडल में Profit में केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा ही Profit वहन किया जायेगा।
Conditions-	
Liabilities-	a. केंद्र सरकार की सब्सिडी साझाकरण चालू वर्ष के लिए गणना की गई क्लस्टर स्तर की Burn Cost+15% (प्रशासनिक और अन्य खर्चों के लिए) या L1 उद्धृत वास्तविक प्रीमियम दर, जो भी कम हो, तक सीमित होगा। b. केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ किसी भी दावे की देनदारी में भागीदारी नहीं करेगी। c. राज्य सरकार और बीमा कंपनी के बीच दावा देनदारियों का बंटवारा समूह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

	स्तर पर निर्धारण किया जायेगा।
Surplus sharing	a. यदि Claim Premium Ratio 80% से कम है तो केंद्र सरकार राज्य के साथ Surplus (यदि कोई हो) साझा नहीं करेगी। b. बीमा कम्पनी और राज्य सरकार के बीच Surplus का साझाकरण समूह स्तर पर किया जाएगा। c. कोई भी Surplus वापस राज्य के खजाने में जमा किया जाएगा।

Conditions-

I. Liabilities -

a. Central Government subsidy sharing will be restricted to cluster level burn cost calculated for the current year + 15% of burn cost (towards administrative and other expenses) or L-1 quoted actuarial premium rates, whichever is lower.

b. Central Government will NOT PARTICIPATE with State Government in any claim liability.

c. Sharing of claim liabilities between Insurance Company and State Government will be done at cluster level or at the level of determination of L-1 bidder.

II. Surplus Sharing -

a. Central Government will NOT SHARE surplus (if any) with State Government if the claim ratio is less than 80%

b. Surplus sharing between Insurance Company and State Government will be done at cluster level or at the level of determination of L-1 bidder.

c. Any surplus shall be deposited back to State Treasury.

राज्य सरकार व बीमा कम्पनी के बीच दावा/देनदारियों का बंटवारा समूह स्तर (PMFBY+RWBCIS) पर प्रतिवर्ष (खरीफ+रबी मौसम के आधार पर) निर्धारण किया जायेगा।

32. Financial Preconditions for the Implementation of the Scheme :

As per Section 64 VB of Insurance Act, 1938 (as amended from time to time), the premium is required to be received by the insurer before assumption of the risk. PMFBY being a Government sponsored scheme, some relaxations are given in this provision. Nevertheless, in order to ensure timely release of subsidy and to maintain strict financial discipline in the scheme, following shall be adhered to:

I. All the financial transactions (subsidy and claims) shall be routed through National Crop Insurance Portal.

II. The States/UTs are required to commit their liabilities in advance as per modalities mentioned hereunder:

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

a. **Escrow Account:** The 50% of the advance upfront premium subsidy based on the corresponding previous season's premium would be remitted to the insurance company by the State Government at the time of allocation of work through an escrow account system.

b. The escrow account shall be jointly administered by the State Government and GoI and maintained in any Scheduled Commercial Bank to be chosen by the State Govt.

c. **NCIP would only be opened for enrolment on remitting of the above-mentioned advance upfront premium by the concerned State Government to the Insurance company.**

d. Subsequent tranches of the premium subsidy would be released, as per seasonality discipline, on reconciliation of data and submission of demand by the respective Insurance Companies.

e. The release of subsidy shall follow a seasonal chronology. The subsidy for the previous season is to be cleared before proceeding to next season.

f. Not withstanding any legal order specifically restricting the release of subsidy the subsidy component of previous season shall be settled first from any future contributions.

III. The release of GoI subsidy shall not be dependent on release of State subsidy. The insurance companies shall raise simultaneous demand for State and Central Government share. Claims on pro-rata basis can be released to the farmers as per the GoI subsidy.

33. **उपज के आंकलन में तकनीक का उपयोग-**

33.1 फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन, विश्लेषण एवं क्षतिपूर्ति की पूर्व व्यवस्था लागू रहेगी। उसके अतिरिक्त YES-TECH (Yield Estimation System through Technology) प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपज अनुमान प्रणाली भारत सरकार द्वारा विकसित की गयी है।

33.2 जिन प्रदेशों/जनपदों में YES-TECH प्रणाली लागू की जायेगी, उनके लिए भारत सरकार द्वारा Crop Model Matrix (CMM) Notify किया जायेगा। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में खरीफ 2024 से YES-TECH लागू करना है। प्रदेश में खरीफ 2023 में चयनित जनपदों में पायलेट आधार पर लागू किया जायेगा।

33.3 YES-TECH (Yield Estimation System through Technology) के माध्यम से उपज का आंकलन प्रदेश में वर्ष 2023 में अधिकतम क्लेम रेशियो वाले जनपद मथुरा, महोबा, ललितपुर, गोण्डा, कासगंज एवं न्यूनतम क्लेम रेषियो वाले जनपद रायबरेली, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर व सुल्तानपुर में पायलट आधार पर लागू किया जायेगा। पायलेट अध्ययन से प्राप्त आँकड़ों का उपयोग वर्ष 2023 में फसल कटाई प्रयोगों पर आधारित उपज के आँकड़ों से तुलना हेतु किया जायेगा तथा क्षतिपूर्ति के आंकलन में इसका उपयोग नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

34. बीमा कम्पनी के जनपदीय/तहसील स्तरीय कार्यालय पर कार्यरत स्टाफ द्वारा बैंक शाखाओं से प्राप्त उपभोग प्रमाण पत्र के आधार पर 5 प्रतिशत लाभार्थी कृषकों के बैंक खाते में क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा कराये जाने का सत्यापन बैंक शाखाओं के स्तर पर करते हुए रिपोर्ट जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति एवं निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 को प्रस्तुत की जायेगी। बीमा कम्पनी के प्रदेशीय व मुख्यालय स्तर से कम से कम 1 या 2 प्रतिशत लाभार्थी कृषकों के बैंक खाते में क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा कराये जाने का सत्यापन किया जायेगा। प्रदेश शासन व भारत सरकार स्तर पर नेशनल लेवल मानीटरिंग समिति द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार सत्यापन कराया जायेगा।

35. योजना के क्रियान्वयन में केन्द्र व राज्य सरकार की वित्तीय देयता प्रीमियम पर अनुदान मद तक सीमित होगी। योजना के क्रियान्वयन में अन्य सभी मदों तथा कृषकों को देय समस्त क्षतिपूर्ति को पूर्णरूपेण क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में अधिकृत बीमा कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य में लागू 80-110 माडल के अनुरूप Surplus/Liability की गणना प्रत्येक वर्ष (खरीफ+रबी) में (PMFBY+RWBCIS) में किया जायेगा तथा उसी के अनुसार राज्य सरकार और बीमा कम्पनी के मध्य दावा/देनदारी का निस्तारण किया जायेगा। बीमा कम्पनी द्वारा कृषकों को देय क्षतिपूर्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के 07 दिन के उपरान्त भुगतान करने पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दंड ब्याज वहन करते हुए कृषकों को भुगतान करना होगा। बीमा कम्पनी द्वारा राज्य सरकार के नोडल विभाग को निर्धारित समय-सीमा में राज्यांश की मांग अवश्य प्रस्तुत की जानी आवश्यक होगी। बीमा कम्पनी द्वारा राज्यांश की मांग निर्धारित समय-सीमा में नहीं करने पर कृषकों की देय क्षतिपूर्ति को रोका नहीं जायेगा।

36. क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में अधिकृत बीमा कम्पनियों द्वारा संयुक्त रूप से कॉल सेन्टर (Call Centre) को अधिसूचना जारी किये जाने के 30 दिन के अन्दर प्राथमिकता पर संयुक्त रूप से व्ययभार वहन करते हुए स्थापित कराया जायेगा। कॉल सेन्टर द्वारा कृषकों व सम्बन्धित विभागों द्वारा किये गये प्रश्नों/शिकायतों को प्राप्त करते हुए सम्बन्धित बीमा कम्पनी को प्राथमिकता पर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया जायेगा।

37. बीमा कम्पनियों को फसल धान के बीमा इकाई क्षेत्रवार उपज के आँकड़े विभाग द्वारा चावल के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

38. बीमा कम्पनी द्वारा कृषकों/सम्बन्धित संस्थाओं/विभागों द्वारा संदर्भित की गई समस्याओं/कठिनाईयों/सूचनाओं का निस्तारण भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराते हुए अपेक्षित सूचनाओं को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। जनसूचना/जनसुनवाई/कोर्टकेस/लोकसभा प्रश्न/राज्यसभा प्रश्न/विधानसभा प्रश्न/विधान परिषद प्रश्न/उपभोक्ता फोरम/जन प्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर की गयी प्रेक्ष्याओं/कार्यवाही को निर्धारित समय-सीमा में उत्तर/निष्पादन सुनिश्चित कराया जायेगा।

39. कृषि विभाग द्वारा खरीफ तथा रबी मौसम में अधिसूचित फसलों के अधिसूचित क्षेत्रवार उपज के ऑकड़े फसल कटाई के पूर्ण होने के एक माह की समयावधि में ऑकलित करते हुए क्रियान्वयन अभिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

40. बैंकों /बीमा कम्पनी द्वारा योजनान्तर्गत लाभार्थी कृषकों की सूची एवं वितरित क्षतिपूर्ति का विवरण बैंक शाखा स्तर एवं ग्राम पंचायत कार्यालय स्तर पर प्रत्येक मौसम में चस्पा करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bharatyashasanadesh.org

41. कृषकों को बीमा कवरेज प्रदान करने तथा क्षतिपूर्ति के निर्धारण व वितरण की पूरी प्रक्रिया में कृषकों को हतोत्साहित करने की किसी भी स्थिति में क्रियान्वयन अभिकरण के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

42. भारत सरकार स्तर से क्रियान्वयन अभिकरण को फसल बीमा योजनाओं में कृषकों की फसलों को कवरेज प्रदान करने हेतु D-Empanelled किया जाता है अथवा फसल बीमा योजनाओं के प्राविधानों में व्यापक संशोधन किये जाते हैं तो तद्नुसार क्रियान्वयन अभिकरण के निर्धारित कार्य क्षेत्र एवं दायित्वं को संशोधित/निरस्त किया जा सकता है।

43. राज्य सरकार एवं क्रियान्वयन अभिकरण बैंकों के संगत रिकार्ड तक अपनी पहुँच रखेंगे एवं बैंकों द्वारा इसमें आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

44. क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा योजना की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह अथवा आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर अपर मुख्य सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन तथा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

45. **दण्ड (Penalty)**–

फसल बीमा योजनाओं के संचालन के महत्वपूर्ण बिन्दुओं, जिससे योजना का क्रियान्वयन प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हो रहा है, अथवा कृषक को योजना के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ समय से प्राप्त नहीं हो रहा है, की स्थिति में प्रत्येक मौसम में बीमा कम्पनी के प्रदर्शन की समीक्षा की जायेगी एवं परिशिष्ट-7 में उल्लिखित तालिका के अनुरूप आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा। आर्थिक दण्ड/दण्डात्मक कार्यवाही के विरूद्ध बीमा कम्पनी को अपना पक्ष एक माह के अन्दर प्रदेश शासन को प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। अपर मुख्य सचिव, कृषि, उ0प्र0 शासन का इस सम्बन्ध में लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

46. योजना की विस्तृत जानकारी हेतु जनपद के अधिकृत क्रियान्वयन अभिकरण अथवा जनपदीय उप कृषि निदेशक अथवा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ से सम्पर्क किया जा सकता है।

<u>संलग्नकः उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 57/2023/1035(3)/476477/12-2-2023/60(3)/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. **सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001**
2. **सचिव, भारत सरकार, वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, अम्बरदीप, नई दिल्ली।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

3. श्री रितेश चौहान, सी.ई.ओ., प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
4. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
9. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. अपर मुख्य सचिव, उद्यान विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. निजी सचिव, सचिव एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
14. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश, 14-विधान सभा मार्ग, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।
15. महानिदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उ0प्र0, 16-विधान सभा मार्ग, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।
16. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।
17. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, 2-सप्रू मार्ग, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।
18. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।
19. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, 2-महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।
20. महाप्रबन्धक, ग्रामीण आयोजना एवं ऋण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, 8-9 विपिनखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।
21. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), 11-विपिनखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।
22. महाप्रबन्धक (प्रशासन), भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोती महल मार्ग, हजरतगंज लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।
23. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक आफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि समस्त सम्बन्धित बैंकों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

pg VI

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

24. अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लि0, प्लेट बी व सी, ऑफिस ब्लॉक 1, पांचवा तल, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

25. प्रबन्ध निदेशक, इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, इफको टावर, पंचम तल, प्लाट नं0-3, सेक्टर-29, गुड़गॉव, हरियाणा द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

26. नेशनल मैनेजर, एस.बी.आई. जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, 9वॉं तल, ए एण्ड बी विंग, फुलक्रम बिल्डिंग, सहर रोड, अंधेरी (पूर्व) मुंबई द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

27. मुख्य विपणन अधिकारी, यूनीवर्सल सोमपो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, 103, प्रथम तल, आकृति स्टार, एमआईडीसी सेन्ट्रल रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

28. प्रबन्ध निदेशक, एच0डी0एफ0सी0-एरगो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, डी-301, तृतीय तल, ईस्टर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (मैगनेट माल), एलबीएस मार्ग, भानडप (W) मुम्बई द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

29. महाप्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, विभूतिखण्ड, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

30. सहायक महाप्रबन्धक, बैंक आफ इण्डिया, जोनल कार्यालय, स्टार हाउस, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

31. सहायक महाप्रबन्धक, केनरा बैंक, सर्किल आफिस, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

32. उप महाप्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जोनल कार्यालय, प्रथम तल, 73-एम0जी0 मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

33. सर्किल हेड, पंजाब नेषनल बैंक, जोनल कार्यालय, 9-विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

34. महाप्रबंन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, 1-मोती महल मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

35. महाप्रबन्धक, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, यूनियन बैंक भवन, निकट मंत्री आवास, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

36. सहायक महाप्रबन्धक, बैंक आफ महाराष्ट्र, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, प्लाट नं0-12, महानगर नार्थ हाउसिंग को-आपरेटिव सोसाइटी, सेक्टर-9, विकास नगर, लखनऊ।

37. महाप्रबन्धक, आई0डी0बी0आई0 बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, नार्थ-II, किसान सहकारी भवन, तृतीय तल, 2-महात्मा गॉधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

38. जोनल मैनेजर, इण्डियन बैंक, सर्किल आफिस, 2 बी, हबीबुल्लाह इस्टेट, 11-महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

39. महाप्रबन्धक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, तीसरी मंजिल, नव चेतना केन्द्र, अशोक मार्ग, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

40. ज़ोनल मैनेजर, पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, जोनल कार्यालय, लालबाग, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

41. उप महाप्रबन्धक, यूको बैंक, सर्किल आफिस, बी-1/122, विनीतखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

42. मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, केन्द्रीय क्षेत्र, 4-बी, हबीबुल्लाह इस्टेट, हजरतगंज, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

43. सर्किल हेड, एक्सिस बैंक लि0, प्रथम तल, प्लाट नं0-जी-4/5-बी, सेक्टर-4, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

44. जोनल हेड, एच.डी.एफ.सी. बैंक, द्वितीय तल, प्रणय टावर्स, 38 दरबारी लाल शर्मा मार्ग, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

45. जोनल हेड, आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लि0, 31/54, तृतीय तल, शालीमार टावर, एम0जी0 मार्ग, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

46. सहायक उपाध्यक्ष, इण्डसइण्ड बैंक लि0, ओल्ड बसंत बिल्डिंग, हाउस नं0-45/2, एन0के0 रोड, लालबाग, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

47. वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोटक महिन्द्रा बैंक लि0, क्षेत्रीय कार्यालय, 335, प्रथम तल, लेखराज मार्केट-3, इन्दिरानगर, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

48. ए0वी0पी0 एवं एरिया हेड, फेडरल बैंक, 2/8, विवेकखण्ड-2, निकट मिठाईवाला चौराहा, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

49. जोनल हेड, जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि0, प्लाट नं0-132-134, सेक्टर-44, गुड़गाँव, हरियाणा-122002 द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

50. सहायक महाप्रबन्धक, कर्नाटका बैंक लि0, प्लाट नं0-118, बर्लिंग्टन स्क्वायर, विधान सभा मार्ग, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

51. अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नैनीताल बैंक लि0, नैनीताल बैंक हाउस, 7 ओक्स बिल्डिंग, मल्लीताल, नैनीताल-263001 द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

52. महाप्रबन्धक, साउथ इण्डियन बैंक लि0, पोस्ट बाक्स नं0-5729, डोर नं0-1/18-20, व्हाइट हाउस, द्वितीय तल, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-110055 द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

53. अध्यक्ष, प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक, रामगंगा विहार, फेज-प्प्, पोस्ट बाक्स नं0-446, मुरादाबाद-224001 द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

54. अध्यक्ष, ग्रामीण बैंक आफ आर्यावर्त, हेड आफिस, ए-2/46, विजयखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

55. अध्यक्ष, बड़ौदा यू0पी0 ग्रामीण बैंक, हेड आफिस, ए-1, सिविल लाइन्स, रायबरेली-229001 द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

56. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, हेड आफिस, 10 माल एवेन्यू, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

57. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, 2-महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

58. समस्त जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

59. सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।

आज्ञा से,
(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिशिष्ट - 1

वर्ष 2023-24, 2024-25 व 2025-26 के खरीफ व रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जनपदवार अधिसूचित फसलों का विवरण

क्र० सं०	जनपद	अधिसूचित फसलें	
		खरीफ	रबी
1	सहारनपुर	धान, मक्का, मूँगफली	गेहूँ, मसूर
2	मुजफ्फरनगर	धान	गेहूँ, लाही-सरसों, आलू
3	शामली	धान	गेहूँ, लाही-सरसों
4	मेरठ	धान, मक्का,	गेहूँ, लाही-सरसों, आलू
5	बागपत	धान	गेहूँ, लाही-सरसों
6	बुलन्दशहर	धान, मक्का, बाजरा, उर्द, अरहर	गेहूँ, जौ, लाही-सरसों, आलू
7	गाजियाबाद	धान	गेहूँ, लाही-सरसों
8	गौतम बुद्ध नगर	धान, बाजरा	गेहूँ
9	हापुड़	धान	गेहूँ, लाही-सरसों, आलू
10	अलीगढ़	धान, मक्का, बाजरा, अरहर	गेहूँ, जौ, मसूर, लाही-सरसों, आलू
11	हाथरस	धान, मक्का, बाजरा, अरहर	गेहूँ, जौ, लाही-सरसों, आलू
12	एटा	धान, मक्का, बाजरा	गेहूँ, लाही-सरसों, आलू
13	कासगंज	धान, मक्का, बाजरा	गेहूँ, लाही-सरसों, आलू
14	आगरा	धान, बाजरा, अरहर	गेहूँ, चना, लाही-सरसों, आलू
15	मथुरा	धान, बाजरा, अरहर	गेहूँ, जौ, लाही-सरसों, आलू
16	फिरोजाबाद	धान, मक्का, बाजरा, तिल	गेहूँ, जौ, लाही-सरसों, आलू
17	मैनपुरी	धान, मक्का, बाजरा, मूँगफली	गेहूँ, चना, मटर, लाही-सरसों, आलू
18	बरेली	धान, बाजरा, उर्द, तिल	गेहूँ, मटर, मसूर, लाही-सरसों, आलू
19	बदायूँ	धान, मक्का, बाजरा, उर्द, तिल	गेहूँ, मसूर, लाही-सरसों, आलू
20	शाहजहाँपुर	धान, मक्का, बाजरा, उर्द, तिल	गेहूँ, मसूर, लाही-सरसों, आलू
21	पीलीभीत	धान	गेहूँ, मटर, मसूर, लाही-सरसों
22	बिजनौर	धान, उर्द, मूँगफली	गेहूँ, मसूर, लाही-सरसों, आलू
23	मुरादाबाद	धान, बाजरा, उर्द	गेहूँ, लाही-सरसों, आलू
24	अमरोहा	धान, मक्का, बाजरा, उर्द	गेहूँ, लाही-सरसों, आलू
25	रामपुर	धान, बाजरा, उर्द	गेहूँ, मसूर, लाही-सरसों, आलू
26	सम्भल	धान, मक्का, बाजरा, उर्द	गेहूँ, लाही-सरसों, आलू
27	फर्रुखाबाद	धान, मक्का, बाजरा, तिल	गेहूँ, मसूर, लाही-सरसों, आलू
28	कन्नौज	धान, मक्का, बाजरा, तिल	गेहूँ, लाही-सरसों, आलू
29	इटावा	धान, मक्का, बाजरा, अरहर	गेहूँ, लाही-सरसों, आलू
30	औरैया	धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उर्द, अरहर	गेहूँ, चना, लाही-सरसों, आलू

PMFBY-ALL_ANNEXURES-2023-24_2024-25_2025-26

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

क्र० सं०	जनपद	अधिसूचित फसलें	
		खरीफ	रबी
31	कानपुर नगर	धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उर्द, तिल, अरहर	गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों, आलू
32	कानपुर देहात	धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उर्द, तिल, अरहर	गेहूँ, जौ, चना, लाही-सरसों
33	फतेहपुर	धान, बाजरा, ज्वार, उर्द, मूँग, तिल, अरहर	गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों, आलू
34	प्रयागराज	धान, बाजरा, ज्वार, अरहर	गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों, आलू
35	कौशाम्बी	धान, बाजरा, ज्वार, उर्द, तिल, अरहर	गेहूँ, चना, मटर, लाही-सरसों, आलू
36	प्रतापगढ़	धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उर्द, अरहर	गेहूँ, चना, मटर, आलू
37	झाँसी	धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उर्द, मूँग, तिल, मूँगफली, सोयाबीन, अरहर	गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों
38	ललितपुर	धान, मक्का, उर्द, मूँग, तिल, मूँगफली, सोयाबीन	गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों
39	जालौन	धान, बाजरा, ज्वार, उर्द, मूँग, तिल, अरहर	गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों
40	हमीरपुर	ज्वार, उर्द, मूँग, तिल, अरहर	गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों, अलसी
41	महोबा	उर्द, मूँग, तिल, मूँगफली, अरहर	गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों, अलसी
42	बाँदा	धान, बाजरा, ज्वार, उर्द, मूँग, तिल, मूँगफली, अरहर	गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों, अलसी
43	चित्रकूट	धान, बाजरा, ज्वार, तिल, अरहर	गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों
44	वाराणसी	धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उर्द, अरहर	गेहूँ, चना, मटर, मसूर, आलू
45	चंदौली	धान, बाजरा, ज्वार, अरहर	गेहूँ, चना, मटर, मसूर, आलू
46	गाजीपुर	धान, बाजरा, ज्वार	गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू
47	जौनपुर	धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उर्द, तिल, अरहर	गेहूँ, चना, मटर, लाही-सरसों, आलू
48	मिर्जापुर	धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, तिल, मूँगफली, अरहर	गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों, आलू, अलसी
49	सोनभद्र	धान, मक्का, ज्वार, उर्द, तिल, अरहर	गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों, अलसी
50	भदोही	धान, बाजरा, अरहर	गेहूँ
51	आजमगढ़	धान, मक्का, अरहर	गेहूँ, जौ, चना, मटर, आलू
52	मऊ	धान,	गेहूँ,
53	बलिया	धान, मक्का, अरहर	गेहूँ, चना, मटर, मसूर, आलू
54	गोरखपुर	धान, मक्का, मूँगफली, अरहर	गेहूँ, लाही-सरसों, आलू

PMFBY-ALL_ANNEXURES-2023-24_2024-25_2025-26

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bharatiyashasanadesh.org

क्र० सं०	जनपद	अधिसूचित फसलें	
		खरीफ	रबी
55	महराजगंज	धान, मूँगफली	गेहूँ, मसूर, लाही-सरसों, आलू
56	देवरिया	धान, मक्का, मूँगफली, अरहर	गेहूँ
57	कुशीनगर	धान, मक्का	गेहूँ, लाही-सरसों
58	बस्ती	धान	गेहूँ
59	सिद्धार्थ नगर	धान	गेहूँ
60	संत कबीर नगर	धान	गेहूँ
61	लखनऊ	धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उर्द	गेहूँ, चना, मसूर, लाही-सरसों, आलू
62	उन्नाव	धान, मक्का, ज्वार, उर्द, मूँग, तिल, मूँगफली, अरहर	गेहूँ, चना, लाही-सरसों, आलू
63	रायबरेली	धान, ज्वार, उर्द, मूँगफली, अरहर	गेहूँ, चना, लाही-सरसों, आलू
64	सीतापुर	धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उर्द, तिल, मूँगफली	गेहूँ, मसूर, लाही-सरसों, आलू
65	हरदोई	धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उर्द, तिल, मूँगफली	गेहूँ, जौ, मटर, मसूर, लाही-सरसों, आलू
66	लखीमपुर खीरी	धान, मक्का, ज्वार, उर्द, मूँगफली	गेहूँ, मसूर, लाही-सरसों
67	अयोध्या	धान	गेहूँ
68	अम्बेडकर नगर	धान	गेहूँ
69	सुल्तानपुर	धान	गेहूँ, मसूर, आलू
70	बाराबंकी	धान, मक्का, ज्वार, उर्द, अरहर	गेहूँ, मसूर, लाही-सरसों, आलू
71	अमेठी	धान	गेहूँ
72	गोण्डा	धान, मक्का	गेहूँ, मसूर, लाही-सरसों
73	बलरामपुर	धान	गेहूँ, मसूर, लाही-सरसों
74	बहराईच	धान, मक्का, अरहर	गेहूँ, मसूर, लाही-सरसों
75	श्रावस्ती	धान, मक्का, अरहर	गेहूँ, मसूर, लाही-सरसों

(सुमिता सिंह)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

परिशिष्ट - 2

वर्ष 2023-24, 2024-25 व 2025-26 के खरीफ व रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में जनपदवार अधिकृत बीमा कम्पनी

क्र० सं०	जनपद	क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में अधिकृत बीमा कम्पनी
1	सहारनपुर	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी
2	मुजफ्फर नगर	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी
3	शामली	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी
4	मेरठ	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी
5	बागपत	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी
6	बुलन्दशहर	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी
7	गाजियाबाद	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी
8	गौतमबुद्ध नगर	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी
9	हापुड़	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी
10	अलीगढ़	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी
11	हाथरस	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी
12	एटा	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी
13	कासगंज	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी
14	आगरा	एच.डी.एफ.सी. एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
15	मथुरा	एच.डी.एफ.सी. एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
16	फिरोजाबाद	एच.डी.एफ.सी. एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
17	मैनपुरी	एच.डी.एफ.सी. एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
18	बरेली	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
19	बदायूँ	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
20	शाहजहाँपुर	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
21	पीलीभीत	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
22	बिजनौर	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
23	मुरादाबाद	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
24	अमरोहा	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
25	रामपुर	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
26	सम्भल	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
27	फर्रुखाबाद	एच.डी.एफ.सी. एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
28	कन्नौज	एच.डी.एफ.सी. एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
29	इटावा	एच.डी.एफ.सी. एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
30	औरैया	एच.डी.एफ.सी. एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
31	कानपुर नगर	एच.डी.एफ.सी. एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
32	कानपुर देहात	एच.डी.एफ.सी. एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।

PMFBY-ALL_ANNEXURES-2023-24_2024-25_2025-26

(सुचित्रा सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

4

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

क्र0 सं0	जनपद	क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में अधिकृत बीमा कम्पनी
33	फतेहपुर	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी
34	प्रयागराज	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी
35	कौशाम्बी	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी
36	प्रतापगढ़	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी
37	झांसी	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
38	ललितपुर	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी
39	जालौन	एस.बी.आई. जनरल इंश्योरेंस कंपनी
40	हमीरपुर	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी
41	महोबा	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
42	बाँदा	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी
43	चित्रकूट	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी
44	वाराणसी	एस.बी.आई. जनरल इंश्योरेंस कंपनी
45	चंदौली	एस.बी.आई. जनरल इंश्योरेंस कंपनी
46	गाजीपुर	एस.बी.आई. जनरल इंश्योरेंस कंपनी
47	जौनपुर	एस.बी.आई. जनरल इंश्योरेंस कंपनी
48	मिर्जापुर	एस.बी.आई. जनरल इंश्योरेंस कंपनी
49	सोनभद्र	एस.बी.आई. जनरल इंश्योरेंस कंपनी
50	भदोही	एस.बी.आई. जनरल इंश्योरेंस कंपनी
51	आजमगढ़	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी
52	मऊ	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी
53	बलिया	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी
54	गोरखपुर	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी
55	महराजगंज	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी
56	देवरिया	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी
57	कुशीनगर	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी
58	बस्ती	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी
59	सिद्धार्थ नगर	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी
60	संत कबीर नगर	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी
61	लखनऊ	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी
62	उन्नाव	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी
63	रायबरेली	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी
64	सीतापुर	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी
65	हरदोई	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी
66	लखीमपुर खीरी	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bharatyashasanadesh.org

क्र0 सं0	जनपद	क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में अधिकृत बीमा कम्पनी
67	अयोध्या	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
68	अम्बेडकर नगर	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
69	सुल्तानपुर	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
70	बाराबंकी	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
71	अमेठी	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
72	गोण्डा	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
73	बलरामपुर	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
74	बहराईच	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
75	श्रावस्ती	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

परिशिष्ट - 3

वर्ष 2023-24, 2024-25 व 2025-26 के खरीफ मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अधिसूचित फसल की जनपदवार इन्डेम्निटी स्तर, बीमित राशि, कृषकों द्वारा वहन की जाने वाली प्रीमियम दर (कृषक अंश), प्रीमियम पर अनुदान के रूप में केन्द्रांश, राज्यांश व कुल प्रीमियम दर का विवरण।

फसल – धान (Paddy)

क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./हे.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % में)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
A	B	C	D	E	F	G	H
1	सहारनपुर	90%	82,700	2.00	0.500	0.500	3.00
2	मुजफ्फर नगर	90%	81,600	2.00	0.500	0.500	3.00
3	शामली	90%	93,200	2.00	0.500	0.500	3.00
4	मेरठ	90%	89,400	2.00	0.500	0.500	3.00
5	बागपत	90%	89,300	2.00	0.500	0.500	3.00
6	बुलन्दशहर	90%	88,000	2.00	0.500	0.500	3.00
7	गाजियाबाद	90%	83,000	2.00	0.500	0.500	3.00
8	गौतमबुद्ध नगर	90%	84,100	2.00	1.000	1.000	4.00
9	हापुड़	90%	85,700	2.00	0.500	0.500	3.00
10	अलीगढ़	90%	79,200	2.00	0.425	0.425	2.85
11	हाथरस	90%	75,500	2.00	1.000	1.000	4.00
12	एटा	90%	83,900	2.00	1.000	1.000	4.00
13	कासगंज	90%	86,100	2.00	2.000	2.000	6.00
14	आगरा	90%	80,000	2.00	0.000	0.000	2.00
15	मथुरा	80%	64,200	2.00	11.500	11.500	25.00
16	फिरोजाबाद	90%	82,700	2.00	0.000	0.000	2.00
17	मैनपुरी	90%	89,100	2.00	0.000	0.000	2.00
18	बरेली	90%	80,500	2.00	1.250	1.250	4.50
19	बदायूँ	90%	76,300	2.00	1.050	1.050	4.10
20	शाहजहाँपुर	90%	1,04,500	2.00	1.250	1.250	4.50
21	पीलीभीत	90%	1,02,900	2.00	1.050	1.050	4.10
22	बिजनौर	90%	82,900	2.00	1.125	1.125	4.25
23	मुरादाबाद	90%	83,900	2.00	1.375	1.375	4.75
24	अमरोहा	90%	78,800	2.00	1.625	1.625	5.25
25	रामपुर	90%	86,000	2.00	1.350	1.350	4.70
26	सम्भल	90%	82,900	2.00	0.970	0.970	3.94
27	फर्रूखाबाद	90%	98,000	2.00	0.000	0.000	2.00
28	कन्नौज	90%	98,400	2.00	0.000	0.000	2.00
29	इटावा	90%	93,600	2.00	0.000	0.000	2.00
30	औरैया	90%	1,02,000	2.00	0.000	0.000	2.00

PMFBY-All_ANNEXURES-2023-24_2024-25_2025-26

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

फसल – धान (Paddy)							
क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./हे.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % मे)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
A	B	C	D	E	F	G	H
31	कानपुर नगर	90%	96,600	2.00	3.000	3.000	8.00
32	कानपुर देहात	90%	1,02,400	2.00	0.750	0.750	3.50
33	फतेहपुर	90%	87,600	2.00	0.950	0.950	3.90
34	प्रयागराज	90%	92,600	2.00	1.750	1.750	5.50
35	कौशाम्बी	90%	78,700	2.00	0.750	0.750	3.50
36	प्रतापगढ़	90%	77,400	2.00	0.475	0.475	2.95
37	झांसी	90%	64,800	2.00	1.050	1.050	4.10
38	ललितपुर	80%	23,900	2.00	9.000	9.000	20.00
39	जालौन	90%	62,700	2.00	4.125	4.125	10.25
40	बाँदा	90%	70,500	2.00	2.000	2.000	6.00
41	चित्रकूट	90%	67,200	2.00	2.125	2.125	6.25
42	वाराणसी	90%	80,200	2.00	1.500	1.500	5.00
43	चंदौली	90%	99,300	2.00	1.525	1.525	5.05
44	गाजीपुर	90%	81,700	2.00	1.500	1.500	5.00
45	जौनपुर	90%	79,800	2.00	1.500	1.500	5.00
46	मिर्जापुर	90%	91,300	2.00	1.500	1.500	5.00
47	सोनभद्र	90%	89,300	2.00	1.500	1.500	5.00
48	भदोही	90%	94,800	2.00	1.550	1.550	5.10
49	आजमगढ़	90%	74,100	2.00	0.750	0.750	3.50
50	मऊ	90%	76,200	2.00	2.000	2.000	6.00
51	बलिया	90%	79,200	2.00	1.500	1.500	5.00
52	गोरखपुर	90%	77,500	2.00	4.000	4.000	10.00
53	महराजगंज	90%	84,000	2.00	0.875	0.875	3.75
54	देवरिया	90%	69,900	2.00	2.500	2.500	7.00
55	कुशीनगर	90%	81,700	2.00	1.375	1.375	4.75
56	बस्ती	90%	83,500	2.00	1.125	1.125	4.25
57	सिद्धार्थ नगर	90%	86,200	2.00	3.000	3.000	8.00
58	संत कबीर नगर	90%	82,200	2.00	0.900	0.900	3.80
59	लखनऊ	90%	77,900	2.00	1.500	1.500	5.00
60	उन्नाव	90%	68,200	2.00	2.125	2.125	6.25
61	रायबरेली	90%	81,000	2.00	0.300	0.300	2.60
62	सीतापुर	90%	81,000	2.00	2.250	2.250	6.50
63	हरदोई	90%	82,300	2.00	1.000	1.000	4.00
64	लखीमपुर खीरी	90%	98,000	2.00	1.500	1.500	5.00

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bharatiyashasanadesh.org

फसल – धान (Paddy)							
क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू/है.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % में)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
A	B	C	D	E	F	G	H
65	अयोध्या	90%	85,200	2.00	1.000	1.000	4.00
66	अम्बेडकर नगर	90%	92,300	2.00	1.000	1.000	4.00
67	सुल्तानपुर	90%	96,400	2.00	1.000	1.000	4.00
68	बाराबंकी	90%	92,900	2.00	1.000	1.000	4.00
69	अमेठी	90%	79,600	2.00	1.000	1.000	4.00
70	गोण्डा	90%	74,200	2.00	1.000	1.000	4.00
71	बलरामपुर	90%	82,200	2.00	1.000	1.000	4.00
72	बहराईच	90%	78,500	2.00	1.000	1.000	4.00
73	श्रावस्ती	90%	78,200	2.00	1.000	1.000	4.00

फसल - मक्का (Maize)							
क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू/है.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % में)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहारनपुर	90%	41,500	2.00	3.500	3.500	9.00
2	मेरठ	90%	46,400	2.00	1.500	1.500	5.00
3	बुलन्दशहर	90%	49,900	2.00	0.500	0.500	3.00
4	अलीगढ	90%	49,100	2.00	1.500	1.500	5.00
5	हाथरस	90%	46,300	2.00	0.250	0.250	2.50
6	एटा	90%	72,700	2.00	1.250	1.250	4.50
7	कासगंज	90%	59,100	2.00	4.000	4.000	10.00
8	फिरोजाबाद	90%	58,700	2.00	0.000	0.000	2.00
9	मैनपुरी	90%	67,400	2.00	0.000	0.000	2.00
10	बदायूँ	90%	53,100	2.00	6.625	6.625	15.25
11	शाहजहाँपुर	90%	43,500	2.00	6.625	6.625	15.25
12	अमरोहा	90%	39,100	2.00	6.625	6.625	15.25
13	सम्भल	90%	49,700	2.00	6.625	6.625	15.25
14	फर्रुखाबाद	90%	70,200	2.00	0.000	0.000	2.00
15	कन्नौज	90%	67,600	2.00	0.000	0.000	2.00
16	इटावा	90%	60,500	2.00	0.000	0.000	2.00
17	औरैया	90%	55,900	2.00	0.000	0.000	2.00
18	कानपुर नगर	90%	56,800	2.00	0.000	0.000	2.00
19	कानपुर देहात	90%	59,700	2.00	0.000	0.000	2.00

(सुचिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

फसल - मक्का (Maize)							
क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./हे.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % मे)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
20	प्रतापगढ़	80%	40,100	2.00	0.000	0.000	2.00
21	झांसी	80%	16,000	2.00	6.625	6.625	15.25
22	ललितपुर	80%	18,800	2.00	4.500	4.500	11.00
23	वाराणसी	90%	35,600	2.00	4.125	4.125	10.25
24	जौनपुर	90%	35,000	2.00	4.125	4.125	10.25
25	मिर्जापुर	80%	25,500	2.00	4.125	4.125	10.25
26	सोनभद्र	90%	23,000	2.00	4.125	4.125	10.25
27	आजमगढ़	80%	36,000	2.00	1.000	1.000	4.00
28	बलिया	80%	30,100	2.00	5.000	5.000	12.00
29	गोरखपुर	80%	26,100	2.00	11.500	11.500	25.00
30	देवरिया	80%	44,500	2.00	7.965	7.965	17.93
31	कुशीनगर	80%	54,000	2.00	6.975	6.975	15.95
32	लखनऊ	90%	33,600	2.00	4.500	4.500	11.00
33	उन्नाव	80%	40,300	2.00	4.000	4.000	10.00
34	सीतापुर	80%	22,300	2.00	5.500	5.500	13.00
35	हरदोई	90%	47,100	2.00	3.000	3.000	8.00
36	लखीमपुर खीरी	80%	29,200	2.00	7.500	7.500	17.00
37	बाराबंकी	90%	28,500	2.00	4.000	4.000	10.00
38	गोण्डा	80%	23,900	2.00	4.000	4.000	10.00
39	बहराईच	80%	29,600	2.00	4.000	4.000	10.00
40	श्रावस्ती	80%	18,700	2.00	1.475	1.475	4.95

फसल – बाजरा (Bajra)							
क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./हे.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % मे)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बुलन्दशहर	90%	47,400	2.00	1.000	1.000	4.00
2	गौतमबुद्ध नगर	90%	33,600	2.00	1.000	1.000	4.00
3	अलीगढ़	90%	55,200	2.00	1.500	1.500	5.00
4	हाथरस	90%	57,400	2.00	1.500	1.500	5.00
5	एटा	90%	62,100	2.00	0.750	0.750	3.50
6	कासगंज	90%	63,600	2.00	2.500	2.500	7.00

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फसल – बाजरा (Bajra)

क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./हे.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % में)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
7	आगरा	90%	57,000	2.00	0.000	0.000	2.00
8	मथुरा	90%	51,100	2.00	0.000	0.000	2.00
9	फिरोजाबाद	90%	57,500	2.00	0.000	0.000	2.00
10	मैनपुरी	90%	64,200	2.00	0.000	0.000	2.00
11	बरेली	90%	45,500	2.00	2.625	2.625	7.25
12	बदायूँ	90%	45,900	2.00	6.625	6.625	15.25
13	शाहजहाँपुर	90%	43,900	2.00	6.625	6.625	15.25
14	मुरादाबाद	80%	41,100	2.00	6.625	6.625	15.25
15	अमरोहा	90%	25,900	2.00	6.625	6.625	15.25
16	रामपुर	80%	29,700	2.00	6.625	6.625	15.25
17	सम्भल	90%	39,500	2.00	6.625	6.625	15.25
18	फर्रुखाबाद	90%	49,400	2.00	0.000	0.000	2.00
19	कन्नौज	90%	43,700	2.00	0.000	0.000	2.00
20	इटावा	90%	60,400	2.00	0.000	0.000	2.00
21	औरैया	90%	61,800	2.00	0.000	0.000	2.00
22	कानपुर नगर	90%	45,800	2.00	0.000	0.000	2.00
23	कानपुर देहात	90%	60,900	2.00	0.000	0.000	2.00
24	फतेहपुर	80%	33,900	2.00	5.500	5.500	13.00
25	प्रयागराज	90%	26,800	2.00	2.500	2.500	7.00
26	कौशाम्बी	90%	33,700	2.00	2.000	2.000	6.00
27	प्रतापगढ	90%	30,500	2.00	0.250	0.250	2.50
28	झांसी	80%	37,400	2.00	6.625	6.625	15.25
29	जालौन	90%	40,500	2.00	4.125	4.125	10.25
30	बाँदा	80%	39,700	2.00	5.000	5.000	12.00
31	चित्रकूट	80%	36,300	2.00	3.000	3.000	8.00
32	वाराणसी	80%	33,300	2.00	4.125	4.125	10.25
33	चंदौली	80%	27,600	2.00	4.125	4.125	10.25
34	गाजीपुर	80%	35,300	2.00	4.125	4.125	10.25
35	जौनपुर	90%	31,900	2.00	4.125	4.125	10.25
36	मिर्जापुर	80%	31,300	2.00	4.125	4.125	10.25
37	भदोही	80%	26,900	2.00	4.125	4.125	10.25
38	लखनऊ	80%	37,400	2.00	5.500	5.500	13.00
39	सीतापुर	90%	21,100	2.00	3.000	3.000	8.00
40	हरदोई	80%	36,500	2.00	4.500	4.500	11.00

PMFBY-AIL_ANNEXURES-2025-26_2026-27_2025-26

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasnadesh.org

फसल – ज्वार (Juar)							
क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रु/है.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % में)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	औरैया	90%	51,400	2.00	0.000	0.000	2.00
2	कानपुर नगर	90%	59,700	2.00	0.000	0.000	2.00
3	कानपुर देहात	80%	43,600	2.00	0.000	0.000	2.00
4	फतेहपुर	80%	45,000	2.00	3.500	3.500	9.00
5	प्रयागराज	90%	37,800	2.00	4.000	4.000	10.00
6	कौशाम्बी	80%	33,400	2.00	7.000	7.000	16.00
7	प्रतापगढ़	80%	32,000	2.00	3.500	3.500	9.00
8	झांसी	80%	42,500	2.00	6.625	6.625	15.25
9	जालौन	80%	51,100	2.00	4.125	4.125	10.25
10	हमीरपुर	80%	28,900	2.00	5.210	5.210	12.42
11	बाँदा	90%	54,800	2.00	2.500	2.500	7.00
12	चित्रकूट	80%	41,200	2.00	3.750	3.750	9.50
13	वाराणसी	80%	52,600	2.00	4.125	4.125	10.25
14	चंदौली	80%	48,900	2.00	4.125	4.125	10.25
15	गाजीपुर	80%	62,800	2.00	4.125	4.125	10.25
16	जौनपुर	90%	58,000	2.00	4.125	4.125	10.25
17	मिर्जापुर	80%	35,600	2.00	4.125	4.125	10.25
18	सोनभद्र	80%	44,500	2.00	4.125	4.125	10.25
19	लखनऊ	80%	34,400	2.00	4.000	4.000	10.00
20	उन्नाव	80%	27,000	2.00	7.500	7.500	17.00
21	रायबरेली	80%	23,100	2.00	11.500	11.500	25.00
22	सीतापुर	80%	35,900	2.00	5.500	5.500	13.00
23	हरदोई	80%	40,400	2.00	4.000	4.000	10.00
24	बाराबंकी	80%	39,300	2.00	4.000	4.000	10.00

फसल - उर्द (Urd)							
क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रु/है.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % में)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बुलन्दशहर	90%	63,000	2.00	6.000	6.000	14.00
2	बरेली	90%	82,500	2.00	6.625	6.625	15.25
3	बदायूं	90%	75,100	2.00	6.625	6.625	15.25
4	शाहजहाँपुर	80%	51,300	2.00	6.625	6.625	15.25

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

फसल - उर्द (Urd)							
क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./है.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % मे)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
5	बिजनौर	90%	59,600	2.00	6.625	6.625	15.25
6	मुरादाबाद	90%	63,800	2.00	6.625	6.625	15.25
7	अमरोहा	80%	56,200	2.00	6.625	6.625	15.25
8	रामपुर	90%	59,300	2.00	6.625	6.625	15.25
9	सम्भल	90%	66,200	2.00	6.625	6.625	15.25
10	औरैया	90%	54,100	2.00	0.000	0.000	2.00
11	कानपुर नगर	90%	48,700	2.00	0.000	0.000	2.00
12	कानपुर देहात	90%	51,900	2.00	0.000	0.000	2.00
13	फतेहपुर	90%	47,100	2.00	6.500	6.500	15.00
14	कौशाम्बी	90%	40,900	2.00	2.000	2.000	6.00
15	प्रतापगढ	90%	43,500	2.00	0.500	0.500	3.00
16	झांसी	80%	18,700	2.00	1.050	1.050	4.10
17	ललितपुर	80%	26,400	2.00	6.500	6.500	15.00
18	जालौन	80%	52,100	2.00	1.550	1.550	5.10
19	हमीरपुर	80%	30,700	2.00	6.000	6.000	14.00
20	महोबा	80%	21,000	2.00	1.000	1.000	4.00
21	बाँदा	90%	38,600	2.00	4.500	4.500	11.00
22	वाराणसी	80%	71,500	2.00	4.125	4.125	10.25
23	जौनपुर	80%	71,900	2.00	4.125	4.125	10.25
24	सोनभद्र	80%	42,200	2.00	4.125	4.125	10.25
25	लखनऊ	80%	40,500	2.00	4.500	4.500	11.00
26	उन्नाव	80%	42,300	2.00	3.000	3.000	8.00
27	रायबरेली	80%	19,800	2.00	6.500	6.500	15.00
28	सीतापुर	90%	38,200	2.00	5.500	5.500	13.00
29	हरदोई	80%	38,400	2.00	4.000	4.000	10.00
30	लखीमपुर खीरी	80%	56,000	2.00	5.000	5.000	12.00
31	बाराबंकी	90%	29,400	2.00	4.000	4.000	10.00

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

फसल – मूँग (Moong)							
क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रु./है.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % में)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	फतेहपुर	90%	44,100	2.00	9.500	9.500	21.00
2	झांसी	80%	21,200	2.00	6.625	6.625	15.25
3	ललितपुर	80%	26,400	2.00	9.000	9.000	20.00
4	जालौन	80%	49,200	2.00	4.125	4.125	10.25
5	हमीरपुर	80%	32,400	2.00	7.495	7.495	16.99
6	महोबा	80%	18,600	2.00	1.500	1.500	5.00
7	बाँदा	90%	39,300	2.00	7.000	7.000	16.00
8	उन्नाव	80%	48,500	2.00	8.000	8.000	18.00

फसल - तिल (Til)							
क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रु./है.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % में)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	फिरोजाबाद	80%	14,400	2.00	0.000	0.000	2.00
2	बरेली	80%	11,700	2.00	6.625	6.625	15.25
3	बदायूँ	80%	12,200	2.00	6.625	6.625	15.25
4	शाहजहाँपुर	80%	10,300	2.00	6.625	6.625	15.25
5	फर्रुखाबाद	80%	13,300	2.00	0.000	0.000	2.00
6	कन्नौज	80%	27,200	2.00	0.000	0.000	2.00
7	कानपुर नगर	80%	13,000	2.00	0.000	0.000	2.00
8	कानपुर देहात	90%	14,200	2.00	0.000	0.000	2.00
9	फतेहपुर	90%	20,000	2.00	9.250	9.250	20.50
10	कौशाम्बी	80%	16,500	2.00	3.500	3.500	9.00
11	झांसी	80%	22,100	2.00	1.050	1.050	4.10
12	ललितपुर	80%	9,600	2.00	9.000	9.000	20.00
13	जालौन	90%	27,800	2.00	1.500	1.500	5.00
14	हमीरपुर	80%	18,100	2.00	4.850	4.850	11.70
15	महोबा	80%	23,400	2.00	1.255	1.255	4.51
16	बाँदा	80%	28,900	2.00	6.000	6.000	14.00
17	चित्रकूट	80%	17,600	2.00	11.500	11.500	25.00
18	जौनपुर	80%	23,100	2.00	4.125	4.125	10.25
19	मिर्जापुर	80%	11,000	2.00	4.125	4.125	10.25
20	सोनभद्र	80%	17,100	2.00	4.125	4.125	10.25

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

फसल - तिल (Til)							
क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./हे.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % में)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
21	उन्नाव	80%	10,700	2.00	4.500	4.500	11.00
22	सीतापुर	80%	34,300	2.00	7.500	7.500	17.00
23	हरदोई	80%	53,800	2.00	8.750	8.750	19.50

फसल - मूँगफली (Groundnut)							
क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./हे.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % में)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहारनपुर	90%	62,200	2.00	4.500	4.500	11.00
2	मैनपुरी	80%	1,36,600	2.00	0.000	0.000	2.00
3	बिजनौर	80%	85,400	2.00	6.625	6.625	15.25
4	झांसी	90%	63,300	2.00	1.050	1.050	4.10
5	ललितपुर	90%	51,100	2.00	9.000	9.000	20.00
6	महोबा	90%	68,100	2.00	1.475	1.475	4.95
7	बाँदा	90%	78,300	2.00	9.000	9.000	20.00
8	मिर्जापुर	80%	80,600	2.00	5.150	5.150	12.30
9	गोरखपुर	80%	59,300	2.00	5.315	5.315	12.63
10	महराजगंज	80%	63,100	2.00	11.500	11.500	25.00
11	देवरिया	80%	46,400	2.00	6.320	6.320	14.64
12	उन्नाव	80%	60,200	2.00	6.000	6.000	14.00
13	रायबरेली	80%	44,300	2.00	11.500	11.500	25.00
14	सीतापुर	90%	72,000	2.00	7.000	7.000	16.00
15	हरदोई	80%	72,000	2.00	2.000	2.000	6.00
16	लखीमपुर खीरी	80%	55,700	2.00	4.500	4.500	11.00

फसल – सोयाबीन (Soyabean)							
क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./हे.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % में)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	झांसी	80%	37,400	2.00	6.625	6.625	15.25
2	ललितपुर	80%	31,400	2.00	1.500	1.500	5.00

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bharatiyashasanadesh.org

फसल - अरहर (Arhar)							
क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./है.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % मे)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बुलन्दशहर	90%	53,600	2.00	2.000	2.000	6.00
2	अलीगढ़	80%	50,800	2.00	4.000	4.000	10.00
3	हाथरस	80%	59,100	2.00	6.500	6.500	15.00
4	आगरा	80%	90,900	2.00	0.000	0.000	2.00
5	मथुरा	90%	85,600	2.00	0.000	0.000	2.00
6	इटावा	80%	1,48,800	2.00	0.000	0.000	2.00
7	औरैया	90%	96,300	2.00	0.000	0.000	2.00
8	कानपुर नगर	80%	1,28,800	2.00	0.000	0.000	2.00
9	कानपुर देहात	90%	1,41,600	2.00	0.000	0.000	2.00
10	फतेहपुर	90%	77,000	2.00	6.500	6.500	15.00
11	प्रयागराज	90%	88,600	2.00	1.500	1.500	5.00
12	कौशाम्बी	90%	1,09,700	2.00	1.750	1.750	5.50
13	प्रतापगढ़	80%	69,600	2.00	1.250	1.250	4.50
14	झांसी	90%	72,200	2.00	6.625	6.625	15.25
15	जालौन	90%	98,100	2.00	4.125	4.125	10.25
16	हमीरपुर	90%	78,700	2.00	1.500	1.500	5.00
17	महोबा	80%	64,500	2.00	1.250	1.250	4.50
18	बाँदा	90%	1,19,000	2.00	2.000	2.000	6.00
19	चित्रकूट	90%	93,900	2.00	1.500	1.500	5.00
20	वाराणसी	90%	90,400	2.00	4.125	4.125	10.25
21	चंदौली	80%	69,000	2.00	4.125	4.125	10.25
22	जौनपुर	90%	85,500	2.00	4.125	4.125	10.25
23	मिर्जापुर	80%	72,700	2.00	4.125	4.125	10.25
24	सोनभद्र	90%	63,100	2.00	5.150	5.150	12.30
25	भदोही	80%	92,400	2.00	4.125	4.125	10.25
26	आजमगढ़	80%	83,000	2.00	2.220	2.220	6.44
27	बलिया	80%	74,600	2.00	1.500	1.500	5.00
28	गोरखपुर	80%	49,000	2.00	1.500	1.500	5.00
29	देवरिया	80%	43,000	2.00	1.500	1.500	5.00
30	उन्नाव	90%	84,300	2.00	9.000	9.000	20.00
31	रायबरेली	90%	47,400	2.00	9.000	9.000	20.00
32	बाराबंकी	90%	69,700	2.00	4.000	4.000	10.00
33	बहराईच	80%	44,700	2.00	4.000	4.000	10.00
34	श्रावस्ती	80%	44,400	2.00	4.000	4.000	10.00

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

परिशिष्ट - 4

वर्ष 2023-24, 2024-25 व 2025-26 के रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अधिसूचित फसल की जनपदवार इन्डेम्निटी स्तर, बीमित राशि, कृषकों द्वारा वहन की जाने वाली प्रीमियम दर (कृषक अंश), प्रीमियम पर अनुदान के रूप में केन्द्रांश, राज्यांश व कुल प्रीमियम दर का विवरण।

फसल -- गेहूँ (Wheat)

क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./है.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % में)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहारनपुर	90%	86,000	1.50	1.750	1.750	5.00
2	मुजफ्फर नगर	90%	88,100	1.50	0.750	0.750	3.00
3	शामली	90%	98,100	1.50	0.750	0.750	3.00
4	मेरठ	90%	95,700	1.50	0.750	0.750	3.00
5	बागपत	90%	97,500	1.50	0.750	0.750	3.00
6	बुलन्दशहर	90%	94,700	1.50	0.750	0.750	3.00
7	गाजियाबाद	90%	89,200	1.50	0.750	0.750	3.00
8	गौतमबुद्ध नगर	90%	86,500	1.50	0.750	0.750	3.00
9	हापुड़	90%	92,100	1.50	0.750	0.750	3.00
10	अलीगढ़	90%	89,500	1.50	0.500	0.500	2.50
11	हाथरस	90%	86,100	1.50	1.250	1.250	4.00
12	एटा	90%	84,800	1.50	0.500	0.500	2.50
13	कासगंज	90%	84,500	1.50	0.750	0.750	3.00
14	आगरा	90%	88,400	1.50	0.250	0.250	2.00
15	मथुरा	90%	79,900	1.50	4.250	4.250	10.00
16	फिरोजाबाद	90%	82,000	1.50	0.250	0.250	2.00
17	मैनपुरी	90%	90,800	1.50	0.250	0.250	2.00
18	बरेली	90%	80,800	1.50	1.500	1.500	4.50
19	बदायूँ	90%	82,700	1.50	1.300	1.300	4.10
20	शाहजहाँपुर	90%	93,300	1.50	1.500	1.500	4.50
21	पीलीभीत	90%	91,900	1.50	1.300	1.300	4.10
22	बिजनौर	90%	78,300	1.50	6.875	6.875	15.25
23	मुरादाबाद	90%	84,800	1.50	1.025	1.025	3.55
24	अमरोहा	90%	82,300	1.50	1.375	1.375	4.25
25	रामपुर	90%	88,500	1.50	1.500	1.500	4.50
26	सम्भल	90%	84,200	1.50	0.990	0.990	3.48
27	फर्रुखाबाद	90%	89,200	1.50	0.250	0.250	2.00
28	कन्नौज	90%	92,800	1.50	0.750	0.750	3.00
29	इटावा	90%	87,500	1.50	0.250	0.250	2.00
30	औरैया	90%	85,700	1.50	0.250	0.250	2.00

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

फसल – गेहूँ (Wheat)

क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./हे.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % में)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
31	कानपुर नगर	90%	85,400	1.50	0.750	0.750	3.00
32	कानपुर देहात	90%	91,900	1.50	0.750	0.750	3.00
33	फतेहपुर	90%	80,300	1.50	0.875	0.875	3.25
34	प्रयागराज	90%	71,300	1.50	0.875	0.875	3.25
35	कौशाम्बी	90%	70,600	1.50	1.100	1.100	3.70
36	प्रतापगढ़	90%	71,200	1.50	1.100	1.100	3.70
37	झांसी	90%	68,700	1.50	1.300	1.300	4.10
38	ललितपुर	90%	69,800	1.50	3.000	3.000	7.50
39	जालौन	90%	78,500	1.50	1.750	1.750	5.00
40	हमीरपुर	90%	68,200	1.50	1.375	1.375	4.25
41	महोबा	90%	58,100	1.50	1.250	1.250	4.00
42	बाँदा	90%	59,900	1.50	1.875	1.875	5.25
43	चित्रकूट	90%	63,600	1.50	1.250	1.250	4.00
44	वाराणसी	90%	74,400	1.50	5.400	5.400	12.30
45	चंदौली	90%	75,200	1.50	1.750	1.750	5.00
46	गाजीपुर	90%	73,600	1.50	1.775	1.775	5.05
47	जौनपुर	90%	78,800	1.50	1.750	1.750	5.00
48	मिर्जापुर	90%	66,600	1.50	1.750	1.750	5.00
49	सोनभद्र	90%	54,500	1.50	1.750	1.750	5.00
50	भदोही	90%	76,800	1.50	5.400	5.400	12.30
51	आजमगढ़	90%	74,800	1.50	0.750	0.750	3.00
52	मऊ	90%	78,600	1.50	0.875	0.875	3.25
53	बलिया	90%	81,300	1.50	0.750	0.750	3.00
54	गोरखपुर	90%	82,200	1.50	1.250	1.250	4.00
55	महराजगंज	90%	80,800	1.50	1.250	1.250	4.00
56	देवरिया	90%	71,600	1.50	0.625	0.625	2.75
57	कुशीनगर	90%	76,100	1.50	0.750	0.750	3.00
58	बस्ती	90%	76,800	1.50	1.350	1.350	4.20
59	सिद्धार्थ नगर	90%	87,000	1.50	0.250	0.250	2.00
60	संत कबीर नगर	90%	80,400	1.50	0.250	0.250	2.00
61	लखनऊ	90%	71,800	1.50	0.500	0.500	2.50
62	उन्नाव	90%	73,700	1.50	0.750	0.750	3.00
63	रायबरेली	90%	73,700	1.50	0.500	0.500	2.50
64	सीतापुर	90%	74,900	1.50	0.750	0.750	3.00
65	हरदोई	90%	78,900	1.50	0.950	0.950	3.40
66	लखीमपुर खीरी	90%	88,400	1.50	0.500	0.500	2.50

(सुमित सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फसल – गेहूँ (Wheat)

क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./है.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % में)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
67	अयोध्या	90%	77,800	1.50	1.250	1.250	4.00
68	अम्बेडकर नगर	90%	83,500	1.50	1.250	1.250	4.00
69	सुल्तानपुर	90%	85,400	1.50	1.250	1.250	4.00
70	बाराबंकी	90%	86,600	1.50	1.250	1.250	4.00
71	अमेठी	90%	74,800	1.50	1.250	1.250	4.00
72	गोण्डा	90%	68,700	1.50	1.250	1.250	4.00
73	बलरामपुर	90%	74,600	1.50	1.250	1.250	4.00
74	बहराईच	90%	75,300	1.50	1.250	1.250	4.00
75	श्रावस्ती	90%	72,100	1.50	1.250	1.250	4.00

फसल – जौ (Barley)

क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./है.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % में)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बुलन्दशहर	90%	69,800	1.50	0.750	0.750	3.00
2	अलीगढ़	90%	63,400	1.50	0.500	0.500	2.50
3	हाथरस	90%	61,500	1.50	0.250	0.250	2.00
4	मथुरा	90%	60,500	1.50	0.250	0.250	2.00
5	फिरोजाबाद	90%	61,100	1.50	0.250	0.250	2.00
6	कानपुर देहात	90%	56,600	1.50	0.250	0.250	2.00
7	फतेहपुर	90%	56,100	1.50	2.500	2.500	6.50
8	झांसी	90%	45,400	1.50	6.875	6.875	15.25
9	ललितपुर	90%	47,900	1.50	3.750	3.750	9.00
10	जालौन	90%	48,100	1.50	4.375	4.375	10.25
11	हमीरपुर	90%	47,200	1.50	3.440	3.440	8.38
12	महोबा	90%	44,400	1.50	4.250	4.250	10.00
13	चित्रकूट	80%	51,700	1.50	4.250	4.250	10.00
14	गाजीपुर	90%	44,400	1.50	4.375	4.375	10.25
15	आजमगढ़	90%	50,100	1.50	1.750	1.750	5.00
16	हरदोई	90%	49,700	1.50	0.750	0.750	3.00

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फसल – चना (Gram)

क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./है.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % में)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आगरा	90%	96,100	1.50	0.250	0.250	2.00
2	मैनपुरी	90%	1,25,100	1.50	0.250	0.250	2.00
3	औरैया	90%	78,800	1.50	0.250	0.250	2.00
4	कानपुर नगर	90%	85,900	1.50	0.250	0.250	2.00
5	कानपुर देहात	90%	80,600	1.50	0.250	0.250	2.00
6	फतेहपुर	90%	74,600	1.50	2.250	2.250	6.00
7	प्रयागराज	90%	65,100	1.50	0.500	0.500	2.50
8	कौशाम्बी	90%	70,000	1.50	1.750	1.750	5.00
9	प्रतापगढ	90%	59,200	1.50	1.750	1.750	5.00
10	झांसी	90%	74,800	1.50	1.300	1.300	4.10
11	ललितपुर	90%	84,500	1.50	1.750	1.750	5.00
12	जालौन	90%	73,500	1.50	5.400	5.400	12.30
13	हमीरपुर	90%	59,200	1.50	1.625	1.625	4.75
14	महोबा	90%	61,600	1.50	1.250	1.250	4.00
15	बाँदा	90%	64,300	1.50	1.750	1.750	5.00
16	चित्रकूट	90%	60,900	1.50	2.250	2.250	6.00
17	वाराणसी	80%	80,600	1.50	4.375	4.375	10.25
18	चंदौली	90%	73,800	1.50	4.375	4.375	10.25
19	गाजीपुर	90%	1,02,600	1.50	4.375	4.375	10.25
20	जौनपुर	90%	1,05,800	1.50	4.375	4.375	10.25
21	मिर्जापुर	80%	69,200	1.50	4.375	4.375	10.25
22	सोनभद्र	90%	68,500	1.50	4.375	4.375	10.25
23	आजमगढ़	80%	67,200	1.50	1.750	1.750	5.00
24	बलिया	90%	95,800	1.50	1.750	1.750	5.00
25	लखनऊ	90%	55,800	1.50	11.750	11.750	25.00
26	उन्नाव	90%	68,600	1.50	3.750	3.750	9.00
27	रायबरेली	90%	44,400	1.50	9.750	9.750	21.00

(सुमिता सिंह)

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

फसल - मटर (Pea)							
क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./है.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % में)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मैनपुरी	90%	1,48,400	1.50	0.250	0.250	2.00
2	बरेली	90%	1,19,100	1.50	6.875	6.875	15.25
3	पीलीभीत	80%	1,19,100	1.50	6.875	6.875	15.25
4	कानपुर नगर	80%	79,300	1.50	0.250	0.250	2.00
5	फतेहपुर	90%	67,000	1.50	2.500	2.500	6.50
6	प्रयागराज	90%	70,000	1.50	3.750	3.750	9.00
7	कौशाम्बी	90%	72,400	1.50	5.250	5.250	12.00
8	प्रतापगढ़	90%	59,500	1.50	1.750	1.750	5.00
9	झांसी	90%	81,100	1.50	1.300	1.300	4.10
10	ललितपुर	90%	88,400	1.50	1.000	1.000	3.50
11	जालौन	90%	99,200	1.50	1.750	1.750	5.00
12	हमीरपुर	90%	70,800	1.50	2.750	2.750	7.00
13	महोबा	90%	63,800	1.50	1.500	1.500	4.50
14	बाँदा	90%	65,200	1.50	3.250	3.250	8.00
15	चित्रकूट	90%	47,000	1.50	6.750	6.750	15.00
16	वाराणसी	90%	79,400	1.50	4.375	4.375	10.25
17	चंदौली	90%	73,100	1.50	4.375	4.375	10.25
18	गाजीपुर	90%	77,000	1.50	4.375	4.375	10.25
19	जौनपुर	90%	95,500	1.50	4.375	4.375	10.25
20	मिर्जापुर	80%	60,900	1.50	4.375	4.375	10.25
21	सोनभद्र	80%	49,400	1.50	4.375	4.375	10.25
22	आजमगढ़	90%	73,800	1.50	2.550	2.550	6.60
23	बलिया	90%	98,500	1.50	4.250	4.250	10.00
24	हरदोई	90%	68,700	1.50	3.750	3.750	9.00

फसल – मसूर (Masoor)							
क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./है.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % में)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहारनपुर	80%	68,500	1.50	8.250	8.250	18.00
2	अलीगढ़	80%	60,600	1.50	1.750	1.750	5.00
3	बरेली	90%	72,800	1.50	6.875	6.875	15.25
4	बदायूँ	80%	78,500	1.50	6.875	6.875	15.25
5	शाहजहाँपुर	90%	73,100	1.50	6.875	6.875	15.25
6	पीलीभीत	90%	65,400	1.50	6.875	6.875	15.25

(सुमित सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bharatiyashasanadesh.org

फसल – मसूर (Masoor)							
क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./हे.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % में)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
7	बिजनौर	90%	61,200	1.50	6.875	6.875	15.25
8	रामपुर	80%	56,400	1.50	6.875	6.875	15.25
9	फर्रूखाबाद	90%	48,500	1.50	0.250	0.250	2.00
10	कानपुर नगर	90%	52,900	1.50	0.250	0.250	2.00
11	फतेहपुर	90%	56,900	1.50	1.500	1.500	4.50
12	प्रयागराज	90%	66,200	1.50	0.250	0.250	2.00
13	झांसी	90%	64,500	1.50	6.875	6.875	15.25
14	ललितपुर	90%	86,600	1.50	3.250	3.250	8.00
15	जालौन	90%	79,100	1.50	1.800	1.800	5.10
16	हमीरपुर	90%	57,900	1.50	1.750	1.750	5.00
17	महोबा	90%	43,300	1.50	1.725	1.725	4.95
18	बाँदा	90%	54,300	1.50	3.750	3.750	9.00
19	चित्रकूट	90%	50,400	1.50	1.750	1.750	5.00
20	वाराणसी	80%	65,100	1.50	4.375	4.375	10.25
21	चंदौली	90%	67,600	1.50	4.375	4.375	10.25
22	गाजीपुर	90%	72,600	1.50	4.375	4.375	10.25
23	मिर्जापुर	90%	57,700	1.50	4.375	4.375	10.25
24	सोनभद्र	90%	48,500	1.50	4.375	4.375	10.25
25	बलिया	90%	82,500	1.50	1.750	1.750	5.00
26	महराजगंज	90%	45,400	1.50	5.070	5.070	11.64
27	लखनऊ	90%	71,500	1.50	9.250	9.250	20.00
28	सीतापुर	90%	45,400	1.50	3.750	3.750	9.00
29	हरदोई	90%	68,300	1.50	3.750	3.750	9.00
30	लखीमपुर खीरी	90%	54,600	1.50	2.750	2.750	7.00
31	बाराबंकी	90%	54,700	1.50	4.250	4.250	10.00
32	गोण्डा	90%	65,600	1.50	4.250	4.250	10.00
33	बलरामपुर	80%	54,500	1.50	4.250	4.250	10.00
34	बहराईच	80%	70,100	1.50	4.250	4.250	10.00
35	श्रावस्ती	80%	44,700	1.50	4.250	4.250	10.00

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

फसल - लाही-सरसों (Rapeseed-Mustard)

क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./हे.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % में)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुजफ्फर नगर	90%	74,200	1.50	3.250	3.250	8.00
2	शामली	90%	92,300	1.50	5.250	5.250	12.00
3	मेरठ	90%	78,200	1.50	1.250	1.250	4.00
4	बागपत	90%	74,800	1.50	0.750	0.750	3.00
5	बुलन्दशहर	90%	88,600	1.50	1.750	1.750	5.00
6	गाजियाबाद	90%	69,300	1.50	2.250	2.250	6.00
7	हापुड़	90%	93,400	1.50	2.750	2.750	7.00
8	अलीगढ़	90%	88,000	1.50	2.750	2.750	7.00
9	हाथरस	90%	97,600	1.50	0.250	0.250	2.00
10	एटा	90%	1,09,500	1.50	1.250	1.250	4.00
11	कासगंज	90%	1,16,100	1.50	0.750	0.750	3.00
12	आगरा	90%	1,15,000	1.50	0.250	0.250	2.00
13	मथुरा	90%	1,04,700	1.50	0.250	0.250	2.00
14	फिरोजाबाद	90%	1,05,200	1.50	0.250	0.250	2.00
15	मैनपुरी	90%	1,08,200	1.50	0.250	0.250	2.00
16	बरेली	80%	69,400	1.50	6.875	6.875	15.25
17	बदायूँ	90%	98,700	1.50	6.875	6.875	15.25
18	शाहजहाँपुर	90%	74,600	1.50	6.875	6.875	15.25
19	पीलीभीत	90%	49,500	1.50	6.875	6.875	15.25
20	बिजनौर	80%	66,200	1.50	6.875	6.875	15.25
21	मुरादाबाद	90%	69,000	1.50	6.875	6.875	15.25
22	अमरोहा	90%	74,300	1.50	6.875	6.875	15.25
23	रामपुर	90%	71,500	1.50	6.875	6.875	15.25
24	सम्भल	90%	82,700	1.50	6.875	6.875	15.25
25	फर्रुखाबाद	80%	76,700	1.50	0.250	0.250	2.00
26	कन्नौज	90%	1,00,100	1.50	0.250	0.250	2.00
27	इटावा	90%	1,12,000	1.50	0.250	0.250	2.00
28	औरैया	90%	90,300	1.50	0.250	0.250	2.00
29	कानपुर नगर	80%	73,000	1.50	0.250	0.250	2.00
30	कानपुर देहात	90%	97,000	1.50	0.250	0.250	2.00
31	फतेहपुर	90%	64,000	1.50	2.750	2.750	7.00
32	प्रयागराज	90%	61,700	1.50	0.500	0.500	2.50
33	कौशाम्बी	90%	72,700	1.50	4.250	4.250	10.00
34	झांसी	90%	52,300	1.50	6.875	6.875	15.25
35	ललितपुर	90%	40,400	1.50	5.250	5.250	12.00
36	जालौन	90%	69,100	1.50	4.375	4.375	10.25

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

फसल - लाही-सरसों (Rapeseed-Mustard)							
क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू/हे.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % में)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
37	हमीरपुर	90%	57,000	1.50	3.670	3.670	8.84
38	महोबा	90%	40,300	1.50	4.250	4.250	10.00
39	बाँदा	90%	44,700	1.50	9.750	9.750	21.00
40	चित्रकूट	90%	42,100	1.50	6.750	6.750	15.00
41	जौनपुर	80%	58,300	1.50	4.375	4.375	10.25
42	मिर्जापुर	90%	45,700	1.50	4.375	4.375	10.25
43	सोनभद्र	90%	40,800	1.50	4.375	4.375	10.25
44	गोरखपुर	90%	62,500	1.50	2.405	2.405	6.31
45	महराजगंज	90%	59,300	1.50	5.820	5.820	13.14
46	कुशीनगर	90%	45,200	1.50	5.220	5.220	11.94
47	लखनऊ	90%	60,000	1.50	7.750	7.750	17.00
48	उन्नाव	90%	60,100	1.50	4.750	4.750	11.00
49	रायबरेली	80%	37,100	1.50	4.250	4.250	10.00
50	सीतापुर	90%	50,400	1.50	2.250	2.250	6.00
51	हरदोई	90%	61,700	1.50	3.750	3.750	9.00
52	लखीमपुर खीरी	90%	51,700	1.50	2.750	2.750	7.00
53	बाराबंकी	90%	42,800	1.50	4.250	4.250	10.00
54	गोण्डा	90%	60,400	1.50	4.250	4.250	10.00
55	बलरामपुर	80%	45,100	1.50	4.250	4.250	10.00
56	बहराईच	90%	47,100	1.50	4.250	4.250	10.00
57	श्रावस्ती	80%	37,800	1.50	4.250	4.250	10.00

फसल – अलसी (Linseed)							
क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू/हे.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % में)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हमीरपुर	90%	35,800	1.50	4.960	4.960	11.42
2	महोबा	90%	40,000	1.50	4.250	4.250	10.00
3	बाँदा	90%	43,800	1.50	4.250	4.250	10.00
4	मिर्जापुर	80%	35,400	1.50	4.375	4.375	10.25
5	सोनभद्र	80%	33,400	1.50	4.375	4.375	10.25

(सुचिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फसल – आलू (Potato)							
क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./हे.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % मे)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुजफ्फर नगर	80%	1,88,800	1.50	5.250	5.250	12.00
2	मेरठ	90%	1,72,000	1.50	3.250	3.250	8.00
3	बुलन्दशहर	90%	1,59,900	1.50	2.750	2.750	7.00
4	हापुड़	90%	1,69,200	1.50	1.750	1.750	5.00
5	अलीगढ़	90%	1,69,000	1.50	0.625	0.625	2.75
6	हाथरस	90%	1,66,000	1.50	0.750	0.750	3.00
7	एटा	90%	1,85,900	1.50	1.250	1.250	4.00
8	कासगंज	90%	1,71,000	1.50	0.250	0.250	2.00
9	आगरा	90%	2,24,000	1.50	3.250	3.250	8.00
10	मथुरा	90%	1,53,200	1.50	2.250	2.250	6.00
11	फिरोजाबाद	90%	2,45,100	1.50	0.250	0.250	2.00
12	मैनपुरी	90%	2,12,400	1.50	1.250	1.250	4.00
13	बरेली	90%	1,44,300	1.50	6.875	6.875	15.25
14	बदायूँ	90%	1,21,000	1.50	6.875	6.875	15.25
15	शाहजहाँपुर	90%	1,40,000	1.50	6.875	6.875	15.25
16	बिजनौर	90%	1,59,000	1.50	6.875	6.875	15.25
17	मुरादाबाद	90%	1,30,000	1.50	6.875	6.875	15.25
18	अमरोहा	90%	1,50,000	1.50	6.875	6.875	15.25
19	रामपुर	90%	1,30,000	1.50	6.875	6.875	15.25
20	सम्भल	90%	1,51,000	1.50	6.875	6.875	15.25
21	फर्रूखाबाद	90%	1,80,500	1.50	0.250	0.250	2.00
22	कन्नौज	90%	1,43,000	1.50	0.250	0.250	2.00
23	इटावा	90%	1,72,300	1.50	1.250	1.250	4.00
24	औरैया	90%	1,54,300	1.50	0.250	0.250	2.00
25	कानपुर नगर	90%	1,12,500	1.50	5.250	5.250	12.00
26	फतेहपुर	90%	1,56,400	1.50	1.750	1.750	5.00
27	प्रयागराज	90%	1,28,200	1.50	1.250	1.250	4.00
28	कौशाम्बी	90%	1,29,400	1.50	2.500	2.500	6.50
29	प्रतापगढ़	90%	1,83,000	1.50	3.250	3.250	8.00
30	वाराणसी	90%	1,48,000	1.50	4.375	4.375	10.25
31	चंदौली	80%	1,38,500	1.50	4.375	4.375	10.25
32	गाजीपुर	90%	1,73,200	1.50	4.375	4.375	10.25
33	जौनपुर	90%	1,65,400	1.50	4.375	4.375	10.25
34	मिर्जापुर	80%	1,67,600	1.50	4.375	4.375	10.25
35	आजमगढ़	80%	1,95,500	1.50	1.750	1.750	5.00

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फसल – आलू (Potato)							
क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./हे.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % मे)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
36	बलिया	90%	1,24,600	1.50	1.750	1.750	5.00
37	गोरखपुर	90%	1,85,000	1.50	2.540	2.540	6.58
38	महराजगंज	90%	1,85,000	1.50	1.750	1.750	5.00
39	लखनऊ	90%	1,62,100	1.50	1.250	1.250	4.00
40	उन्नाव	90%	1,21,100	1.50	2.250	2.250	6.00
41	रायबरेली	90%	1,65,500	1.50	1.500	1.500	4.50
42	सीतापुर	90%	1,22,500	1.50	3.750	3.750	9.00
43	हरदोई	90%	1,30,000	1.50	2.750	2.750	7.00
44	सुल्तानपुर	90%	1,30,000	1.50	4.250	4.250	10.00
45	बाराबंकी	90%	1,85,100	1.50	1.750	1.750	5.00

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

परिशिष्ट - 5

वर्ष 2023-24, 2024-25 व 2025-26 के खरीफ मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत स्थानिक आपदाओं-ओला, भूस्खलन व जलप्लावन के जोखिमों अथवा फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों की अवधि में खेत में कटी हुई फसलों को बेमौसम/चक्रवाती वर्षा, चक्रवात के जोखिमों से क्षति की स्थिति में फसल के उत्पादन लागत में व्यय के अनुरूप क्षति के आँकलन हेतु निर्धारित तालिका -

क्र.सं.	जनपद	फसल	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम उत्पादन लागत (रु./हे.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/बीमित राशि प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में) देय होगी					
					बुवाई के बाद से आगामी 40 दिन तक	बुवाई के 40 दिन बाद से 50 दिन तक	बुवाई के 50 दिन बाद से 65 दिन तक	बुवाई के 65 दिन बाद से 90 दिन तक	बुवाई के 90 दिन बाद से फसल की कटाई से पूर्व तक	फसल की कटाई के उपरान्त से आगामी 14 दिन तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				फसल - धान (Paddy)						
1	सहारनपुर	धान	130 दिन	82700	60%	70%	75%	80%	90%	100%
2	मुजफ्फर नगर	धान	130 दिन	81600	60%	70%	75%	80%	90%	100%
3	शामली	धान	130 दिन	93200	60%	70%	75%	80%	90%	100%
4	मेरठ	धान	130 दिन	89400	60%	70%	75%	80%	90%	100%
5	बागपत	धान	130 दिन	89300	60%	70%	75%	80%	90%	100%
6	बुलन्दशहर	धान	130 दिन	88000	60%	70%	75%	80%	90%	100%
7	गाजियाबाद	धान	130 दिन	83000	60%	70%	75%	80%	90%	100%
8	गौतमबुद्ध नगर	धान	130 दिन	84100	60%	70%	75%	80%	90%	100%
9	हापुड़	धान	130 दिन	85700	60%	70%	75%	80%	90%	100%
10	अलीगढ़	धान	130 दिन	79200	60%	70%	75%	80%	90%	100%
11	हाथरस	धान	130 दिन	75500	60%	70%	75%	80%	90%	100%
12	एटा	धान	130 दिन	83900	60%	70%	75%	80%	90%	100%
13	कासगंज	धान	130 दिन	86100	60%	70%	75%	80%	90%	100%
14	आगरा	धान	130 दिन	80000	60%	70%	75%	80%	90%	100%
15	मथुरा	धान	130 दिन	64200	60%	70%	75%	80%	90%	100%
16	फिरोजाबाद	धान	130 दिन	82700	60%	70%	75%	80%	90%	100%
17	मैनपुरी	धान	130 दिन	89100	60%	70%	75%	80%	90%	100%
18	बरेली	धान	130 दिन	80500	60%	70%	75%	80%	90%	100%
19	बदायूँ	धान	130 दिन	76300	60%	70%	75%	80%	90%	100%
20	शाहजहाँपुर	धान	130 दिन	104500	60%	70%	75%	80%	90%	100%
21	पीलीभीत	धान	130 दिन	102900	60%	70%	75%	80%	90%	100%
22	बिजनौर	धान	130 दिन	82900	60%	70%	75%	80%	90%	100%
23	मुरादाबाद	धान	130 दिन	83900	60%	70%	75%	80%	90%	100%
24	अमरोहा	धान	130 दिन	78800	60%	70%	75%	80%	90%	100%
25	रामपुर	धान	130 दिन	86000	60%	70%	75%	80%	90%	100%
26	सम्भल	धान	130 दिन	82900	60%	70%	75%	80%	90%	100%
27	फर्रुखाबाद	धान	130 दिन	98000	60%	70%	75%	80%	90%	100%
28	कन्नौज	धान	130 दिन	98400	60%	70%	75%	80%	90%	100%
29	इटावा	धान	130 दिन	93600	60%	70%	75%	80%	90%	100%
30	औरैया	धान	130 दिन	102000	60%	70%	75%	80%	90%	100%

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.सं.	जनपद	फसल	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम* उत्पादन लागत (रू./है.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में) देय होगी					
					बुवाई के बाद से आगामी 40 दिन तक	बुवाई के 40 दिन बाद से 50 दिन तक	बुवाई के 50 दिन बाद से 65 दिन तक	बुवाई के 65 दिन बाद से 90 दिन तक	बुवाई के 90 दिन बाद से फसल की कटाई से पूर्व तक	फसल की कटाई के उपरान्त से आगामी 14 दिन तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	कानपुर नगर	धान	130 दिन	96600	60%	70%	75%	80%	90%	100%
32	कानपुर देहात	धान	130 दिन	102400	60%	70%	75%	80%	90%	100%
33	फतेहपुर	धान	130 दिन	87600	60%	70%	75%	80%	90%	100%
34	प्रयागराज	धान	130 दिन	92600	60%	70%	75%	80%	90%	100%
35	कौशाम्बी	धान	130 दिन	78700	60%	70%	75%	80%	90%	100%
36	प्रतापगढ़	धान	130 दिन	77400	60%	70%	75%	80%	90%	100%
37	झांसी	धान	130 दिन	64800	60%	70%	75%	80%	90%	100%
38	ललितपुर	धान	130 दिन	23900	60%	70%	75%	80%	90%	100%
39	जालौन	धान	130 दिन	62700	60%	70%	75%	80%	90%	100%
40	बॉदा	धान	130 दिन	70500	60%	70%	75%	80%	90%	100%
41	चित्रकूट	धान	130 दिन	67200	60%	70%	75%	80%	90%	100%
42	वाराणसी	धान	130 दिन	80200	60%	70%	75%	80%	90%	100%
43	चंदौली	धान	130 दिन	99300	60%	70%	75%	80%	90%	100%
44	गाजीपुर	धान	130 दिन	81700	60%	70%	75%	80%	90%	100%
45	जौनपुर	धान	130 दिन	79800	60%	70%	75%	80%	90%	100%
46	मिर्जापुर	धान	130 दिन	91300	60%	70%	75%	80%	90%	100%
47	सोनभद्र	धान	130 दिन	89300	60%	70%	75%	80%	90%	100%
48	भदोही	धान	130 दिन	94800	60%	70%	75%	80%	90%	100%
49	आजमगढ़	धान	130 दिन	74100	60%	70%	75%	80%	90%	100%
50	मऊ	धान	130 दिन	76200	60%	70%	75%	80%	90%	100%
51	बलिया	धान	130 दिन	79200	60%	70%	75%	80%	90%	100%
52	गोरखपुर	धान	130 दिन	77500	60%	70%	75%	80%	90%	100%
53	महराजगंज	धान	130 दिन	84000	60%	70%	75%	80%	90%	100%
54	देवरिया	धान	130 दिन	69900	60%	70%	75%	80%	90%	100%
55	कुशीनगर	धान	130 दिन	81700	60%	70%	75%	80%	90%	100%
56	बस्ती	धान	130 दिन	83500	60%	70%	75%	80%	90%	100%
57	सिद्धार्थ नगर	धान	130 दिन	86200	60%	70%	75%	80%	90%	100%
58	संत कबीर नगर	धान	130 दिन	82200	60%	70%	75%	80%	90%	100%
59	लखनऊ	धान	130 दिन	77900	60%	70%	75%	80%	90%	100%
60	उन्नाव	धान	130 दिन	68200	60%	70%	75%	80%	90%	100%
61	रायबरेली	धान	130 दिन	81000	60%	70%	75%	80%	90%	100%
62	सीतापुर	धान	130 दिन	81000	60%	70%	75%	80%	90%	100%
63	हरदोई	धान	130 दिन	82300	60%	70%	75%	80%	90%	100%
64	लखीमपुर खीरी	धान	130 दिन	98000	60%	70%	75%	80%	90%	100%

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.सं.	जनपद	फसल	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम उत्पादन लागत (रु./हे.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में) देय होगी					
					बुवाई के बाद से आगामी 40 दिन तक	बुवाई के 40 दिन बाद से 50 दिन तक	बुवाई के 50 दिन बाद से 65 दिन तक	बुवाई के 65 दिन बाद से 90 दिन तक	बुवाई के 90 दिन बाद से फसल की कटाई से पूर्व तक	फसल की कटाई के उपरान्त से आगामी 14 दिन तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	अयोध्या	धान	130 दिन	85200	60%	70%	75%	80%	90%	100%
66	अम्बेडकर नगर	धान	130 दिन	92300	60%	70%	75%	80%	90%	100%
67	सुल्तानपुर	धान	130 दिन	96400	60%	70%	75%	80%	90%	100%
68	बाराबंकी	धान	130 दिन	92900	60%	70%	75%	80%	90%	100%
69	अमेठी	धान	130 दिन	79600	60%	70%	75%	80%	90%	100%
70	गोण्डा	धान	130 दिन	74200	60%	70%	75%	80%	90%	100%
71	बलरामपुर	धान	130 दिन	82200	60%	70%	75%	80%	90%	100%
72	बहराईच	धान	130 दिन	78500	60%	70%	75%	80%	90%	100%
73	श्रावस्ती	धान	130 दिन	78200	60%	70%	75%	80%	90%	100%
फसल - मक्का (Maize)										
1	सहारनपुर	मक्का	100 दिन	41500	60%	70%	80%	85%	90%	100%
2	मेरठ	मक्का	100 दिन	46400	60%	70%	80%	85%	90%	100%
3	बुलन्दशहर	मक्का	100 दिन	49900	60%	70%	80%	85%	90%	100%
4	अलीगढ़	मक्का	100 दिन	49100	60%	70%	80%	85%	90%	100%
5	हाथरस	मक्का	100 दिन	46300	60%	70%	80%	85%	90%	100%
6	एटा	मक्का	100 दिन	72700	60%	70%	80%	85%	90%	100%
7	कासगंज	मक्का	100 दिन	59100	60%	70%	80%	85%	90%	100%
8	फिरोजाबाद	मक्का	100 दिन	58700	60%	70%	80%	85%	90%	100%
9	मैनपुरी	मक्का	100 दिन	67400	60%	70%	80%	85%	90%	100%
10	बदायूँ	मक्का	100 दिन	53100	60%	70%	80%	85%	90%	100%
11	शाहजहाँपुर	मक्का	100 दिन	43500	60%	70%	80%	85%	90%	100%
12	अमरोहा	मक्का	100 दिन	39100	60%	70%	80%	85%	90%	100%
13	सम्भल	मक्का	100 दिन	49700	60%	70%	80%	85%	90%	100%
14	फर्रूखाबाद	मक्का	100 दिन	70200	60%	70%	80%	85%	90%	100%
15	कन्नौज	मक्का	100 दिन	67600	60%	70%	80%	85%	90%	100%
16	इटावा	मक्का	100 दिन	60500	60%	70%	80%	85%	90%	100%
17	औरैया	मक्का	100 दिन	55900	60%	70%	80%	85%	90%	100%
18	कानपुर नगर	मक्का	100 दिन	56800	60%	70%	80%	85%	90%	100%
19	कानपुर देहात	मक्का	100 दिन	59700	60%	70%	80%	85%	90%	100%
20	प्रतापगढ़	मक्का	100 दिन	40100	60%	70%	80%	85%	90%	100%
21	झांसी	मक्का	100 दिन	16000	60%	70%	80%	85%	90%	100%
22	ललितपुर	मक्का	100 दिन	18800	60%	70%	80%	85%	90%	100%
23	वाराणसी	मक्का	100 दिन	35600	60%	70%	80%	85%	90%	100%
24	जौनपुर	मक्का	100 दिन	35000	60%	70%	80%	85%	90%	100%
25	मिर्जापुर	मक्का	100 दिन	25500	60%	70%	80%	85%	90%	100%
26	सोनभद्र	मक्का	100 दिन	23000	60%	70%	80%	85%	90%	100%

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

क्र.सं.	जनपद	फसल	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम उत्पादन लागत (रु./हे.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में) देय होगी					
					बुवाई के बाद से आगामी 40 दिन तक	बुवाई के 40 दिन बाद से 60 दिन तक	बुवाई के 60 दिन बाद से 65 दिन तक	बुवाई के 65 दिन बाद से 90 दिन तक	बुवाई के 90 दिन बाद से फसल की कटाई से पूर्व तक	फसल की कटाई के उपरान्त से आगामी 14 दिन तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	आजमगढ़	मक्का	100 दिन	36000	60%	70%	80%	85%	90%	100%
28	बलिया	मक्का	100 दिन	30100	60%	70%	80%	85%	90%	100%
29	गोरखपुर	मक्का	100 दिन	26100	60%	70%	80%	85%	90%	100%
30	देवरिया	मक्का	100 दिन	44500	60%	70%	80%	85%	90%	100%
31	कुशीनगर	मक्का	100 दिन	54000	60%	70%	80%	85%	90%	100%
32	लखनऊ	मक्का	100 दिन	33600	60%	70%	80%	85%	90%	100%
33	उन्नाव	मक्का	100 दिन	40300	60%	70%	80%	85%	90%	100%
34	सीतापुर	मक्का	100 दिन	22300	60%	70%	80%	85%	90%	100%
35	हरदोई	मक्का	100 दिन	47100	60%	70%	80%	85%	90%	100%
36	लखीमपुर खीरी	मक्का	100 दिन	29200	60%	70%	80%	85%	90%	100%
37	बाराबंकी	मक्का	100 दिन	28500	60%	70%	80%	85%	90%	100%
38	गोण्डा	मक्का	100 दिन	23900	60%	70%	80%	85%	90%	100%
39	बहराईच	मक्का	100 दिन	29600	60%	70%	80%	85%	90%	100%
40	श्रावस्ती	मक्का	100 दिन	18700	60%	70%	80%	85%	90%	100%
				फसल - बाजरा (Bajra)						
1	बुलन्दशहर	बाजरा	100 दिन	47400	60%	70%	75%	80%	90%	100%
2	गौतमबुद्ध नगर	बाजरा	100 दिन	33600	60%	70%	75%	80%	90%	100%
3	अलीगढ़	बाजरा	100 दिन	55200	60%	70%	75%	80%	90%	100%
4	हाथरस	बाजरा	100 दिन	57400	60%	70%	75%	80%	90%	100%
5	एटा	बाजरा	100 दिन	62100	60%	70%	75%	80%	90%	100%
6	कासगंज	बाजरा	100 दिन	63600	60%	70%	75%	80%	90%	100%
7	आगरा	बाजरा	100 दिन	57000	60%	70%	75%	80%	90%	100%
8	मथुरा	बाजरा	100 दिन	51100	60%	70%	75%	80%	90%	100%
9	फिरोजाबाद	बाजरा	100 दिन	57500	60%	70%	75%	80%	90%	100%
10	मैनपुरी	बाजरा	100 दिन	64200	60%	70%	75%	80%	90%	100%
11	बरेली	बाजरा	100 दिन	45500	60%	70%	75%	80%	90%	100%
12	बदायूँ	बाजरा	100 दिन	45900	60%	70%	75%	80%	90%	100%
13	शाहजहाँपुर	बाजरा	100 दिन	43900	60%	70%	75%	80%	90%	100%
14	मुरादाबाद	बाजरा	100 दिन	41100	60%	70%	75%	80%	90%	100%
15	अमरोहा	बाजरा	100 दिन	25900	60%	70%	75%	80%	90%	100%
16	रामपुर	बाजरा	100 दिन	29700	60%	70%	75%	80%	90%	100%
17	सम्भल	बाजरा	100 दिन	39500	60%	70%	75%	80%	90%	100%
18	फर्रुखाबाद	बाजरा	100 दिन	49400	60%	70%	75%	80%	90%	100%
19	कन्नौज	बाजरा	100 दिन	43700	60%	70%	75%	80%	90%	100%
20	इटावा	बाजरा	100 दिन	60400	60%	70%	75%	80%	90%	100%

PMFBY-ALL_ANNEXURES-2013-14_2014-15_2015-16

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

क्र.सं.	जनपद	फसल	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम उत्पादन लागत (रु./है.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में क्षय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में) देय होगी					
					बुवाई के बाद से आगामी 40 दिन तक	बुवाई के 40 दिन बाद से 50 दिन तक	बुवाई के 50 दिन बाद से 65 दिन तक	बुवाई के 65 दिन बाद से 90 दिन तक	बुवाई के 90 दिन बाद से फसल की कटाई से पूर्व तक	फसल की कटाई के उपरान्त से आगामी 14 दिन तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	औरैया	बाजरा	100 दिन	61000	60%	70%	75%	80%	90%	100%
22	कानपुर नगर	बाजरा	100 दिन	45800	60%	70%	75%	80%	90%	100%
23	कानपुर देहात	बाजरा	100 दिन	60900	60%	70%	75%	80%	90%	100%
24	फतेहपुर	बाजरा	100 दिन	33900	60%	70%	75%	80%	90%	100%
25	प्रयागराज	बाजरा	100 दिन	26800	60%	70%	75%	80%	90%	100%
26	कौशाम्बी	बाजरा	100 दिन	33700	60%	70%	75%	80%	90%	100%
27	प्रतापगढ़	बाजरा	100 दिन	30500	60%	70%	75%	80%	90%	100%
28	झांसी	बाजरा	100 दिन	37400	60%	70%	75%	80%	90%	100%
29	जालौन	बाजरा	100 दिन	40500	60%	70%	75%	80%	90%	100%
30	बाँदा	बाजरा	100 दिन	39700	60%	70%	75%	80%	90%	100%
31	चित्रकूट	बाजरा	100 दिन	36300	60%	70%	75%	80%	90%	100%
32	वाराणसी	बाजरा	100 दिन	33300	60%	70%	75%	80%	90%	100%
33	चंदौली	बाजरा	100 दिन	27600	60%	70%	75%	80%	90%	100%
34	गाजीपुर	बाजरा	100 दिन	35300	60%	70%	75%	80%	90%	100%
35	जौनपुर	बाजरा	100 दिन	31900	60%	70%	75%	80%	90%	100%
36	मिर्जापुर	बाजरा	100 दिन	31300	60%	70%	75%	80%	90%	100%
37	भदोही	बाजरा	100 दिन	26900	60%	70%	75%	80%	90%	100%
38	लखनऊ	बाजरा	100 दिन	37400	60%	70%	75%	80%	90%	100%
39	सीतापुर	बाजरा	100 दिन	21100	60%	70%	75%	80%	90%	100%
40	हरदोई	बाजरा	100 दिन	36500	60%	70%	75%	80%	90%	100%
				फसल - ज्वार (Juar)						
1	औरैया	ज्वार	100 दिन	51400	60%	70%	75%	80%	90%	100%
2	कानपुर नगर	ज्वार	100 दिन	59700	60%	70%	75%	80%	90%	100%
3	कानपुर देहात	ज्वार	100 दिन	43600	60%	70%	75%	80%	90%	100%
4	फतेहपुर	ज्वार	100 दिन	45000	60%	70%	75%	80%	90%	100%
5	प्रयागराज	ज्वार	100 दिन	37800	60%	70%	75%	80%	90%	100%
6	कौशाम्बी	ज्वार	100 दिन	33400	60%	70%	75%	80%	90%	100%
7	प्रतापगढ़	ज्वार	100 दिन	32800	60%	70%	75%	80%	90%	100%
8	झांसी	ज्वार	100 दिन	42500	60%	70%	75%	80%	90%	100%
9	जालौन	ज्वार	100 दिन	51100	60%	70%	75%	80%	90%	100%
10	हमीरपुर	ज्वार	100 दिन	28900	60%	70%	75%	80%	90%	100%
11	बाँदा	ज्वार	100 दिन	54800	60%	70%	75%	80%	90%	100%
12	चित्रकूट	ज्वार	100 दिन	41200	60%	70%	75%	80%	90%	100%
13	वाराणसी	ज्वार	100 दिन	52600	60%	70%	75%	80%	90%	100%
14	चंदौली	ज्वार	100 दिन	48900	60%	70%	75%	80%	90%	100%

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.सं.	जनपद	फसल	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम उत्पादन लागत (रु./है.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में) देय होगी					
					बुवाई के बाद से आगामी 40 दिन तक	बुवाई के 40 दिन बाद से 50 दिन तक	बुवाई के 50 दिन बाद से 65 दिन तक	बुवाई के 65 दिन बाद से 90 दिन तक	बुवाई के 90 दिन बाद से फसल की कटाई से पूर्व तक	फसल की कटाई के उपरान्त से आगामी 14 दिन तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	गाजीपुर	ज्वार	100 दिन	62800	60%	70%	75%	80%	90%	100%
16	जौनपुर	ज्वार	100 दिन	58000	60%	70%	75%	80%	90%	100%
17	मिर्जापुर	ज्वार	100 दिन	35600	60%	70%	75%	80%	90%	100%
18	सोनभद्र	ज्वार	100 दिन	44500	60%	70%	75%	80%	90%	100%
19	लखनऊ	ज्वार	100 दिन	34400	60%	70%	75%	80%	90%	100%
20	उन्नाव	ज्वार	100 दिन	27000	60%	70%	75%	80%	90%	100%
21	रायबरेली	ज्वार	100 दिन	23100	60%	70%	75%	80%	90%	100%
22	सीतापुर	ज्वार	100 दिन	35900	60%	70%	75%	80%	90%	100%
23	हरदोई	ज्वार	100 दिन	40400	60%	70%	75%	80%	90%	100%
24	बाराबंकी	ज्वार	100 दिन	39300	60%	70%	75%	80%	90%	100%
फसल - उर्द (Urd)										
1	बुलन्दशहर	उर्द	100 दिन	63000	70%	75%	80%	85%	90%	100%
2	बरेली	उर्द	100 दिन	82500	70%	75%	80%	85%	90%	100%
3	बदायूं	उर्द	100 दिन	75100	70%	75%	80%	85%	90%	100%
4	शाहजहाँपुर	उर्द	100 दिन	51300	70%	75%	80%	85%	90%	100%
5	बिजनौर	उर्द	100 दिन	59600	70%	75%	80%	85%	90%	100%
6	मुरादाबाद	उर्द	100 दिन	63000	70%	75%	80%	85%	90%	100%
7	अमरोहा	उर्द	100 दिन	56200	70%	75%	80%	85%	90%	100%
8	रामपुर	उर्द	100 दिन	59300	70%	75%	80%	85%	90%	100%
9	सम्भल	उर्द	100 दिन	66200	70%	75%	80%	85%	90%	100%
10	औरैया	उर्द	100 दिन	54100	70%	75%	80%	85%	90%	100%
11	कानपुर नगर	उर्द	100 दिन	48700	70%	75%	80%	85%	90%	100%
12	कानपुर देहात	उर्द	100 दिन	51900	70%	75%	80%	85%	90%	100%
13	फतेहपुर	उर्द	100 दिन	47100	70%	75%	80%	85%	90%	100%
14	कौशाम्बी	उर्द	100 दिन	40900	70%	75%	80%	85%	90%	100%
15	प्रतापगढ	उर्द	100 दिन	43500	70%	75%	80%	85%	90%	100%
16	झांसी	उर्द	100 दिन	18700	70%	75%	80%	85%	90%	100%
17	ललितपुर	उर्द	100 दिन	26400	70%	75%	80%	85%	90%	100%
18	जालौन	उर्द	100 दिन	52100	70%	75%	80%	85%	90%	100%
19	हमीरपुर	उर्द	100 दिन	30700	70%	75%	80%	85%	90%	100%
20	महोबा	उर्द	100 दिन	21000	70%	75%	80%	85%	90%	100%
21	बाँदा	उर्द	100 दिन	38600	70%	75%	80%	85%	90%	100%
22	वाराणसी	उर्द	100 दिन	71500	70%	75%	80%	85%	90%	100%
23	जौनपुर	उर्द	100 दिन	71900	70%	75%	80%	85%	90%	100%
24	सोनभद्र	उर्द	100 दिन	42200	70%	75%	80%	85%	90%	100%

(सुनीता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bharatiyashasanadesh.org

क्र.सं.	जनपद	फसल	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम उत्पादन लागत (रु./हे.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में क्षय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में) देय होगी					
					बुवाई के बाद से आगामी 40 दिन तक	बुवाई के 40 दिन बाद से 50 दिन तक	बुवाई के 50 दिन बाद से 65 दिन तक	बुवाई के 65 दिन बाद से 90 दिन तक	बुवाई के 90 दिन बाद से फसल की कटाई से पूर्व तक	फसल की कटाई के उपरान्त से आगामी 14 दिन तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	लखनऊ	उर्द	100 दिन	40500	70%	75%	80%	85%	90%	100%
26	उन्नाव	उर्द	100 दिन	42300	70%	75%	80%	85%	90%	100%
27	रायबरेली	उर्द	100 दिन	19800	70%	75%	80%	85%	90%	100%
28	सीतापुर	उर्द	100 दिन	38200	70%	75%	80%	85%	90%	100%
29	हरदोई	उर्द	100 दिन	38400	70%	75%	80%	85%	90%	100%
30	लखीमपुर खीरी	उर्द	100 दिन	56000	70%	75%	80%	85%	90%	100%
31	बाराबंकी	उर्द	100 दिन	29400	70%	75%	80%	85%	90%	100%
फसल - मूँग (Moong)										
1	फतेहपुर	मूँग	100 दिन	44100	70%	75%	80%	85%	90%	100%
2	झांसी	मूँग	100 दिन	21200	70%	75%	80%	85%	90%	100%
3	ललितपुर	मूँग	100 दिन	26400	70%	75%	80%	85%	90%	100%
4	जालौन	मूँग	100 दिन	49200	70%	75%	80%	85%	90%	100%
5	हमीरपुर	मूँग	100 दिन	32400	70%	75%	80%	85%	90%	100%
6	महोबा	मूँग	100 दिन	18600	70%	75%	80%	85%	90%	100%
7	बाँदा	मूँग	100 दिन	39300	70%	75%	80%	85%	90%	100%
8	उन्नाव	मूँग	100 दिन	48500	70%	75%	80%	85%	90%	100%
फसल - तिल (Til)										
1	फिरोजाबाद	तिल	100 दिन	14400	70%	75%	80%	85%	90%	100%
2	बरेली	तिल	100 दिन	11700	70%	75%	80%	85%	90%	100%
3	बदायूँ	तिल	100 दिन	12200	70%	75%	80%	85%	90%	100%
4	शाहजहाँपुर	तिल	100 दिन	10300	70%	75%	80%	85%	90%	100%
5	फर्रुखाबाद	तिल	100 दिन	13300	70%	75%	80%	85%	90%	100%
6	कन्नौज	तिल	100 दिन	27200	70%	75%	80%	85%	90%	100%
7	कानपुर नगर	तिल	100 दिन	13000	70%	75%	80%	85%	90%	100%
8	कानपुर देहात	तिल	100 दिन	14200	70%	75%	80%	85%	90%	100%
9	फतेहपुर	तिल	100 दिन	20000	70%	75%	80%	85%	90%	100%
10	कौशाम्बी	तिल	100 दिन	16500	70%	75%	80%	85%	90%	100%
11	झांसी	तिल	100 दिन	22100	70%	75%	80%	85%	90%	100%
12	ललितपुर	तिल	100 दिन	9600	70%	75%	80%	85%	90%	100%
13	जालौन	तिल	100 दिन	27800	70%	75%	80%	85%	90%	100%
14	हमीरपुर	तिल	100 दिन	18100	70%	75%	80%	85%	90%	100%
15	महोबा	तिल	100 दिन	23400	70%	75%	80%	85%	90%	100%
16	बाँदा	तिल	100 दिन	28900	70%	75%	80%	85%	90%	100%

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bharatiyashasanadesh.org

क्र.सं.	जनपद	फसल	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम* उत्पादन लागत (रू./है.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन आगत में प्रभाव की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन आगत/कृषक की प्रति हेक्टेयर सीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में) देय होगी					
					बुवाई के बाद से आगामी 40 दिन तक	बुवाई के 40 दिन बाद से 60 दिन तक	बुवाई के 60 दिन बाद से 85 दिन तक	बुवाई के 85 दिन बाद से 90 दिन तक	बुवाई के 90 दिन बाद से फसल की कटाई से पूर्व तक	फसल की कटाई के उपरान्त से आगामी 14 दिन तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	चित्रकूट	तिल	100 दिन	17600	70%	75%	80%	85%	90%	100%
18	जौनपुर	तिल	100 दिन	23100	70%	75%	80%	85%	90%	100%
19	मिर्जापुर	तिल	100 दिन	11000	70%	75%	80%	85%	90%	100%
20	सोनभद्र	तिल	100 दिन	17100	70%	75%	80%	85%	90%	100%
21	उन्नाव	तिल	100 दिन	10700	70%	75%	80%	85%	90%	100%
22	सीतापुर	तिल	100 दिन	34300	70%	75%	80%	85%	90%	100%
23	हरदोई	तिल	100 दिन	53800	70%	75%	80%	85%	90%	100%
फसल - मूँगफली (Groundnut)										
1	सहारनपुर	मूँगफली	130 दिन	62200	65%	75%	80%	85%	90%	100%
2	मैनपुरी	मूँगफली	130 दिन	136600	65%	75%	80%	85%	90%	100%
3	बिजनौर	मूँगफली	130 दिन	85400	65%	75%	80%	85%	90%	100%
4	झांसी	मूँगफली	130 दिन	63300	65%	75%	80%	85%	90%	100%
5	ललितपुर	मूँगफली	130 दिन	51100	65%	75%	80%	85%	90%	100%
6	महोबा	मूँगफली	130 दिन	68100	65%	75%	80%	85%	90%	100%
7	बाँदा	मूँगफली	130 दिन	78300	65%	75%	80%	85%	90%	100%
8	मिर्जापुर	मूँगफली	130 दिन	80600	65%	75%	80%	85%	90%	100%
9	गोरखपुर	मूँगफली	130 दिन	59300	65%	75%	80%	85%	90%	100%
10	महराजगंज	मूँगफली	130 दिन	63100	65%	75%	80%	85%	90%	100%
11	देवरिया	मूँगफली	130 दिन	46400	65%	75%	80%	85%	90%	100%
12	उन्नाव	मूँगफली	130 दिन	60200	65%	75%	80%	85%	90%	100%
13	रायबरेली	मूँगफली	130 दिन	44300	65%	75%	80%	85%	90%	100%
14	सीतापुर	मूँगफली	130 दिन	72000	65%	75%	80%	85%	90%	100%
15	हरदोई	मूँगफली	130 दिन	72000	65%	75%	80%	85%	90%	100%
16	लखीमपुर खीरी	मूँगफली	130 दिन	55700	65%	75%	80%	85%	90%	100%
फसल - सोयाबीन (Soyabeen)										
1	झांसी	सोयाबीन	100 दिन	37400	65%	75%	80%	85%	90%	100%
2	ललितपुर	सोयाबीन	100 दिन	31400	65%	75%	80%	85%	90%	100%
फसल - अरहर (Arhar)										
1	बुलन्दशहर	अरहर	160 दिन	53600	55%	70%	75%	85%	90%	100%
2	अलीगढ	अरहर	160 दिन	50800	55%	70%	75%	85%	90%	100%
3	हाथरस	अरहर	160 दिन	59100	55%	70%	75%	85%	90%	100%
4	आगरा	अरहर	160 दिन	90980	55%	70%	75%	85%	90%	100%
5	मथुरा	अरहर	160 दिन	85600	55%	70%	75%	85%	90%	100%

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.सं.	जनपद	फसल	फसल की बुआई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम उत्पादन लागत (रु./हे.)	फसल की बुआई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में) देय होगी					
					बुआई के बाद से आगामी 40 दिन तक	बुआई के 40 दिन बाद से 50 दिन तक	बुआई के 50 दिन बाद से 65 दिन तक	बुआई के 65 दिन बाद से 90 दिन तक	बुआई के 90 दिन बाद से फसल की कटाई से पूर्व तक	फसल की कटाई के उपरान्त से आगामी 14 दिन तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	इटावा	अरहर	160 दिन	148800	55%	70%	75%	85%	90%	100%
7	औरैया	अरहर	160 दिन	96300	55%	70%	75%	85%	90%	100%
8	कानपुर नगर	अरहर	160 दिन	128800	55%	70%	75%	85%	90%	100%
9	कानपुर देहात	अरहर	160 दिन	141600	55%	70%	75%	85%	90%	100%
10	फतेहपुर	अरहर	160 दिन	77000	55%	70%	75%	85%	90%	100%
11	प्रयागराज	अरहर	160 दिन	88600	55%	70%	75%	85%	90%	100%
12	कौशाम्बी	अरहर	160 दिन	109700	55%	70%	75%	85%	90%	100%
13	प्रतापगढ़	अरहर	160 दिन	69600	55%	70%	75%	85%	90%	100%
14	झांसी	अरहर	160 दिन	72200	55%	70%	75%	85%	90%	100%
15	जालौन	अरहर	160 दिन	98100	55%	70%	75%	85%	90%	100%
16	हमीरपुर	अरहर	160 दिन	78700	55%	70%	75%	85%	90%	100%
17	महोबा	अरहर	160 दिन	64500	55%	70%	75%	85%	90%	100%
18	बाँदा	अरहर	160 दिन	119000	55%	70%	75%	85%	90%	100%
19	चित्रकूट	अरहर	160 दिन	93900	55%	70%	75%	85%	90%	100%
20	वाराणसी	अरहर	160 दिन	90400	55%	70%	75%	85%	90%	100%
21	चंदौली	अरहर	160 दिन	69000	55%	70%	75%	85%	90%	100%
22	जौनपुर	अरहर	160 दिन	85500	55%	70%	75%	85%	90%	100%
23	मिर्जापुर	अरहर	160 दिन	72700	55%	70%	75%	85%	90%	100%
24	सोनभद्र	अरहर	160 दिन	63100	55%	70%	75%	85%	90%	100%
25	भदोही	अरहर	160 दिन	92400	55%	70%	75%	85%	90%	100%
26	आजमगढ़	अरहर	160 दिन	83000	55%	70%	75%	85%	90%	100%
27	बलिया	अरहर	160 दिन	74600	55%	70%	75%	85%	90%	100%
28	गोरखपुर	अरहर	160 दिन	49000	55%	70%	75%	85%	90%	100%
29	देवरिया	अरहर	160 दिन	43000	55%	70%	75%	85%	90%	100%
30	उन्नाव	अरहर	160 दिन	84300	55%	70%	75%	85%	90%	100%
31	रायबरेली	अरहर	160 दिन	47400	55%	70%	75%	85%	90%	100%
32	बाराबंकी	अरहर	160 दिन	69700	55%	70%	75%	85%	90%	100%
33	बहराईच	अरहर	160 दिन	44700	55%	70%	75%	85%	90%	100%
34	श्रावस्ती	अरहर	160 दिन	44400	55%	70%	75%	85%	90%	100%

* प्रति हेक्टेयर बीमित राशि को कृषक की प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत मानते हुए आपदा की स्थिति तक उत्पादन लागत में व्यय का आंकलन करते हुए कृषक को देय क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जायेगा।

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

परिशिष्ट - 6

वर्ष 2023-24, 2024-25 व 2025-26 के रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत स्थानिक आपदाओं - ओला, भूस्खलन व जलप्लावन के जोखिमों अथवा फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों की अवधि में खेत में कटी हुई फसलों को बेमौसम/चक्रवाती वर्षा, चक्रवात के जोखिमों से क्षति की स्थिति में फसल के उत्पादन लागत में व्यय के अनुरूप क्षति के आँकलन हेतु निर्धारित तालिका -

क्र.सं.	जनपद	फसल	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम उत्पादन लागत (रु./हे.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में) देय होगी					
					बुवाई के बाद से आगामी 30 दिन तक	बुवाई के 30 दिन बाद से 45 दिन तक	बुवाई के 45 दिन बाद से 65 दिन तक	बुवाई के 65 दिन बाद से 90 दिन तक	बुवाई के 90 दिन बाद से फसल की कटाई से पूर्व तक	फसल की कटाई के उपरान्त से आगामी 14 दिन तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				फसल - गेहूँ (Wheat)						
1	सहारनपुर	गेहूँ	130 दिन	86000	60%	70%	75%	85%	90%	100%
2	मुजफ्फर नगर	गेहूँ	130 दिन	88100	60%	70%	75%	85%	90%	100%
3	शामली	गेहूँ	130 दिन	98100	60%	70%	75%	85%	90%	100%
4	मेरठ	गेहूँ	130 दिन	95700	60%	70%	75%	85%	90%	100%
5	बागपत	गेहूँ	130 दिन	97500	60%	70%	75%	85%	90%	100%
6	बुलन्दशहर	गेहूँ	130 दिन	94700	60%	70%	75%	85%	90%	100%
7	गाजियाबाद	गेहूँ	130 दिन	89200	60%	70%	75%	85%	90%	100%
8	गौतमबुद्ध नगर	गेहूँ	130 दिन	86500	60%	70%	75%	85%	90%	100%
9	हापुड़	गेहूँ	130 दिन	92100	60%	70%	75%	85%	90%	100%
10	अलीगढ़	गेहूँ	130 दिन	89500	60%	70%	75%	85%	90%	100%
11	हाथरस	गेहूँ	130 दिन	86100	60%	70%	75%	85%	90%	100%
12	एटा	गेहूँ	130 दिन	84800	60%	70%	75%	85%	90%	100%
13	कासगंज	गेहूँ	130 दिन	84500	60%	70%	75%	85%	90%	100%
14	आगरा	गेहूँ	130 दिन	88400	60%	70%	75%	85%	90%	100%
15	मथुरा	गेहूँ	130 दिन	79900	60%	70%	75%	85%	90%	100%
16	फिरोजाबाद	गेहूँ	130 दिन	82000	60%	70%	75%	85%	90%	100%
17	मैनपुरी	गेहूँ	130 दिन	90800	60%	70%	75%	85%	90%	100%
18	बरेली	गेहूँ	130 दिन	80800	60%	70%	75%	85%	90%	100%
19	बदायूँ	गेहूँ	130 दिन	82700	60%	70%	75%	85%	90%	100%
20	शाहजहाँपुर	गेहूँ	130 दिन	93300	60%	70%	75%	85%	90%	100%
21	पीलीभीत	गेहूँ	130 दिन	91900	60%	70%	75%	85%	90%	100%
22	बिजनौर	गेहूँ	130 दिन	78300	60%	70%	75%	85%	90%	100%
23	मुरादाबाद	गेहूँ	130 दिन	84800	60%	70%	75%	85%	90%	100%
24	अमरोहा	गेहूँ	130 दिन	82300	60%	70%	75%	85%	90%	100%

PMFBY-4.LL_AMENDMENTS-2023-24_2024-25_2025-26

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उ.प्र.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

क्र.सं.	जनपद	फसल	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम उत्पादन लागत (रू/हे.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में) देय होगी					
					बुवाई के बाद से आगामी 30 दिन तक	बुवाई के 30 दिन बाद से 45 दिन तक	बुवाई के 45 दिन बाद से 65 दिन तक	बुवाई के 65 दिन बाद से 90 दिन तक	बुवाई के 90 दिन बाद से फसल की कटाई से पूर्व तक	फसल की कटाई के उपरान्त से आगामी 14 दिन तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	रामपुर	गेहूँ	130 दिन	88500	60%	70%	75%	85%	90%	100%
26	सम्भल	गेहूँ	130 दिन	84200	60%	70%	75%	85%	90%	100%
27	फर्रूखाबाद	गेहूँ	130 दिन	89200	60%	70%	75%	85%	90%	100%
28	कन्नौज	गेहूँ	130 दिन	92800	60%	70%	75%	85%	90%	100%
29	इटावा	गेहूँ	130 दिन	87500	60%	70%	75%	85%	90%	100%
30	औरैया	गेहूँ	130 दिन	85700	60%	70%	75%	85%	90%	100%
31	कानपुर नगर	गेहूँ	130 दिन	85400	60%	70%	75%	85%	90%	100%
32	कानपुर देहात	गेहूँ	130 दिन	91900	60%	70%	75%	85%	90%	100%
33	फतेहपुर	गेहूँ	130 दिन	80300	60%	70%	75%	85%	90%	100%
34	प्रयागराज	गेहूँ	130 दिन	71300	60%	70%	75%	85%	90%	100%
35	कौशाम्बी	गेहूँ	130 दिन	70600	60%	70%	75%	85%	90%	100%
36	प्रतापगढ़	गेहूँ	130 दिन	71200	60%	70%	75%	85%	90%	100%
37	झांसी	गेहूँ	130 दिन	68700	60%	70%	75%	85%	90%	100%
38	ललितपुर	गेहूँ	130 दिन	69800	60%	70%	75%	85%	90%	100%
39	जालौन	गेहूँ	130 दिन	78500	60%	70%	75%	85%	90%	100%
40	हमीरपुर	गेहूँ	130 दिन	68200	60%	70%	75%	85%	90%	100%
41	महोबा	गेहूँ	130 दिन	58100	60%	70%	75%	85%	90%	100%
42	बाँदा	गेहूँ	130 दिन	59900	60%	70%	75%	85%	90%	100%
43	चित्रकूट	गेहूँ	130 दिन	63600	60%	70%	75%	85%	90%	100%
44	वाराणसी	गेहूँ	130 दिन	74400	60%	70%	75%	85%	90%	100%
45	चंदौली	गेहूँ	130 दिन	75200	60%	70%	75%	85%	90%	100%
46	गाजीपुर	गेहूँ	130 दिन	73600	60%	70%	75%	85%	90%	100%
47	जौनपुर	गेहूँ	130 दिन	78800	60%	70%	75%	85%	90%	100%
48	मिर्जापुर	गेहूँ	130 दिन	66600	60%	70%	75%	85%	90%	100%
49	सोनभद्र	गेहूँ	130 दिन	54500	60%	70%	75%	85%	90%	100%
50	भदोही	गेहूँ	130 दिन	76800	60%	70%	75%	85%	90%	100%
51	आजमगढ़	गेहूँ	130 दिन	74800	60%	70%	75%	85%	90%	100%
52	मऊ	गेहूँ	130 दिन	78600	60%	70%	75%	85%	90%	100%
53	बलिया	गेहूँ	130 दिन	81300	60%	70%	75%	85%	90%	100%

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bharatiyashasanadesh.org

क्र.सं.	जनपद	फसल	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम उत्पादन लागत (रु./है.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में) देय होगी					
					बुवाई के बाद से आगामी 30 दिन तक	बुवाई के 30 दिन बाद से 45 दिन तक	बुवाई के 45 दिन बाद से 65 दिन तक	बुवाई के 65 दिन बाद से 90 दिन तक	बुवाई के 90 दिन बाद से फसल की कटाई से पूर्व तक	फसल की कटाई के उपरान्त से आगामी 14 दिन तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	गोरखपुर	गेहूँ	130 दिन	82200	60%	70%	75%	85%	90%	100%
55	महराजगंज	गेहूँ	130 दिन	80800	60%	70%	75%	85%	90%	100%
56	देवरिया	गेहूँ	130 दिन	71600	60%	70%	75%	85%	90%	100%
57	कुशीनगर	गेहूँ	130 दिन	76100	60%	70%	75%	85%	90%	100%
58	बस्ती	गेहूँ	130 दिन	76800	60%	70%	75%	85%	90%	100%
59	सिद्धार्थ नगर	गेहूँ	130 दिन	87000	60%	70%	75%	85%	90%	100%
60	संत कबीर नगर	गेहूँ	130 दिन	89400	60%	70%	75%	85%	90%	100%
61	लखनऊ	गेहूँ	130 दिन	71800	60%	70%	75%	85%	90%	100%
62	उन्नाव	गेहूँ	130 दिन	73700	60%	70%	75%	85%	90%	100%
63	रायबरेली	गेहूँ	130 दिन	73700	60%	70%	75%	85%	90%	100%
64	सीतापुर	गेहूँ	130 दिन	74900	60%	70%	75%	85%	90%	100%
65	हरदोई	गेहूँ	130 दिन	78900	60%	70%	75%	85%	90%	100%
66	लखीमपुर खीरी	गेहूँ	130 दिन	88400	60%	70%	75%	85%	90%	100%
67	अयोध्या	गेहूँ	130 दिन	77800	60%	70%	75%	85%	90%	100%
68	अम्बेडकर नगर	गेहूँ	130 दिन	83500	60%	70%	75%	85%	90%	100%
69	सुल्तानपुर	गेहूँ	130 दिन	85400	60%	70%	75%	85%	90%	100%
70	बाराबंकी	गेहूँ	130 दिन	86600	60%	70%	75%	85%	90%	100%
71	अमेठी	गेहूँ	130 दिन	74800	60%	70%	75%	85%	90%	100%
72	गोण्डा	गेहूँ	130 दिन	68700	60%	70%	75%	85%	90%	100%
73	बलरामपुर	गेहूँ	130 दिन	74600	60%	70%	75%	85%	90%	100%
74	बहराईच	गेहूँ	130 दिन	75300	60%	70%	75%	85%	90%	100%
75	श्रावस्ती	गेहूँ	130 दिन	72100	60%	70%	75%	85%	90%	100%
फसल - जौ (Barley)										
1	बुलन्दशहर	जौ	130 दिन	69800	60%	70%	75%	85%	90%	100%
2	अलीगढ़	जौ	130 दिन	63400	60%	70%	75%	85%	90%	100%
3	हाथरस	जौ	130 दिन	61500	60%	70%	75%	85%	90%	100%
4	मथुरा	जौ	130 दिन	60500	60%	70%	75%	85%	90%	100%
5	फिरोजाबाद	जौ	130 दिन	61100	60%	70%	75%	85%	90%	100%
6	कानपुर देहात	जौ	130 दिन	56600	60%	70%	75%	85%	90%	100%

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.सं.	जनपद	फसल	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम उत्पादन लागत (रू.हे.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में) देय होगी					
					बुवाई के बाद से आगामी 30 दिन तक	बुवाई के 30 दिन बाद से 45 दिन तक	बुवाई के 45 दिन बाद से 65 दिन तक	बुवाई के 65 दिन बाद से 90 दिन तक	बुवाई के 90 दिन बाद से फसल की कटाई से पूर्व तक	फसल की कटाई के उपरान्त से आगामी 14 दिन तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	फतेहपुर	जौ	130 दिन	56100	60%	70%	75%	85%	90%	100%
8	झांसी	जौ	130 दिन	45400	60%	70%	75%	85%	90%	100%
9	ललितपुर	जौ	130 दिन	47900	60%	70%	75%	85%	90%	100%
10	जालौन	जौ	130 दिन	48100	60%	70%	75%	85%	90%	100%
11	हमीरपुर	जौ	130 दिन	47200	60%	70%	75%	85%	90%	100%
12	महोबा	जौ	130 दिन	44400	60%	70%	75%	85%	90%	100%
13	चित्रकूट	जौ	130 दिन	51700	60%	70%	75%	85%	90%	100%
14	गाजीपुर	जौ	130 दिन	44400	60%	70%	75%	85%	90%	100%
15	आजमगढ	जौ	130 दिन	50100	60%	70%	75%	85%	90%	100%
16	हरदोई	जौ	130 दिन	49700	60%	70%	75%	85%	90%	100%
फसल - चना (Gram)										
1	आगरा	चना	130 दिन	96100	70%	75%	80%	85%	90%	100%
2	मैनपुरी	चना	130 दिन	125100	70%	75%	80%	85%	90%	100%
3	औरैया	चना	130 दिन	78300	70%	75%	80%	85%	90%	100%
4	कानपुर नगर	चना	130 दिन	85900	70%	75%	80%	85%	90%	100%
5	कानपुर देहात	चना	130 दिन	80600	70%	75%	80%	85%	90%	100%
6	फतेहपुर	चना	130 दिन	74600	70%	75%	80%	85%	90%	100%
7	प्रयागराज	चना	130 दिन	65100	70%	75%	80%	85%	90%	100%
8	कौशाम्बी	चना	130 दिन	70000	70%	75%	80%	85%	90%	100%
9	प्रतापगढ	चना	130 दिन	59200	70%	75%	80%	85%	90%	100%
10	झांसी	चना	130 दिन	74800	70%	75%	80%	85%	90%	100%
11	ललितपुर	चना	130 दिन	84500	70%	75%	80%	85%	90%	100%
12	जालौन	चना	130 दिन	73500	70%	75%	80%	85%	90%	100%
13	हमीरपुर	चना	130 दिन	59200	70%	75%	80%	85%	90%	100%
14	महोबा	चना	130 दिन	61600	70%	75%	80%	85%	90%	100%
15	बाँदा	चना	130 दिन	64300	70%	75%	80%	85%	90%	100%
16	चित्रकूट	चना	130 दिन	60900	70%	75%	80%	85%	90%	100%
17	वाराणसी	चना	130 दिन	80600	70%	75%	80%	85%	90%	100%
18	चंदौली	चना	130 दिन	73800	70%	75%	80%	85%	90%	100%

PMFBY-ALL_ANNEXURES-2023-24_2024-25_2025-26

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

क्र.सं.	जनपद	फसल	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम* उत्पादन लागत (रु/है.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में) देय होगी					
					बुवाई के बाद से आगामी 30 दिन तक	बुवाई के 30 दिन बाद से 45 दिन तक	बुवाई के 45 दिन बाद से 65 दिन तक	बुवाई के 65 दिन बाद से 90 दिन तक	बुवाई के 90 दिन बाद से फसल की कटाई से पूर्व तक	फसल की कटाई के उपरान्त से आगामी 14 दिन तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	गाजीपुर	चना	130 दिन	102600	70%	75%	80%	85%	90%	100%
20	जौनपुर	चना	130 दिन	105800	70%	75%	80%	85%	90%	100%
21	मिर्जापुर	चना	130 दिन	69200	70%	75%	80%	85%	90%	100%
22	सोनभद्र	चना	130 दिन	68500	70%	75%	80%	85%	90%	100%
23	आजमगढ़	चना	130 दिन	67200	70%	75%	80%	85%	90%	100%
24	बलिया	चना	130 दिन	95800	70%	75%	80%	85%	90%	100%
25	लखनऊ	चना	130 दिन	55800	70%	75%	80%	85%	90%	100%
26	उन्नाव	चना	130 दिन	68600	70%	75%	80%	85%	90%	100%
27	रायबरेली	चना	130 दिन	44400	70%	75%	80%	85%	90%	100%

फसल - मटर (Pea)

1	मैनपुरी	मटर	130 दिन	148400	70%	75%	80%	85%	90%	100%
2	बरेली	मटर	130 दिन	119100	70%	75%	80%	85%	90%	100%
3	पीलीभीत	मटर	130 दिन	119100	70%	75%	80%	85%	90%	100%
4	कानपुर नगर	मटर	130 दिन	79300	70%	75%	80%	85%	90%	100%
5	फतेहपुर	मटर	130 दिन	67000	70%	75%	80%	85%	90%	100%
6	प्रयागराज	मटर	130 दिन	70000	70%	75%	80%	85%	90%	100%
7	कौशाम्बी	मटर	130 दिन	72400	70%	75%	80%	85%	90%	100%
8	प्रतापगढ़	मटर	130 दिन	59500	70%	75%	80%	85%	90%	100%
9	झांसी	मटर	130 दिन	81100	70%	75%	80%	85%	90%	100%
10	ललितपुर	मटर	130 दिन	88400	70%	75%	80%	85%	90%	100%
11	जालौन	मटर	130 दिन	99200	70%	75%	80%	85%	90%	100%
12	हमीरपुर	मटर	130 दिन	70800	70%	75%	80%	85%	90%	100%
13	महोबा	मटर	130 दिन	63800	70%	75%	80%	85%	90%	100%
14	बाँदा	मटर	130 दिन	65200	70%	75%	80%	85%	90%	100%
15	चित्रकूट	मटर	130 दिन	47000	70%	75%	80%	85%	90%	100%
16	वाराणसी	मटर	130 दिन	79400	70%	75%	80%	85%	90%	100%
17	चंदौली	मटर	130 दिन	73100	70%	75%	80%	85%	90%	100%
18	गाजीपुर	मटर	130 दिन	77000	70%	75%	80%	85%	90%	100%

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.सं.	जनपद	फसल	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम उत्पादन लागत (रु./है.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में) देय होगी					
					बुवाई के बाद से आगामी 30 दिन तक	बुवाई के 30 दिन बाद से 45 दिन तक	बुवाई के 45 दिन बाद से 65 दिन तक	बुवाई के 65 दिन बाद से 90 दिन तक	बुवाई के 90 दिन बाद से फसल की कटाई से पूर्व तक	फसल की कटाई के उपरान्त से आगामी 14 दिन तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	जौनपुर	मटर	130 दिन	95500	70%	75%	80%	85%	90%	100%
20	मिर्जापुर	मटर	130 दिन	60900	70%	75%	80%	85%	90%	100%
21	सोनभद्र	मटर	130 दिन	49400	70%	75%	80%	85%	90%	100%
22	आजमगढ़	मटर	130 दिन	73800	70%	75%	80%	85%	90%	100%
23	बलिया	मटर	130 दिन	98500	70%	75%	80%	85%	90%	100%
24	हरदोई	मटर	130 दिन	68700	70%	75%	80%	85%	90%	100%
फसल - मसूर (Masoor)										
1	सहारनपुर	मसूर	130 दिन	68500	70%	75%	80%	85%	90%	100%
2	अलीगढ़	मसूर	130 दिन	60600	70%	75%	80%	85%	90%	100%
3	बरेली	मसूर	130 दिन	72800	70%	75%	80%	85%	90%	100%
4	बदायूँ	मसूर	130 दिन	78500	70%	75%	80%	85%	90%	100%
5	शाहजहाँपुर	मसूर	130 दिन	73100	70%	75%	80%	85%	90%	100%
6	पीलीभीत	मसूर	130 दिन	65400	70%	75%	80%	85%	90%	100%
7	बिजनौर	मसूर	130 दिन	61200	70%	75%	80%	85%	90%	100%
8	रामपुर	मसूर	130 दिन	56400	70%	75%	80%	85%	90%	100%
9	फर्रुखाबाद	मसूर	130 दिन	48500	70%	75%	80%	85%	90%	100%
10	कानपुर नगर	मसूर	130 दिन	52900	70%	75%	80%	85%	90%	100%
11	फतेहपुर	मसूर	130 दिन	56900	70%	75%	80%	85%	90%	100%
12	प्रयागराज	मसूर	130 दिन	66200	70%	75%	80%	85%	90%	100%
13	झांसी	मसूर	130 दिन	64500	70%	75%	80%	85%	90%	100%
14	ललितपुर	मसूर	130 दिन	86600	70%	75%	80%	85%	90%	100%
15	जालौन	मसूर	130 दिन	79100	70%	75%	80%	85%	90%	100%
16	हमीरपुर	मसूर	130 दिन	57900	70%	75%	80%	85%	90%	100%
17	महोबा	मसूर	130 दिन	43300	70%	75%	80%	85%	90%	100%
18	बाँदा	मसूर	130 दिन	54300	70%	75%	80%	85%	90%	100%
19	चित्रकूट	मसूर	130 दिन	50400	70%	75%	80%	85%	90%	100%
20	वाराणसी	मसूर	130 दिन	65100	70%	75%	80%	85%	90%	100%
21	चंदौली	मसूर	130 दिन	67600	70%	75%	80%	85%	90%	100%

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.सं.	जनपद	फसल	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम* उत्पादन लागत (रु./है.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में) देय होगी					
					बुवाई के बाद से आगामी 30 दिन तक	बुवाई के 30 दिन बाद से 45 दिन तक	बुवाई के 45 दिन बाद से 65 दिन तक	बुवाई के 65 दिन बाद से 90 दिन तक	बुवाई के 90 दिन बाद से फसल की कटाई से पूर्व तक	फसल की कटाई के उपरान्त से आगामी 14 दिन तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	गाजीपुर	मसूर	130 दिन	72600	70%	75%	80%	85%	90%	100%
23	मिर्जापुर	मसूर	130 दिन	57700	70%	75%	80%	85%	90%	100%
24	सोनभद्र	मसूर	130 दिन	48500	70%	75%	80%	85%	90%	100%
25	बलिया	मसूर	130 दिन	82500	70%	75%	80%	85%	90%	100%
26	महराजगंज	मसूर	130 दिन	45400	70%	75%	80%	85%	90%	100%
27	लखनऊ	मसूर	130 दिन	71500	70%	75%	80%	85%	90%	100%
28	सीतापुर	मसूर	130 दिन	45400	70%	75%	80%	85%	90%	100%
29	हरदोई	मसूर	130 दिन	68300	70%	75%	80%	85%	90%	100%
30	लखीमपुर खीरी	मसूर	130 दिन	54600	70%	75%	80%	85%	90%	100%
31	बाराबंकी	मसूर	130 दिन	54700	70%	75%	80%	85%	90%	100%
32	गोण्डा	मसूर	130 दिन	65500	70%	75%	80%	85%	90%	100%
33	बलरामपुर	मसूर	130 दिन	54500	70%	75%	80%	85%	90%	100%
34	बहराईच	मसूर	130 दिन	70100	70%	75%	80%	85%	90%	100%
35	श्रावस्ती	मसूर	130 दिन	44700	70%	75%	80%	85%	90%	100%
फसल - लाही-सरसों (Rapaseed-Mustard)										
1	मुजफ्फर नगर	लाही-सरसों	100 दिन	74200	60%	70%	80%	85%	90%	100%
2	शामली	लाही-सरसों	100 दिन	92300	60%	70%	80%	85%	90%	100%
3	मेरठ	लाही-सरसों	100 दिन	78200	60%	70%	80%	85%	90%	100%
4	बागपत	लाही-सरसों	100 दिन	74800	60%	70%	80%	85%	90%	100%
5	बुलन्दशहर	लाही-सरसों	100 दिन	88600	60%	70%	80%	85%	90%	100%
6	गाजियाबाद	लाही-सरसों	100 दिन	69300	60%	70%	80%	85%	90%	100%
7	हापुड़	लाही-सरसों	100 दिन	93400	60%	70%	80%	85%	90%	100%
8	अलीगढ़	लाही-सरसों	100 दिन	88000	60%	70%	80%	85%	90%	100%
9	हाथरस	लाही-सरसों	100 दिन	97600	60%	70%	80%	85%	90%	100%
10	एटा	लाही-सरसों	100 दिन	109500	60%	70%	80%	85%	90%	100%
11	कासगंज	लाही-सरसों	100 दिन	116100	60%	70%	80%	85%	90%	100%
12	आगरा	लाही-सरसों	100 दिन	115000	60%	70%	80%	85%	90%	100%
13	मथुरा	लाही-सरसों	100 दिन	104700	60%	70%	80%	85%	90%	100%

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

[illegible]

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

क्र.सं.	जनपद	फसल	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम उत्पादन लागत (रु./हे.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में) देय होगी					
					बुवाई के बाद से आगामी 30 दिन तक	बुवाई के 30 दिन बाद से 45 दिन तक	बुवाई के 45 दिन बाद से 65 दिन तक	बुवाई के 65 दिन बाद से 90 दिन तक	बुवाई के 90 दिन बाद से फसल की कटाई से पूर्व तक	फसल की कटाई के उपरान्त से आगामी 14 दिन तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	फिरोजाबाद	लाही-सरसों	100 दिन	105200	60%	70%	80%	85%	90%	100%
15	मैनपुरी	लाही-सरसों	100 दिन	108200	60%	70%	80%	85%	90%	100%
16	बरेली	लाही-सरसों	100 दिन	69400	60%	70%	80%	85%	90%	100%
17	बदायूँ	लाही-सरसों	100 दिन	98700	60%	70%	80%	85%	90%	100%
18	शाहजहाँपुर	लाही-सरसों	100 दिन	74600	60%	70%	80%	85%	90%	100%
19	पीलीभीत	लाही-सरसों	100 दिन	49500	60%	70%	80%	85%	90%	100%
20	बिजनौर	लाही-सरसों	100 दिन	66200	60%	70%	80%	85%	90%	100%
21	मुरादाबाद	लाही-सरसों	100 दिन	69000	60%	70%	80%	85%	90%	100%
22	अमरोहा	लाही-सरसों	100 दिन	74300	60%	70%	80%	85%	90%	100%
23	रामपुर	लाही-सरसों	100 दिन	71500	60%	70%	80%	85%	90%	100%
24	सम्भल	लाही-सरसों	100 दिन	82700	60%	70%	80%	85%	90%	100%
25	फर्रुखाबाद	लाही-सरसों	100 दिन	76700	60%	70%	80%	85%	90%	100%
26	कन्नौज	लाही-सरसों	100 दिन	100100	60%	70%	80%	85%	90%	100%
27	इटावा	लाही-सरसों	100 दिन	112000	60%	70%	80%	85%	90%	100%
28	औरैया	लाही-सरसों	100 दिन	90300	60%	70%	80%	85%	90%	100%
29	कानपुर नगर	लाही-सरसों	100 दिन	73000	60%	70%	80%	85%	90%	100%
30	कानपुर देहात	लाही-सरसों	100 दिन	97000	60%	70%	80%	85%	90%	100%
31	फतेहपुर	लाही-सरसों	100 दिन	64000	60%	70%	80%	85%	90%	100%
32	प्रयागराज	लाही-सरसों	100 दिन	61700	60%	70%	80%	85%	90%	100%
33	कौशाम्बी	लाही-सरसों	100 दिन	72700	60%	70%	80%	85%	90%	100%
34	झांसी	लाही-सरसों	100 दिन	52300	60%	70%	80%	85%	90%	100%
35	ललितपुर	लाही-सरसों	100 दिन	40400	60%	70%	80%	85%	90%	100%
36	जालौन	लाही-सरसों	100 दिन	69100	60%	70%	80%	85%	90%	100%
37	हमीरपुर	लाही-सरसों	100 दिन	57000	60%	70%	80%	85%	90%	100%
38	महोबा	लाही-सरसों	100 दिन	40300	60%	70%	80%	85%	90%	100%
39	बाँदा	लाही-सरसों	100 दिन	44700	60%	70%	80%	85%	90%	100%
40	चित्रकूट	लाही-सरसों	100 दिन	42100	60%	70%	80%	85%	90%	100%
41	जौनपुर	लाही-सरसों	100 दिन	58300	60%	70%	80%	85%	90%	100%
42	मिर्ज़ापुर	लाही-सरसों	100 दिन	45700	60%	70%	80%	85%	90%	100%

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.सं.	जनपद	फसल	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम उत्पादन लागत (रु./है.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में) देय होगी					
					बुवाई के बाद से आगामी 30 दिन तक	बुवाई के 30 दिन बाद से 45 दिन तक	बुवाई के 45 दिन बाद से 65 दिन तक	बुवाई के 65 दिन बाद से 90 दिन तक	बुवाई के 90 दिन बाद से फसल की कटाई से पूर्व तक	फसल की कटाई के उपरान्त से आगामी 14 दिन तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	सोनभद्र	लाही-सरसों	100 दिन	40800	60%	70%	80%	85%	90%	100%
44	गोरखपुर	लाही-सरसों	100 दिन	62500	60%	70%	80%	85%	90%	100%
45	महराजगंज	लाही-सरसों	100 दिन	59300	60%	70%	80%	85%	90%	100%
46	कुशीनगर	लाही-सरसों	100 दिन	45200	60%	70%	80%	85%	90%	100%
47	लखनऊ	लाही-सरसों	100 दिन	60000	60%	70%	80%	85%	90%	100%
48	उन्नाव	लाही-सरसों	100 दिन	60100	60%	70%	80%	85%	90%	100%
49	रायबरेली	लाही-सरसों	100 दिन	37100	60%	70%	80%	85%	90%	100%
50	सीतापुर	लाही-सरसों	100 दिन	50400	60%	70%	80%	85%	90%	100%
51	हरदोई	लाही-सरसों	100 दिन	61700	60%	70%	80%	85%	90%	100%
52	लखीमपुर खीरी	लाही-सरसों	100 दिन	51700	60%	70%	80%	85%	90%	100%
53	बाराबंकी	लाही-सरसों	100 दिन	42800	60%	70%	80%	85%	90%	100%
54	गोण्डा	लाही-सरसों	100 दिन	60400	60%	70%	80%	85%	90%	100%
55	बलरामपुर	लाही-सरसों	100 दिन	45100	60%	70%	80%	85%	90%	100%
56	बहराईच	लाही-सरसों	100 दिन	47100	60%	70%	80%	85%	90%	100%
57	श्रावस्ती	लाही-सरसों	100 दिन	37800	60%	70%	80%	85%	90%	100%
				फसल - अलसी (Linseed)						
1	हमीरपुर	अलसी	100 दिन	35800	60%	70%	80%	85%	90%	100%
2	महोबा	अलसी	100 दिन	40000	60%	70%	80%	85%	90%	100%
3	बाँदा	अलसी	100 दिन	43800	60%	70%	80%	85%	90%	100%
4	मिर्जापुर	अलसी	100 दिन	35400	60%	70%	80%	85%	90%	100%
5	सोनभद्र	अलसी	100 दिन	33400	60%	70%	80%	85%	90%	100%
				फसल - आलू (Potato)						
1	मुजफ्फर नगर	आलू	100 दिन	188800	60%	70%	80%	85%	90%	100%
2	मेरठ	आलू	100 दिन	172000	60%	70%	80%	85%	90%	100%
3	बुलन्दशहर	आलू	100 दिन	159900	60%	70%	80%	85%	90%	100%
4	हापुड़	आलू	100 दिन	169200	60%	70%	80%	85%	90%	100%
5	अलीगढ़	आलू	100 दिन	169000	60%	70%	80%	85%	90%	100%
6	हाथरस	आलू	100 दिन	166000	60%	70%	80%	85%	90%	100%

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

क्र.सं.	जनपद	फसल	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम* उत्पादन लागत (रू./है.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन भागतांकुरक की प्रति हेक्टेयर सीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में) देय होगी					
					बुवाई के बाद से आगामी 30 दिन तक	बुवाई के 30 दिन बाद से 45 दिन तक	बुवाई के 45 दिन बाद से 65 दिन तक	बुवाई के 65 दिन बाद से 90 दिन तक	बुवाई के 90 दिन बाद से फसल की कटाई से पूर्व तक	फसल की कटाई के उपरान्त से आगामी 14 दिन तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	एटा	आलू	100 दिन	185900	60%	70%	80%	85%	90%	100%
8	कासगंज	आलू	100 दिन	171000	60%	70%	80%	85%	90%	100%
9	आगरा	आलू	100 दिन	224000	60%	70%	80%	85%	90%	100%
10	मथुरा	आलू	100 दिन	153200	60%	70%	80%	85%	90%	100%
11	फिरोजाबाद	आलू	100 दिन	245100	60%	70%	80%	85%	90%	100%
12	मैनपुरी	आलू	100 दिन	212400	60%	70%	80%	85%	90%	100%
13	बरेली	आलू	100 दिन	144300	60%	70%	80%	85%	90%	100%
14	बदायूँ	आलू	100 दिन	121000	60%	70%	80%	85%	90%	100%
15	शाहजहाँपुर	आलू	100 दिन	140000	60%	70%	80%	85%	90%	100%
16	बिजनौर	आलू	100 दिन	159000	60%	70%	80%	85%	90%	100%
17	मुरादाबाद	आलू	100 दिन	130000	60%	70%	80%	85%	90%	100%
18	अमरोहा	आलू	100 दिन	150000	60%	70%	80%	85%	90%	100%
19	रामपुर	आलू	100 दिन	130000	60%	70%	80%	85%	90%	100%
20	सम्भल	आलू	100 दिन	151000	60%	70%	80%	85%	90%	100%
21	फर्रूखाबाद	आलू	100 दिन	180500	60%	70%	80%	85%	90%	100%
22	कन्नौज	आलू	100 दिन	143000	60%	70%	80%	85%	90%	100%
23	इटावा	आलू	100 दिन	172300	60%	70%	80%	85%	90%	100%
24	औरैया	आलू	100 दिन	154300	60%	70%	80%	85%	90%	100%
25	कानपुर नगर	आलू	100 दिन	112500	60%	70%	80%	85%	90%	100%
26	फतेहपुर	आलू	100 दिन	156400	60%	70%	80%	85%	90%	100%
27	प्रयागराज	आलू	100 दिन	128200	60%	70%	80%	85%	90%	100%
28	कौशाम्बी	आलू	100 दिन	129400	60%	70%	80%	85%	90%	100%
29	प्रतापगढ़	आलू	100 दिन	103000	60%	70%	80%	85%	90%	100%
30	वाराणसी	आलू	100 दिन	148000	60%	70%	80%	85%	90%	100%
31	चंदौली	आलू	100 दिन	138500	60%	70%	80%	85%	90%	100%
32	गाजीपुर	आलू	100 दिन	173200	60%	70%	80%	85%	90%	100%
33	जौनपुर	आलू	100 दिन	165400	60%	70%	80%	85%	90%	100%
34	मिर्जापुर	आलू	100 दिन	167600	60%	70%	80%	85%	90%	100%
35	आजमगढ़	आलू	100 दिन	195500	60%	70%	80%	85%	90%	100%

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

क्र.सं.	जनपद	फसल	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम* उत्पादन लागत (रू./है.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में) देय होगी					
					बुवाई के बाद से आगामी 30 दिन तक	बुवाई के 30 दिन बाद से 45 दिन तक	बुवाई के 45 दिन बाद से 65 दिन तक	बुवाई के 65 दिन बाद से 90 दिन तक	बुवाई के 90 दिन बाद से फसल की कटाई से पूर्व तक	फसल की कटाई के उपरान्त से आगामी 14 दिन तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	बलिया	आलू	100 दिन	124600	60%	70%	80%	85%	90%	100%
37	गोरखपुर	आलू	100 दिन	185000	60%	70%	80%	85%	90%	100%
38	महराजगंज	आलू	100 दिन	185000	60%	70%	80%	85%	90%	100%
39	लखनऊ	आलू	100 दिन	162100	60%	70%	80%	85%	90%	100%
40	उन्नाव	आलू	100 दिन	121100	60%	70%	80%	85%	90%	100%
41	रायबरेली	आलू	100 दिन	165500	60%	70%	80%	85%	90%	100%
42	सीतापुर	आलू	100 दिन	122500	60%	70%	80%	85%	90%	100%
43	हरदोई	आलू	100 दिन	130000	60%	70%	80%	85%	90%	100%
44	सुल्तानपुर	आलू	100 दिन	130000	60%	70%	80%	85%	90%	100%
45	बाराबंकी	आलू	100 दिन	185100	60%	70%	80%	85%	90%	100%

* प्रति हेक्टेयर बीमित राशि को कृषक की प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत मानते हुए आपदा की स्थिति तक उत्पादन लागत में व्यय का आंकलन करते हुए कृषक को देय क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जायेगा।

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

परिशिष्ट-7

बीमा कम्पनी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र के जनपदों में निर्धारित प्रक्रिया/समयबद्धता से कार्यवाही नहीं किये जाने की विभिन्न स्थितियों में सम्बन्धित वर्ष के सम्बन्धित खरीफ अथवा रबी मौसम हेतु दण्ड प्वाइन्ट एवं आर्थिक दण्ड का निर्धारणः-

क्र.सं.	प्रकरण	परिस्थितियाँ, जब आर्थिक दंड निर्धारित किया जायेगा	दण्ड की देयता की स्थिति व निर्धारित दण्ड का प्वाइन्ट		
1.	L1 बीमा कम्पनी द्वारा क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में कार्य करने से मना करना।	बीमा कम्पनी द्वारा L1 घोषित होने अथवा कार्य आदेश (Work Order) जारी होने के पश्चात कार्य करने से मना करना।		एक समूह के जनपदों में कार्य करने से मना करने पर	10 प्वाइन्ट
				दोनों समूहों के जनपदों में कार्य करने से मना करने पर	20 प्वाइन्ट
				निर्धारित दंड प्वाइन्ट के साथ ही राज्य सरकार को पुनः निविदा आमंत्रित करने तथा पूर्व घोषित L1 के स्थान पर पुनः निविदा में निर्धारित L1 के कारण प्रीमियम पर अनुदान मद में हुई अतिरिक्त वित्तीय हानि की वसूली भी सम्बन्धित बीमा कम्पनी से की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा आवश्यक होने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड के साथ ही प्रदेश में योजनान्तर्गत आगामी निविदा प्रक्रिया से बाहर रखनेभविष्य के लिए काली सूची में डाले जाने की / कार्यवाही भी की जा सकती है।	
2.	बीमा कम्पनी द्वारा निविदा प्रक्रिया में गम्भीरता से प्रतिभाग नहीं करने पर।	समूह स्तर पर चयनित बीमा कम्पनी के L1 प्रीमियम दर से अन्य बीमा कम्पनियों के समूह स्तर पर प्रस्तावित प्रीमियम दर में विचलन की स्थिति।	1.	25% से अधिक व 50% तक विचलन की स्थिति	10 प्वाइन्ट
			2.	50% से अधिक विचलन की स्थिति	20 प्वाइन्ट
3.	• जनपद में बीमा कम्पनी के कार्यालय की स्थापना व कार्मिकों की नियुक्ति • जनपद की प्रत्येक तहसील में क्रियाशील कार्यालय की स्थापना व कार्मिकों की नियुक्ति • प्रत्येक ब्लाक में बीमा कम्पनी के कम से कम एक एजेन्ट की नियुक्ति।	राज्य सरकार द्वारा बीमा कम्पनी को जारी किये गये कार्य आदेश (Work Order) की तिथि के 30 कार्य दिवस के पश्चात प्रत्येक ब्लाक में बीमा कम्पनी के कार्मिकों की नियुक्ति।	1.1	कार्य आदेश जारी होने की तिथि के 30 कार्य दिवस के पश्चात जनपदीय कार्यालय की स्थापना व कार्मिकों की नियुक्ति करने पर	05 प्वाइन्ट
			1.2	कार्य आदेश जारी होने के पश्चात जनपदीय कार्यालय की स्थापना व कार्मिकों की नियुक्ति नहीं करने पर	15 प्वाइन्ट
			1.3	कार्य आदेश जारी होने की तिथि के 30 कार्य दिवस के पश्चात तहसील पर कार्यालय की स्थापना व कार्मिकों की नियुक्ति करने पर	05 प्वाइन्ट
			1.4	कार्य आदेश जारी होने के पश्चात तहसील पर कार्यालय की स्थापना व कार्मिकों की नियुक्ति नहीं करने पर	15 प्वाइन्ट
			1.5	कार्य आदेश जारी होने के पश्चात ब्लाक स्तर पर बीमा एजेन्ट की नियुक्ति नहीं करने पर	05 प्वाइन्ट
4.	बीमा कम्पनी द्वारा प्रचार सामग्री-पोस्टर/पैम्फलेट का मुद्रण	विगत मौसम में बीमित कृषकों की संख्या के 50% से कम संख्या में मुद्रण एवं वितरण	1.	अपेक्षित संख्या के 25% की संख्या से अधिक व 50% की संख्या तक मुद्रण एवं वितरण	02 प्वाइन्ट
			2.	अपेक्षित संख्या के 25% की संख्या से कम मुद्रण एवं वितरण	05 प्वाइन्ट

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

Search easily on www.bharatiyashasanadesh.org

क्र.सं.	प्रकरण	परिस्थितियाँ, जब आर्थिक दंड निर्धारित किया जायेगा	दण्ड की देयता की स्थिति व निर्धारित दण्ड का प्वाइन्ट		
5.	बीमा कम्पनी द्वारा प्रशिक्षण व वर्कशाप का आयोजन	बैंक व सम्बन्धित विभागों के अधिकारी को पोर्टल पर विवरण अपलोड करने, फसल कटाई प्रयोगों के आकड़ों के प्रेषण हेतु पोर्टल पर पंजीकरण तथा योजना के सम्बन्ध में जनपद में कम से कम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम व वर्कशाप का आयोजन तथा जनपद के प्रत्येक ब्लाक में कम से कम 05 कैम्पों का आयोजन करते हुए कृषकों में जागरुकता कार्यक्रम नहीं चलाने पर।	(i)	जनपद में एक भी प्रशिक्षण कार्यक्रम व वर्कशाप का आयोजन नहीं करने पर।	10 प्वाइन्ट
			(ii)	जनपद के प्रत्येक ब्लाक में 02 कैम्पों से कम आयोजित करना।	05 प्वाइन्ट
			(iii)	जनपद के प्रत्येक ब्लाक में 05 कैम्पों से कम आयोजित करना।	02 प्वाइन्ट
6.	फसल कटाई प्रयोगों का कटाई स्तर पर बीमा कम्पनी के अधिकृत कार्मिक द्वारा अवलोकन	बीमा कम्पनी के अधिकृत कार्मिक द्वारा कटाई स्तर पर फसल कटाई प्रयोगों का अवलोकन नहीं करने पर।	(i)	नियोजित कुल फसल कटाई प्रयोगों की संख्या के 20% से अधिक व 30% से कम प्रयोगों का अवलोकन करने पर	10 प्वाइन्ट
			(ii)	20% से कम प्रयोगों का अवलोकन करने पर	15 प्वाइन्ट
7.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत • प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से फसलों की बुआई न कर पाना/असफल बुआई की स्थिति में क्षतिपूर्ति का भुगतान	राज्य सरकार द्वारा असफल बुआई वाले ग्रामपंचायतों/फसलों का पोर्टल पर डिक्लेरेशन करने के 07 दिन के अन्दर बीमा कम्पनी द्वारा एप्रूव नहीं करने पर।	(i)	10% से कम अवशेष रहने पर	02 प्वाइन्ट
			(ii)	40% से कम अवशेष रहने पर	05 प्वाइन्ट
			(iii)	60% से कम अवशेष रहने पर	10 प्वाइन्ट
			(IV)	100% अवशेष रहने पर	15 प्वाइन्ट
	• फसल की मध्य अवस्था तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों, से फसल की सम्भावित उपज सामान्य उपज से 50% कम होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति का भुगतान	राज्य सरकार द्वारा मध्य अवस्था वाले ग्रामपंचायतों/फसलों का पोर्टल पर डिक्लेरेशन करने के 07 दिन के अन्दर बीमा कम्पनी द्वारा एप्रूव नहीं करने पर।	(i)	10% से कम अवशेष रहने पर	02 प्वाइन्ट
			(ii)	40% से कम अवशेष रहने पर	05 प्वाइन्ट
			(iii)	60% से कम अवशेष रहने पर	10 प्वाइन्ट
			(IV)	100% अवशेष रहने पर	15 प्वाइन्ट
	• स्थानिक आपदाओं -ओला, भूस्खलन, जलभराव, बादल फटना व आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से क्षतिपूर्ति का भुगतान	आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त सर्वे करते हुए 30 कार्यदिवस के अन्दर पे-आउट पोर्टल पर अपलोड नहीं करने पर।	(i)	10% से कम अवशेष रहने पर	02 प्वाइन्ट
			(ii)	40% से कम अवशेष रहने पर	05 प्वाइन्ट
			(iii)	60% से कम अवशेष रहने पर	10 प्वाइन्ट
			(iV)	100% अवशेष रहने पर	15 प्वाइन्ट
	• फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों की अवधि तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल को बेमौसम/चक्रवाती / वर्षा, चक्रवात, ओलावृष्टि से क्षति की स्थिति में क्षतिपूर्ति का भुगतान	राज्य सरकार द्वारा असफल बुआई वाले ग्रामपंचायतों/फसलों का पोर्टल पर डिक्लेरेशन करने के 07 दिन के अन्दर बीमा कम्पनी द्वारा एप्रूव नहीं करने पर।	(i)	10% से कम अवशेष रहने पर	02 प्वाइन्ट
			(ii)	40% से कम अवशेष रहने पर	05 प्वाइन्ट
			(iii)	60% से कम अवशेष रहने पर	10 प्वाइन्ट
			(IV)	100% अवशेष रहने पर	15 प्वाइन्ट
8.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर देय क्षतिपूर्ति का भुगतान।	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा भुगतान हेतु एन०आई० डाटा पोर्टल पर अपलोड करने के 7 कार्य दिवस के उपरान्त बीमा कम्पनी द्वारा भुगतान हेतु एप्रूव नहीं करने पर।	(i)	10% से कम अवशेष रहने पर	02 प्वाइन्ट
			(ii)	40% से कम अवशेष रहने पर	05 प्वाइन्ट
			(iii)	60% से कम अवशेष रहने पर	10 प्वाइन्ट
			(IV)	100% अवशेष रहने पर	15 प्वाइन्ट

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

क्र.सं.	प्रकरण	परिस्थितियाँ, जब आर्थिक दंड निर्धारित किया जायेगा	दण्ड की देयता की स्थिति व निर्धारित दण्ड का प्वाइन्ट		
9.	पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में मौसम के आकड़ों के आधार पर कृषकों को देय क्षतिपूर्ति का भुगतान।	पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में बीमा अवधि/जोखिम अवधि के समाप्ति के 21 कार्य दिवस के अन्दर पे-आउट पोर्टल पर अपलोड नहीं करने पर।	(i)	10% से कम अवशेष रहने पर	02 प्वाइन्ट
			(ii)	40% से कम अवशेष रहने पर	05 प्वाइन्ट
			(iii)	60% से कम अवशेष रहने पर	10 प्वाइन्ट
			(IV)	100% अवशेष रहने पर	15 प्वाइन्ट
10	पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत स्वचालित मौसम मापी यंत्र की स्थापना	बीमा समाप्ति के दिन तक स्वचालित मौसम मापी यंत्र स्थापित न करने पर	(i)	10% से कम अवशेष रहने पर	02 प्वाइन्ट
			(ii)	40% से कम अवशेष रहने पर	05 प्वाइन्ट
			(iii)	60% से कम अवशेष रहने पर	10 प्वाइन्ट
			(IV)	100% अवशेष रहने पर	15 प्वाइन्ट
11	आई.जी.आर.एस., आर.टी.आई. एवं सामान्य शिकायतों का निराकरण।	बीमा कम्पनी को शिकायत प्राप्त होने के 10 कार्य दिवस के अन्दर निस्तारण नहीं करने पर।	(i)	10% से कम अवशेष रहने पर	02 प्वाइन्ट
			(ii)	40% से कम अवशेष रहने पर	05 प्वाइन्ट
			(iii)	60% से कम अवशेष रहने पर	10 प्वाइन्ट
			(IV)	100% अवशेष रहने पर	15 प्वाइन्ट
12	डुप्लीकेट बीमा को रोकने हेतु फील्ड लेवल पर कम से कम 10 खेतों का रेण्डम सर्वे किया जायेगा।	जनपद में सभी अधिसूचित फसलों के कम से कम 10 खेतों का सर्वे बीमा करने के अन्तिम तिथि के 21 कार्य दिवस के अन्दर नहीं करने पर।	(i)	10% से कम अवशेष रहने पर	02 प्वाइन्ट
			(ii)	40% से कम अवशेष रहने पर	05 प्वाइन्ट
			(iii)	60% से कम अवशेष रहने पर	10 प्वाइन्ट
			(IV)	100% अवशेष रहने पर	15 प्वाइन्ट
13	बीमा पालिसी को निर्धारित समयान्तर्गत स्वीकृत किया जाना।	प्राप्त आवेदन को बीमा कम्पनी द्वारा बीमा करने की अन्तिम तिथि के 30 कार्य दिवस तक एपूव नहीं करने पर।	(i)	10% से कम अवशेष रहने पर	02 प्वाइन्ट
			(ii)	40% से कम अवशेष रहने पर	05 प्वाइन्ट
			(iii)	60% से कम अवशेष रहने पर	10 प्वाइन्ट
			(IV)	100% अवशेष रहने पर	15 प्वाइन्ट
14	बीमा पालिसियों का वितरण किया जाना।	प्रत्येक मौसम में निर्धारित समयावधि में बीमा पालिसी वितरित नहीं करने पर।	(i)	10% से कम अवशेष रहने पर	02 प्वाइन्ट
			(ii)	40% से कम अवशेष रहने पर	05 प्वाइन्ट
			(iii)	60% से कम अवशेष रहने पर	10 प्वाइन्ट
			(IV)	100% अवशेष रहने पर	15 प्वाइन्ट
15.	विभाग द्वारा दिये गये एग्वाई0 डाटा के विसंगति के सम्बन्ध में।	विभाग द्वारा पोर्टल पर एग्वाई0 अपलोड करने के 07 कार्य दिवस के अन्दर विसंगति/आब्जेक्शन न करने पर।		---	10 प्वाइन्ट
16.	उपभोग प्रमाण-पत्र नहीं देने पर।	राज्यांश के भुगतान के 30 दिन के अन्दर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं देने पर।		---	10 प्वाइन्ट

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आर्थिक दण्डः -

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के जनपदों में निर्धारित प्रक्रिया/समयबद्धता पर कार्यवाही नहीं किये जाने की विभिन्न स्थितियों में सम्बन्धित वर्ष के सम्बन्धित खरीफ अथवा रबी मौसम हेतु दण्ड प्वाइन्ट के आधार पर आर्थिक दण्ड की निर्धारित धनराशि का विवरणः-

क्र.सं.	मौसमवार बीमा कम्पनी के कुल दण्ड के प्वाइन्ट का योग	मौसमवार बीमा कम्पनी द्वारा वहन की जाने वाली आर्थिक दण्ड की धनराशि
1.	दण्ड प्वाइन्ट का योग 21 प्वाइन्ट से अधिक व 31 प्वाइन्ट से कम होने पर।	मौसम विशेष में सम्बन्धित जनपद/जनपदों में बीमा कम्पनी के कुल प्रीमियम का 1.00 प्रतिशत।
2.	दण्ड प्वाइन्ट का योग 31 प्वाइन्ट से अधिक एवं 41 प्वाइन्ट से कम होने पर।	मौसम विशेष में सम्बन्धित जनपद/जनपदों में बीमा कम्पनी के कुल प्रीमियम का 2.00 प्रतिशत।
3.	दण्ड प्वाइन्ट का योग 41 प्वाइन्ट से अधिक एवं 51 प्वाइन्ट से कम होने पर।	मौसम विशेष में सम्बन्धित जनपद/जनपदों में बीमा कम्पनी के कुल प्रीमियम का 3.00 प्रतिशत।
4.	दण्ड प्वाइन्ट का योग 51 प्वाइन्ट से अधिक एवं 61 प्वाइन्ट से कम होने पर।	मौसम विशेष में सम्बन्धित जनपद/जनपदों में बीमा कम्पनी के कुल प्रीमियम का 5.00 प्रतिशत।
5.	दण्ड प्वाइन्ट का योग 61 प्वाइन्ट से अधिक एवं 71 प्वाइन्ट से कम होने पर।	मौसम विशेष में सम्बन्धित जनपद/जनपदों में बीमा कम्पनी के कुल प्रीमियम का 7.00 प्रतिशत के साथ ही अगले मौसम में क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में कार्य करने से रोके जाने की कार्यवाही
6.	दण्ड प्वाइन्ट का योग 71 प्वाइन्ट से अधिक होने पर।	मौसम विशेष में सम्बन्धित जनपद/जनपदों में बीमा कम्पनी के कुल प्रीमियम का 10.00 प्रतिशत के साथ ही अगले वर्ष में क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में कार्य करने से रोके जाने की कार्यवाही
7.	आर्थिक दंड के निर्धारण से सम्बन्धित उपरोक्त सूचनाओं को बीमा कम्पनी द्वारा गलत रूप में देने पर।	राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा बीमा कम्पनी के विरुद्ध जाँच की जायेगी एवं पुष्टि होने पर बीमा कम्पनी को प्रदेश में योजनान्तर्गत फसल बीमा के कार्य से बाहर रखने/भारत सरकार की पैनल बद्ध कम्पनियों से हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

(सुमिता सिंह)
निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।